खण्ड-346, अंक-2
बुधवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(17 सितम्बर, 1980 ई0)

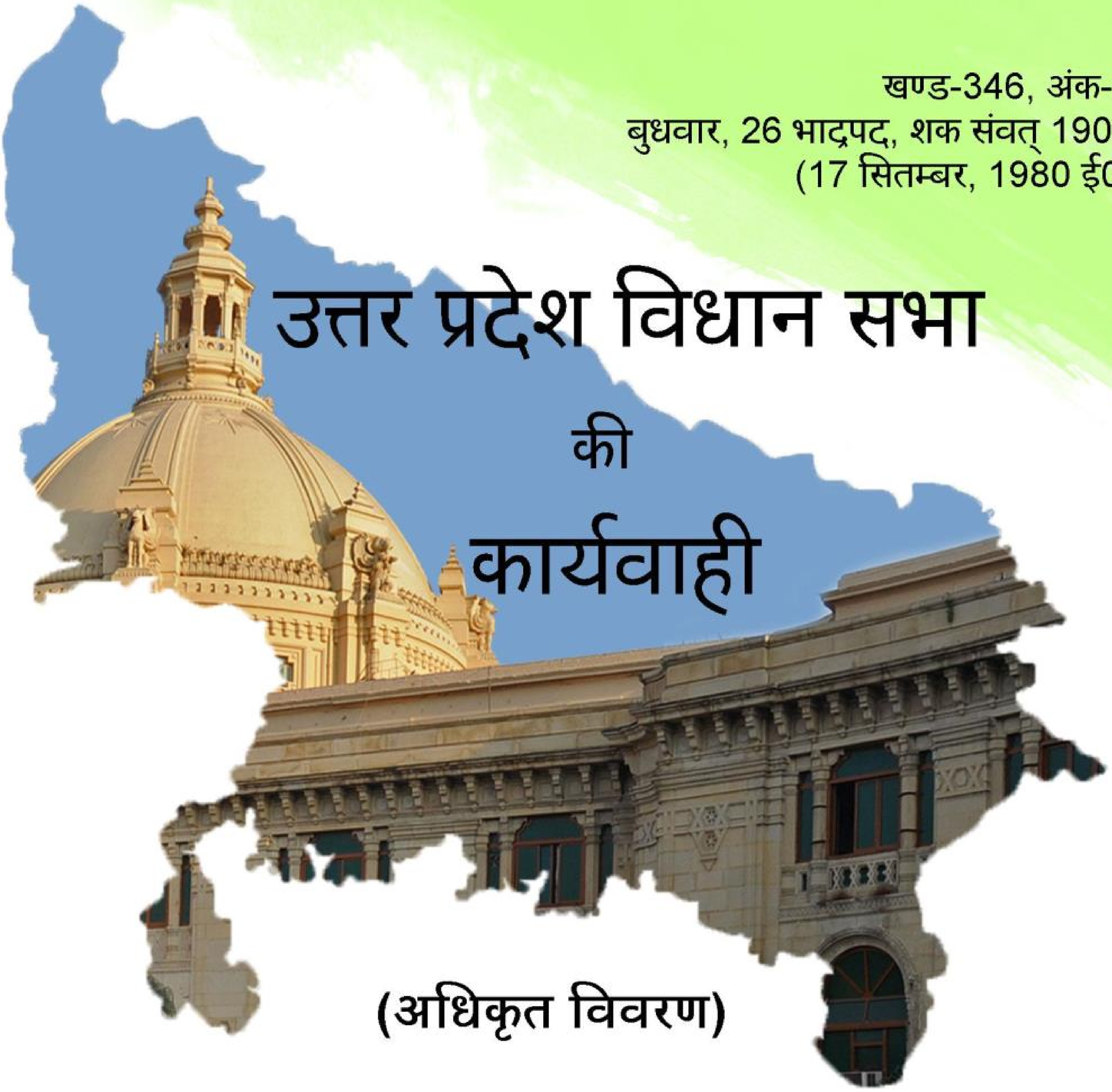

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	151–154
प्रश्नोत्तर	155–189
कार्य सूची के मदों (ख) के प्रश्न संख्या 11 के असंतोषजनक उत्तर पर आपत्ति	190
रामपुर में सिक्खों द्वारा दंगा कराने की साजिश तथा अवैध हथियारों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	190–191
पिछले वर्ष जनपद जालौन के कालपी विधान सभाई क्षेत्र में राहत कार्य में लगाये गये मजदूरों को गल्ला न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	191
गोरखपुर में मगहर के पास आमी नदी में नाव दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु तथा आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	192
रानीखेत क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कालेजों में अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य में बाधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	192
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में छात्रों के प्रवेश में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	193
औचित्य के प्रश्न	193–195
विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	195
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	195–196
उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश (अस्वीकार की गई)..	196–203
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	203–205
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सम्बन्धी प्रवर समिति में सदस्यों के नामांकन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	205–209
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित)	209–214
अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुये दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मंडल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	214–222

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा मंडल के आयुक्त श्री देशराज सिंह की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति पर आपत्ति (जारी)	222-229
अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुये दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मन्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)	229-230
आगरा मन्डल के आयुक्त, श्री देशराज सिंह की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति पर आपत्ति	230-231
अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुए दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मन्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ..	231-252
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	252
देवरिया रेलवे प्लेट फार्म पर हुई रेल दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा न दिये जाने तथा भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	253-258

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 327

अकबर अहमद श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसेन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री
(उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रावत, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जीतेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल गंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, श्री उर्फ दीपनारायण, (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लालबाबू) (बलिया)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा श्री, (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री, (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बब्बन सिंह श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मार्कण्डेय प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर, (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रतो राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)

विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निशाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्तपाल लाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयाद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 17 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न,

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रामपुर जिले में सिंचाई अबयाना की पर्चों का वितरण

*1--श्री बलवीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में नहर विभाग द्वारा सिंचाई अबयाना की पर्चों अमीन द्वारा व्यक्तिगत किसानों को तीस दिन पूर्व दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

रामपुर खण्ड के अन्तर्गत रामपुर जनपद में राजकीय नहरों द्वारा सिंचाई होती है । महसूल अबयाना (सिंचाई कर) की पर्चों निर्धारित समय पर पैमाइश के समय अमीन द्वारा कृषकों को वितरित की जाती है । जो कृषक पैमाइश के समय उपस्थित नहीं होते उनकी सिंचाई पर्चों ग्राम प्रधान के माध्यम से सम्बन्धित कृषकों को देने हेतु सौंप दी जाती है और रसीद प्राप्त कर खसरे में चस्पा कर दी जाती है ।

(दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

चमोली जिले में आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण सम्बन्धी समिति का कथित गठन

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन आदि निर्माण हेतु कोई भूमि चयन समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उस समिति की क्या संस्तुतियां हैं और भवन निर्माण का कार्य कब से आरम्भ किया जा रहा है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

जिलाधिकारी, चमोली ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कोई भूमि चयन समिति गठित नहीं की । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी में है कि जिलाधिकारी, चमोली ने इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया था और आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए भूमि चयन के लिये अतिरिक्त जिलाधिकारी, विकास और अभियन्ताओं की इस समिति ने भूमि का चयन भी कर लिया था, परन्तु अब जो शासन को रिपोर्ट दी गयी है, वह गलत दी गयी है, ऐसा क्यों किया गया और फिर माननीय मन्त्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

यह सही है कि श्री जोधा सिंह नेगी के दरख्वास्त पर वहां के जिलाधिकारी ने अतिरिक्त जिलाधिकारी, विकास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी। जो सरकार ने स्थानों के चयन के निर्देश दिये थे, उसको देखने के लिये कमेटी बनायी गयी थी। इस कमेटी ने वहां मौके पर तीन जगहें देखी, जिनमें से एक जगह पसन्द भी की गयी। वह जगह सड़क से लगभग डेढ़ कि0 मी0 दूरी पर थी, जिसके डेवलप करने में 5 लाख रुपया और भवन निर्माण में 25 लाख रु0 कुल मिला कर 30 लाख रु0 लगने थे। यह खर्च बहुत अधिक था। इस लिए उसको अस्वीकार कर दिया गया।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी पुनः जांच करायेंगे कि सड़क के किनारे यदि कोई भूमि मिल जाय तो उस पर भवन निर्माण कराने का विचार करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

कोई भी प्रोपोजल आयेगा, यदि जगह अच्छी हुई, तो विचार किया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी वहां की स्थिति को देखते हुए वहां राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को, पहाड़ी क्षेत्रों की जनजाति, भूटिया व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को उभारने के लिये चालू करने की बहुत आवश्यकता है और आपके अधिकारियों ने जिस भूमि का चयन किया था उसको इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह सड़क मार्ग से अधिक दूर था, तो क्या माननीय मन्त्री जी सड़क के पास किसी अच्छी जगह का चयन कर आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण के लिए पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

शासन की यह नीति नहीं है कि कहीं भवन का निर्माण कराये। शासन यह चाहता है कि प्रदेश के हर स्थान पर शिक्षा का प्रसार हो। इसलिए उन क्षेत्रों में शासन द्वारा 12 आश्रम पद्धति विद्यालय चल भी रहे हैं। परन्तु सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसी एक भवन के लिए 30 लाख रुपया खर्च कर सकें।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय थिरपाक जो हरिजनों के लिए छात्रावास के लिये मकान किराये पर लिया गया है, उसमें मान्य 8 × 10 के कमरे में 13 छात्र रह रहे हैं और वह मकान बिल्कुल जर्जर हालत में है, यही हालत जोशीमठ में भोटिया जनजाति के विद्यालय की है, तो क्या इन हालात को देखते हुये मन्त्री जी आवासीय व्यवस्था एवं भवन बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मैंने तो जवाब पहले ही दे दिया कि भवन बनाने की कोई नीति नहीं है, दूसरा कोई सुझाव देंगे तो दिखलवा लूंगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी शहरों से 2-2, 3-3 किलो मीटर दूर डाक बंगलों को जंगलों में बसाया जा सकता है, लेकिन इन हरिजन जनजाति के लोगों

के लिये जिनका रात दिन यहां बुराई की जाती है, उनके लिये 5 लाख रुपया खर्च करना मैं समझता हूं, कोई बहुत नहीं है जैसा कि कुंवर सिंह नेगी ने कहा 8 × 10 के कमरों में 13 छात्र रह रहे हैं अगर वह मकान गिर गया... ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं ।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक नदी की बाढ़

*2--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भन्डारी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि, देवरिया जिले में बड़ी गंडक की बाढ़ से जून, 1980 के अन्तिम सप्ताह में 30 गांव डूब गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

अतः किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य बाढ़ के सम्बन्ध में दिया था उसके पेज 3 में स्वीकार किया था, गण्डक की बाढ़ से बरवापट्टी, कैथावलिया गांव डूब गये हैं । वहां 300 परिवारों को तथा 500 पशुओं को दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है और वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनका वक्तव्य सही था या यह उत्तर सही है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था कि 30 जून का, 30 जून के पहले का सवाल पूछा है, इसलिये यह उत्तर आया है जी नहीं । यह कटान हुआ 5 जुलाई को माननीय सदस्य यह जो कटान हुआ, वह जुलाई के महीने में हुआ ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में पढ़ा है कि 13 जून, 1980 को जनपद देवरिया में भारी वर्षा से आमखास बरवापट्टी, कैथावलिया डूब गये थे और वहां 100 परिवार को, तथा 275 पशुओं को दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है और फिर आगे कहा है कि 355 परिवारों को तो क्या यह बयान सही है या गलत है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, प्रश्न के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य का प्रश्न है 30 गांव डूब गये, डूबने का अर्थ जहां तक मैं जानता हूं और श्रीमन् आप भी जानते हैं कि गांव के ऊपर पानी बहने लगे, तो गांवों को डूबना कहा जा सकता है क्या ऐसी स्थिति आई थी अगर नहीं आई तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर काल में जितना व्यवधान करेंगे, अपने मित्रों के समय का उतना ही हनन करेंगे। इसलिये व्यवस्था के प्रश्न उठाकर व्यवधान न कर।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो माननीय सदस्यों ने बात उठाई है यह बात सही है कि नदी में पानी बढ़ने से कटान होती है लेकिन जो कटान हुई है वह 5 जुलाई के बाद हुआ।

श्री हरिवंश सहाय--

आपने बयान दिया था कि 13 जून, 1980 को, आपने एक निश्चित तिथि निश्चित की थी, तो जो बयान दिया था वह सही है या जो आज कह रहे हैं, वह सही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सब 5 जुलाई से लेकर आगे हुआ।

श्री हरिवंश सहाय--

आपने अपने बयान में लिखा है कि 13 जून, 1980 को और आज कह रहे हैं 5 जुलाई, तो इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैं नहीं समझता कि वह समझ नहीं पाये, जब नदी का पानी बढ़ता है, तो कटान होती है। इसके कारण लोग बेघरबार हो गये। लेकिन यह सब 5 जुलाई के बाद हुआ।

श्री कुबेर भण्डारी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

सूखा एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु जलाशयों के निर्माण की मांग

*3--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूखा व बाढ़ से निपटने के लिए बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण किये जाने की केन्द्रीय निर्णयानुसार कितने जलाशयों का निर्माण प्रदेश में किया जायेगा ? यदि नहीं किया जायगा, तो क्यों ?

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूखा व बाढ़ से निपटने के लिये बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण किये जाने हेतु कोई केन्द्रीय निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, प्रश्न के माध्यम से मैंने यह जानने का प्रयास किया है कि बाढ़ को नियोजित करने के लिए और बाढ़ के पानी को नियोजित करने के लिए कि सूखे में उसका उपयोग किया जा सके, कोई योजना है ? तो उन्होंने कहा कि शासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मेरी जानकारी को सही मान कर क्या प्रयास करेंगे कि बाढ़ को नियोजित करने के लिए प्रदेश में बड़े-बड़े बांध, जलाशय बनायें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री मित्र सेन--

इस पानी का सदुपयोग करने के लिए केन्द्र या प्रदेश सरकार बड़े-बड़े तालाबों को बनवाने पर कोई विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि अगर जलाशय बड़े-बड़े बन जायं, तो बड़ी-बड़ी नदियों से जो पहाड़ों से आती हैं, उनकी बाढ़ कम हो जायेगी । लेकिन जैसे-जैसे हमारे रिसोंसेज बढ़ते हैं, उसी के अनुसार हम विचार कर रहे हैं । लेकिन जैसे हमारी नदियां नेपाल से आती हैं, तो जब तक नेपाल सरकार से स्वीकृति नहीं मिल जाती, बात नहीं हो जाती तब तक हम सारा काम अपनी ओर से नहीं कर सकते ।

श्री ऊदल--

नेपाल सरकार से अरसा हो गया, 10 वर्षों से जब आप पहले भी मंत्री थे, उसी वक्त से जो नेपाल से नदियां आ रही हैं, उनके जलाशय बनाने, उनसे विद्युत् पैदा करने, बांध बनाने और नहर बनाने की बात बराबर हो रही है, तो उसमें क्या अब तक कुछ प्रगति हुई है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बात तो बराबर चल रही है । अभी हाल ही में अधिकारीगण आये थे, लेकिन अभी कोई पक्की बात बन नहीं पायी है । कोई समझौता नहीं हो पाया है और बात चल रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जलकुण्डी योजना की क्या प्रगति है ।

श्रीउपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह प्रश्न इससे संबंधित है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि नेपाल सरकार से वार्ता हुयी है, तो उन योजनाओं जिनके संबंध में वार्ता हुयी है, उनमें एक यह भी है, तो मान्यवर, इस जलकुण्डी योजना में क्या प्रगति हुयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जलकुण्डी की जो योजना है, उसको अब भालू बांध योजना कहते हैं । उस पर विचार हुआ है । अभी उस पर कोई समझौता नहीं हो पाया है ।

*4--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

यमुना परियोजना की खारा जल विद्युत् परियोजना में गबन एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*5--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि यमुना परियोजना के अन्तर्गत खारा विद्युत् परियोजना में हुए लगभग पचास लाख रुपये के गबन की जांच के सम्बन्ध में कुछ छोटे अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और अतिरिक्त मुख्य अभियन्त एवं गबन से सीधा सम्बन्ध रखने वाले उच्च अधिकारियों को नहीं हटाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सम्बद्ध उच्चतम अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करने की बात शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यमुना परियोजना के अन्तर्गत खारा जल विद्युत् परियोजना के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण जांच के आधार पर नहीं किया गया है ।

कथित गबन तथा विभिन्न शिकायतों की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन), देहरादून द्वारा की जा रही है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मंत्री जी का कहना है कि स्थानान्तरण जांच के आधार पर नहीं किया गया है । जब जाँच बैठायी गयी उसी वक्त निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनका स्थानान्तरण हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि जाँच किस दौर में है, क्या कोई प्राइमाफेसी केस साबित हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा है कि जांच हो रही है । जांच के बाद जो शिकायत पायी जायेंगी, उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जांच किस स्टेज पर है, प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं ? क्या विवरण है, कौन आदमी जांच के लिये बैठाये गये हैं, जांच कहां तक पहुंची है, उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह उत्तर में ही दिया गया है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन) द्वारा जांच की जा रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। रिपोर्ट आने के बाद ही उसके बारे में बताया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है ? आरोप क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आरोप तो बराबर आ रहे हैं। कई लोगों ने आरोप दिये हैं। कई तरह के आरोप हैं। मैं एक आध को पढ़कर सुना रहा हूं। इसमें कहा गया है कि श्री आर० एस० वार्ष्णेय, अधीक्षण अभियन्ता का यमुना प्रोजेक्ट से स्थानान्तरण हो जाने पर इनका कार्य दूसरे अधीक्षण अभियन्ता को सौंपा गया जब कि श्री माजिद अली सिद्दीकी को अधिशासी अभियन्ता होते हुये अधीक्षण अभियन्ता बनाया गया था, क्या कारण है। इस सर्किल में सीनियर अधिशासी अभियन्ता को क्यों नहीं चार्ज दिलाया गया। जब कि श्री माजिद अली सिद्दीकी सीनियर अभियन्ता भी नहीं हैं। इन सब बातों को देखते हुये साफ प्रतीत होता है कि मुख्य अभियन्ता, यमुना प्रोजेक्ट श्री महेन्द्र कुमार संगल आंख मीच कर अपने चाटुकारों को अच्छी जगह देकर सरकार का मनमानी से दोनों हाथों खूब धन लूट रहे हैं। अन्यथा वे श्री एस० पी० गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता से श्री माजिद को चार्ज न दिलवाते और श्री वार्ष्णेय के चार्ज की तरह ही श्री एस० सी० गुप्ता के पास चार्ज रहने देते।

मान्यवर, बहुत लंबे चौड़े आरोप हैं, कई लोगों ने दिये हैं। सारी चीजों की जांच चल रही है।

श्री हर गोविंद वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह ऐसा करेंगे कि जिस अधिकारी के खिलाफ गबन का आरोप लगे और उस पर जांच बैठे उस अधिकारी का और उससे सम्बन्धित कर्मचारियों का तबादला कराकर जांच करायी जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अगर ऐसा कर दिया जायगा, तो हर आदमी दूसरे के खिलाफ दरख्वास्त देता है। दरख्वास्त गलत है और सही भी हो सकती है। इस तरह से प्रशासन के चलाने में कठिनाई होगी। जो अधिकारी गलती करता है और जांच में यदि गलती पायी जाती है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ट्रान्सफर करना ही पनिशमेंट नहीं है।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप हैं उसके रहते जांच नहीं हो सकती है और जांच करने के आदेश कर दें, तो उसके बाद ट्रान्सफर होना आवश्यक है। इसलिये क्या मंत्री जी ऐसा नियम बनायेंगे कि जांच करने के आदेश कर दें तो उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय या मन्त्री जी करप्शन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ गम्भीर आरोप हों और उसकी जानकारी करने के लिये जांच करना पड़े और जांच के बाद मालूम हो जाता है कि आरोप सही हैं तो ट्रान्सफर और पनिशमेन्ट हो सकता है। यह नहीं हो सकता है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो जाय उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय, तो यह प्रशासन के हित में ठीक नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन आरोपों के आधारों पर कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण हुये हैं ? यदि हां, तो वह किस स्तर के अधिकारी हैं और श्री टंडन जिनके खिलाफ आरोप सुनाये हैं क्या कारण है कि और अधिकारियों का ट्रान्सफर हुआ, तो उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, आरोप के कारण ट्रान्सफर नहीं किया गया है, यह उत्तर में भी लिखा हुआ है।

*6--श्रीमती गौरी देवी--

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इटावा क्षेत्र, परिवहन निगम में परिचालकों का चयन

*7--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अभी हाल में इटावा रीजन में 392 परिचालकों का चयन किया गया था और जब इन लोगों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया तब पूरा चयन निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो प्रशिक्षण के उपरान्त चयन निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। वर्ष 1980-81 में इटावा क्षेत्र में परिचालक पद के लिए चयन हुआ। चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या 414 थी। इनमें से 271 को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया गया, 122 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और इनमें से 87 को समय-समय पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति भी दी जाती रही। चयन में हुई अनियमितता के कारण प्रधान प्रबन्धक ने आदेश दिनांक 15-7-1980 द्वारा इन सभी चयनों को निरस्त कर दिया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, इटावा रीजन के रीजनल मैनेजर ने यह चयन किया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और अनियमितता के कारण प्रधान प्रबन्धक ने आदेश, दिनांक 15 जुलाई, 1980 द्वारा इन सभी चयनों को निरस्त कर दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनियमिततायें थीं और उनमें किस प्रकार की जांच की गयी कि वास्तव में वह आरोप सही हैं या किन्हीं कारण कुछ लोगों के लड़कों का चयन नहीं हो पाया, इस कारण यह किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह शिकायत आयी और इस हाउस में भी इस सम्बन्ध में यह सवाल हो चुका है। इसमें देखा गया कि अनियमिततायें की गयी हैं, उसमें हरिजनों को जितना रिजर्वेशन का कोटा देना चाहिये, वह नहीं दिया गया और सेलेक्शन जिस तरह से होना चाहिये, वह नहीं किया गया, इसलिये अनियमिततायें पायी जाने के कारण चयन को निरस्त किया गया।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि एक तो प्रश्न का उत्तर आप देखें, तो उत्तर में कहा गया है कि चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या 414 थीं। इनमें से 271 को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया गया, 122 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और इनमें से 87 को समय-समय पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति भी कर दी जाती रही। चयन में हुई अनियमितता के कारण प्रधान प्रबन्धक ने आदेश, दिनांक 15 जुलाई, 1980 द्वारा इन सभी चयनों को निरस्त कर दिया। क्या इस उत्तर का कोई अर्थ होगा यह तो विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कि निरस्त कर दिया गया और दूसरी तरफ कहते हैं कि 414 में से 122 ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और इनमें से 87 को दैनिक वेतन पर नियुक्ति भी दी जाती रही। तो कौन सी बात सही है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्रशिक्षण पर सरकारी धन का अपव्यय हुआ, उस के निरस्त करने पर, उसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जायेगा, किससे उस की वसूली की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जो 15 जुलाई, 1980 के आदेश निरस्त के थे इनसे पहले ये प्रशिक्षण कर चुके थे। जो बातें आपने कहीं वह पहले हो चुकी हैं।

श्री कन्हैया लाल--

उपाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 392 परीक्षार्थियों का जो चयन हुआ और उनको प्रशिक्षण दिया गया, तो कितना पैसा इनके प्रशिक्षण में सरकार का व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात माननीय सदस्य समझे नहीं। यह वेटिंग लिस्ट होती है, कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी सब को दे दी गयी....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रतीक्षा सूची में लोग रखे गये थे। जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया उन पर व्यय के बारे में मैं जानकारी करा लूंगा कि कितना पैसा व्यय हुआ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जो माननीय सदस्य कहते हैं कि नौकरी दे दी गयी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि इस प्रश्न से सम्बन्धित हर रीजन से ऐसी शिकायतें आई थीं, तो इस जनप्रिय सरकार के आने से पूर्व क्या अधिकारियों ने पैसा ले कर के इस में नियुक्तियां करनी शुरू कर दी और पुनः इस सरकार ने कुछ जगहों में पहले हुई शिकायतों पर और बाद में होने पर स्वयं रूचि ले कर निरस्तीकरण के आदेश दिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप ने तो आरोप लगाया है। इस में प्रश्न बना नहीं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मन्त्री जी उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर तो देंगे ही। आप प्रश्न पूछिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रीजन में बस परिचालकों का चयन होने के बाद उनको नहीं लिया गया, इस आरोप के पीछे क्या शासन ने स्वयं जांच कर के उन तथ्यों पर अपनी निगाह रखी है कि वास्तव में ये शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो शासन इस दिशा में क्या करने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सब बातों की जानकारी करने के बाद ही निरस्त किया गया और जिस तरह की अनियमिततायें हुई हैं, कोशिश की जायेगी कि भविष्य में वे न होने पायें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जो 122 लड़कों की नियुक्तियां हुईं, उन नियुक्तियों पर जो चयन हुआ, वह मेरिट लिस्ट के अनुसार हुआ कि नहीं और वे 122 लड़के किस रूल के अन्दर काम कर रहे हैं....?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने साफ कहा कि इसमें यह 122 प्रशिक्षण प्राप्ति के लिये थे और 87 आदमी को डेलीवेजेज पर रखते रहे। (व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

उत्तर में यह कहा कि सूची इसलिये निरस्त की गयी कि बैकवर्ड क्लासेज को प्रापर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया लेकिन इसमें विसंगति यह है कि उसी सूची में से 90 आदमी जो मेरिट के हिसाब से नीचे थे वह लखनऊ में दैनिक भत्ते पर काम कर रहे हैं ? और उनको सेक्योरिटी जमा करा दी गयी, तो यह क्यों किया गया और इसके अतिरिक्त 15 जुलाई, 1980 के आदेश के बाद शिकोहाबाद में जो टाप पर थे उन्हीं में से कुछ लोगों की नौकरी दी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी सूचना नहीं है । अगर किसी अधिकारी ने इस तरह की कार्यवाही की होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री जैराज गौतम--

जो उत्तर दिया गया कि अनियमित ढंग से चयन करने का आर्डर था उसे निरस्त किया गया तो अनियमित ढंग से चयन करने के लिये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान तथा शोरगुल)

(कोई ने उत्तर नहीं दिया गया) (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर इस तरह से आप लोग खड़े हो जायेंगे, तो सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल हो जायेगी ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

15 जुलाई, 1980 को यह सारा चयन स्थगित किया गया लेकिन उसमें जो वरीयता के आधार पर नीचे के लोग थे, उनमें आज भी 87 लोग लखनऊ डिपो में काम कर रहे हैं, तो किस आधार पर वरीयता बदली गयी ? दूसरे क्या यह सही है कि 15 जुलाई, 1980 को प्रबन्धक ने चयन निरस्त कर दिया फिर भी 21 जुलाई, 1980 तक शिकोहाबाद तथा इटावा में कुछ लोगों की सेक्योरिटी जमा करा ली गयी ? और जैसा कि माननीय काशी नाथ जी ने एक मौलिक बात कही है, मैं जानना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में चयनों में खुले रूप से धांधलेगर्दी हो रही है और ला आफ जंगल चल रहा है, इसलिये क्या आप कोई उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ताकि उसका पर्दा-फाश हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है, उसके बारे में मैंने निवेदन किया कि यह सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है और इसकी जानकारी करके मैं देखूंगा कि जो लोग जानबूझकर 15 जुलाई के बाद निरस्त किये गये हैं और उसके बावजूद भी प्रधान प्रबन्धक के आदेशों का पालन नहीं किया गया है, उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

इस पर नियम 49 में चर्चा करा दीजिये ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मन्त्री जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है । इस पर चर्चा करा दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें और सदन की कार्यवाही चलने दें ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है । साथ ही जब अध्यक्ष खड़े हों तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

इसमें आधे घन्टे की चर्चा होनी चाहिए ।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, इसमें आधे घन्टे की चर्चा करा दें ।

एक सदस्य--

इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्य चाहते हैं कि आधे घन्टे की चर्चा होनी चाहिए. . . .(व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा के विषय में आप सूचना लिखकर दे दें । उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा । (व्यवधान) । दोनों पक्ष के लोग दे दें । बिना लिखकर देने के नहीं होगा ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

इस पर आप आधे घन्टे की चर्चा दे दें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

इस पर चर्चा (डिसकसन) होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि लिख कर दीजिये, मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। इसके बाद भी अगर बोलेंगे, तो विचार नहीं किया जायेगा ।

अल्मोड़ा जिले के मरचूला-मनीला एवं बरकिण्डा-स्यालदे-देघाट मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

*8--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में निर्मित मरचूला--मनीला मार्ग (2) बरकिण्डा--स्यालदे-देघाट

मार्ग को पक्का करन का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो ये मार्ग कब तक पक्के हो जायेंगे ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जनपद अल्मोड़ा की रानीखेत तहसील म 'मरचूला--मनीला' मोटर मार्ग पक्का किया जा रहा है। मार्ग 6 किलोमीटर तक पक्का किया जा चुका है और उसके आगे 4 किलो मीटर पक्का करने का कार्य हो रहा है।

सम्प्रति बरकिन्डा-स्यालदे-देघाट मार्ग को पक्का किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मरचूला मार्ग कितने साल में पूरा होगा, इसकी, कुल कितनी लम्बाई है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

माननीय सदस्य प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह सड़क 54 कि0 मी0 लम्बी है और सन् 62 से बनी हुई है। मंत्री जी कहते हैं कि 6 कि0 मी0 पक्की है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भाषण न करें।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मरचूला-मनीला मार्ग कितने साल म पक्का हो जायेगा। बरकिन्डा-स्यालदे-देघाट के लिए तो कहते हैं कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मरचूला-मनीला मार्ग कितना लम्बा है ? और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मरचूला--मनीला मार्ग की लम्बाई लगभग 36 कि0 मी0 है उसमें से 6 कि0 मी0 पक्का किया जा चुका है और आगे 4 कि0 मी0 पक्का किये जाने के लिए फरवरी, 79 में 8 लाख की स्वीकृति दी थी। इस कार्य में जुलाई, 80 तक 2 लाख 76 हजार रु0 व्यय किये जा चुके हैं, बाकी कार्य प्रगति पर है जो 81 तक पूरा हो जायेगा।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

पूरी सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ? 4 कि0 मी0 की रफ्तार से यह कार्य कैसे पूरा होगा ? (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि इस रफ्तार से कितने वर्षों में यह मार्ग पक्का होगा ?

श्री पन्ना मोहन सिंह नेगी—

मैंने कहा 10 कि0 मी0 81 तक प्रश्न हो जायेगा, इसके बाद फिर करेंगे ।

आचार्य नरेन्द्र देव किसान डिग्री कालेज, बभनान, जिला गोन्डा के लिये हरिजन छात्रावास की मांग

*9—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आचार्य नरेन्द्र देव किसान डिग्री कालेज, बभनान, जिला गोन्डा के हरिजन छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास का निर्माण कराये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन विधायक श्री सुखपाल पाण्डेय के अगस्त, 1977 से जुलाई, 1980 तक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

आचार्य नरेन्द्र देव किसान डिग्री कालेज, बभनान, जिला गोंडा में हरिजन छात्रावास निर्माण कराये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि शासन की नीति केवल जिला मुख्यालयों पर ही हरिजन छात्रावासों का निर्माण कराये जाने की है । इस सम्बन्ध में प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन विधायक श्री सुखपाल पान्डे के पांच प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए किन्तु शासन की उक्त नीति के कारण बभनान में हरिजन छात्रावास के निर्माण कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने कहा कि शासन की नीति है कि हर जिला मुख्यालय में हरिजन छात्रावास बनायेंगे तो क्या इसके अन्तर्गत गोन्डा मुख्यालय में कोई छात्रावास बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, गोन्डा मुख्यालय में छात्रावास बनाने का विचार शासन के विचाराधीन है ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि यदि कोई प्रबन्ध समिति हरिजन छात्रावास के लागत की 10 प्रतिशत राशि जमा कर दे और उसके हेतु भूमि उपलब्ध करा दे तो उस विद्यालय के लिए आप हरिजन छात्रावास बनवा देंगे ? और क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इसके अन्तर्गत माननीय सुखपाल पान्डेय जी ने इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र दिया था और यह भी सूचित किया था कि उस हेतु भूमि उपलब्ध है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, यह सुखपाल पान्डेय जी का जो प्रार्थना-पत्र आया था, उसके बारे में, उस उक्त शासन की जो नीति थी, उससे सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण ने उन्हें सूचित कर दिया था कि वहां बभनान में कोई एसा छात्रावास नहीं बन सकता है। लेकिन गोन्डा में बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसमें 10 प्रतिशत की भी कोई बात नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

क्या यह नीति उन्होंने निर्धारित की है कि सिर्फ मुख्यालय पर ही यह छात्रावास बनाए जाएंगे, जबकि आप इससे सहमत होंगे कि देहात में छात्रों को इनके बिना ज्यादा असुविधा होती है और देहातों में जातीय भावना भी अधिक होने से हरिजन छात्रों को आवास की बड़ी कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या इस निर्णय में परिवर्तन की आवश्यकता आप समझते हैं या नहीं कि जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त भी देहातों में इस प्रकार के छात्रावास बनवाए जाएं?

श्री छेदा लाल चौधरी--

अभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, पहले मुख्यालय पर बन जाने दें, फिर दूसरी जगह पर विचार होगा।

*10--श्री सरजू प्रसाद सरोज--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*12--श्री लटूरी सिंह--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

* 13--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

बुन्देलखण्ड में विचाराधीन पंचनद बांध परियोजना

*14--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा तथा श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड में सिंचाई साधनों की पूर्ति हेतु पंचनद योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यमुना नदी पर पंचनद बांध परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना पर कुछ प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया गया है। अभी तक परियोजना की साध्यता सिद्ध नहीं हो पायी है। इस परियोजना का और विस्तृत सर्वेक्षण आवश्यक है। परियोजना की साध्यता सिद्ध होने पर उसके कार्यान्वयन पर विचार किया जायेगा।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पंचनद बांध परियोजना शासन के समक्ष कब से विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कई वर्षों से इसकी जांच चल रही है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना जो विचाराधीन है वह उनके कार्यकाल में पूरी हो जायेगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

चूंकि यह प्रश्न हमारे क्षेत्र का है और हमारे क्षेत्र को पांच नदियों से सम्बन्धित है, इसलिए हमारी जानकारी है कि पंचनद बांध परियोजना सन् 75 से प्रारम्भ हुई और यहां एक सर्वे डिवीजन काम कर रहा है, एक सर्किल खुल गया है, एक एस० ई० भी है वहां, तो जो आप कह रहे हैं कि रौक्स नहीं मिल रहा है, तो क्या आपके उच्चाधिकारी वहां वास्तव में गये हैं और यह भी देखा है कि ड्रिलिंग हो भी रही है या केवल यह कहा जा रहा है कि रौक्स नहीं मिल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य की यह बात सही है कि इस पर सर्वेक्षण का काम हो रहा है । हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वे मौके पर गये थे और छिद्रण भी हुआ था लेकिन बांध कहां पर बने इसके लिए अभी तक कोई स्थान निश्चित नहीं हुआ है । जब तक कोई चीज तय न हो जाय तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री शंकर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पंचनद में कौन-कौन सी नदियां आती हैं और क्या इनका सर्वेक्षण हो गया है ? यदि हां, तो जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वह कब तक पूरा हो जायेगा । बुन्देलखंड में सिंचाई के साधनों का अत्यन्त अभाव है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कोई समय निर्धारित करेंगे कि इतने समय में सर्वेक्षण कराकर काम आरम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जमुना, चम्बल, कुमारी, सिंध और पहुंच । इनमें काम हो रहा है । अभी इस पर विचार हो रहा है कि बांध किस जगह पर बनाया जाय और उसकी फाउन्डेशन कहां बन सकती है ।

*15--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शारदा नहर, संडीला, हरदोई के अधिशासी अभियन्ता, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया के विरुद्ध शिकायत

*16--श्री खान गुफरान जाहिदी--

क्या सिंचाई मन्त्री के ज्ञान में है कि तृतीय उपखंड शारदा नहर, संडीला हरदोई, के किसी सहायक अभियन्ता ने 28-6-1980 को उच्च अधिकारियों तथा शासन को टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि हरदोई खंड, शारदा नहर, हरदोई के अधिशासी अभियन्ता (श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया) ने कार्यों में हेरा फेरी करके लाखों रुपयों का घोटाला किया है ? यदि हां तो सहायक अभियन्ता की शिकायत पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूतपूर्व सहायक अभियन्ता, तृतीय उप खण्ड, संडीला, शारदा नहर खंड, हरदोई का तार दिनांक 28-6-80 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उत्तर) को प्राप्त हुआ था और वे उस पर सहायक अभियन्ता से पूछताछ करके उचित कार्यवाही अपने स्तर से कर रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र --

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच विभागीय स्तर से करा रहे हैं । श्री डी० डी० सानवाल, एडिशनल चीफ इन्जीनियर द्वारा कि श्री बेग ने 18-7-80 को और 7-8-80 को श्री भदौरिया, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और श्री सोलंकी, अधिशाशी अभियन्ता के विरुद्ध कुछ एलीगेशन लगाये है । हरदोई के कुन्डा प्रोजेक्ट में जिसके लिए 19 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था और जिसका चार्ज पहले श्री आर० सी० श्रीवास्तव के हाथ में था उसने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 113 रुपये के हिसाब से झांसी से पत्थर लिया गया, फिर 176 के हिसाब से शंकरगढ़ से और फिर इसी प्रोजेक्ट के लिए भदौरिया साहब ने 299 रुपये के हिसाब से पत्थर खरीदा जिससे 5 लाख रुपये का खर्चा हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह तो आप सूचना दे रहे हैं, यह प्रश्न नहीं हुआ है ?

श्री नरेश चन्द्र --

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एलीगेशन एसिस्टेन्ट इन्जीनियर ने 18-7-1980 और 7-8-1980 को लगाये थे, उनमें क्या-क्या एलीगेशन्स थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसीलिए इस मामले में विलम्ब हो रहा है । उसने जो सूचना दी थी, उसमें कोई स्पेसिफिक चार्जेज नहीं लगाये थे। उसने सील करने के लिए कहा था वह कर दिया गया । मुख्य अभियन्ता ने पूछा है कि क्या-क्या गड़बड़ियां हैं, वे बतायी जायं ताकि उनके अनुसार कार्यवाही करायी जा सके ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वहां का सहायक अभियन्ता कितना अनुशासित है, कि वह शासन को तार देता है या जिसको चाहता है तार दे देता है, तो क्या माननीय मन्त्री

जी को जानकारी है कि ये जो तथ्य लाये गये हैं, उसी शिकायत के आधार पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा उसकी जांच हो चुकी है, टेक्निकल आडिट सेल द्वारा भी जांच हो चुकी है । लखीमपुर खीरी के अधिशासी अभियन्ता....

श्री वीर बहादुर सिंह—

उसकी जांच की जा चुकी है । शिकायतें होती रहती हैं और जांच भी होती रहती है । यहां पर सवाल इतना ही है कि जो सहायक अभियन्ता ने तार दिया है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है । जब उसने कोई स्पेसिफिक कम्पलेन्ट नहीं दी और केवल सील करने की बात कही, तो मुख्य अभियन्ता ने उससे कहा है कि वह स्पेसिफि बातें बतायें ?

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या इस तरह के तथ्य माननीय मंत्री जी की जानकारी में भी लाये गए ? यदि नहीं, तो तथ्यों पर पर्दा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? संयाल से ज्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी सिंचाई विभाग में कोई नहीं है और उनके सारे कारनामों की कहानी मंत्री जी के सामने मैं पेश कर चुका हूं । वे तमाम रुपया हड़प गए हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य ने एक सूचना दी है, मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

जो मुख्य अभियन्ता इसकी जांच कर रहे हैं, उन्होंने अपने आदेश में यह बात कही है, जिनके खिलाफ चार्जशीट लगी है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाय ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, तो उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री नरेशचन्द्र—

इन्हीं अधिशासी अभियन्ता ने 82 लाख रुपये का घपला किया था और सतर्कता आयोग द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए थे, पर नीचे के तो 2 के ट्रान्सफर कर दिए गए, इनका ट्रान्सफर नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच के दौरान जब आवश्यक समझा जाता है तो ट्रान्सफर किया जाता है ।

(व्यवधान)

मझवारा माइनर, सुल्तानपुर के निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा

*17—श्री जै राज गौतम—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा माइनर, सुल्तानपुर (अमेठी) के निर्माण में जिन किसानों की भूमि ले ली गई थी क्या उनके मुआवजे

का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

मझवारा माइनर की विज्ञप्ति धारा 6(1) उत्तर प्रदेश गजट में 26-7-80 को ही प्रकाशित होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका । शीघ्र प्रतिकर दिए जाने हेतु उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके है ।

श्री जै राज गौतम--

मझवारा माइनर के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई, उनके खातों से उस जमीन को काट दिया गया या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस मझवारा माइनर के बारे में धारा-6 के अधीन दिनांक 26-7-80 विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित हो गई है, आगे की कार्यवाही अब की जायेगी ।

श्री प्रियदर्शी जैतली--

इस बात को देखते हुए कि नहर विभाग जिन किसानों की जमीन ले लेता है, वह परमानेन्ट अधिग्रहण हो या टेम्पोरेरी हो, उसके मुआवजे की अदायगी सही तरीके से नहीं होती तथा उनके खातों से भी उस जमीन को नहीं काटा जाता है, जिसके कारण अधिग्रहण की हुई जमीन पर भी किसानों को लगान देना पड़ता है, तो क्या मंत्री जी इसके लिए कोई आदेश प्रसारित करेंगे जिससे यह गलती भविष्य में ठीक हो सके और भविष्य में इस तरह की शिकायत न हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो परेशानी किसानों को हो जाती है, इस सम्बन्ध में कोशिश किया जायगा कि भविष्य ऐसी में परेशानी न हो ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

कुमायूं मोटर यूनियन के ड्राइवरों एवं कर्मचारियों की कथित हड़ताल

**1--श्री धन्नन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मन्त्री को इसकी जानकारी है कि कुमायूं मोटर यूनियन के ड्राइवरों तथा कर्मचारियों द्वारा आज कल हड़ताल कर (30 जुलाई, 1980 से) दिए जाने से आवागमन के लिए संकट है ? यदि हां, तो हड़ताल का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 30 जुलाई, 1980 से कुमायूं मोटर यूनियन के ड्राइवरों तथा कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई है ।

भूगर्भ विज्ञान वेत्ता, डा0 खड़ग सिंह बल्दिया का नैनीताल नगर की भूगर्भीय दरारों के सम्बन्ध में कथित बयान

**2—श्री गोवरधन—

क्या सरकार को जानकारी है कि विख्यात भूगर्भ विज्ञान वेत्ता, डा0 खड़ग सिंह बल्दिया ने कुछ समय पूर्व अपने विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् नैनीताल नगर की भूगर्भीय दरारों के नदी के रूप में परिणित होने की शंका ही नहीं प्रकट की थी बल्कि यह भी कहा था कि नगर और तालाब के दो हिस्सों में बंट जाने का खतरा है ? तथा यह भी कहा कि नगर की सभी मकान व सड़कें धंस रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वस्तुस्थित पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

डा0 बल्दिया ने ऐसा कोई 'स्टेटमेन्ट' नहीं दिया था । अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री गोवरधन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि डा0 खड़ग सिंह बल्दिया की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की और एक रिपोर्ट प्रश्न से सम्बंधित विषय पर दी थी ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की क्या रिपोर्ट इस विषय पर दी गयी ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

डा0 खड़ग सिंह बल्दिया ने दिनांक 12-5-1979 को यूसुफ मेहर अली सेन्टर नैनीताल व इसके पूर्व रोटरी क्लब में कुमायूं लोअर हिमालय स्थायित्व दशा पर एक भाषण दिया था, जिसके सम्बन्ध में विभिन्न समाचार-पत्रों में एक भ्रामक और गलत समाचार छपा था कि नैनीताल भूगर्भ में समा जायेगा । जब कि भूगर्भ विज्ञान वेता ने जो बात कही वह केवल यह है कि नैनीताल की धरती दरारों से कटी फटी है और चट्टानें कमजोर हो गई हैं । बरसाती पानी के निकास में बाधायें पैदा हो गई हैं और अनेक स्थानों में भूस्खलन के चिह्न प्रकट हो रहे हैं इसलिए सड़कों, मकानों और भारी निर्माण कार्यों को बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए तथा पानी के बहाव के लिए उचित प्रबन्ध होना चाहिए। डा0 बल्दिया ने समाचार-पत्रों में छपे भ्रामक और गलत समाचार का प्रतिवाद भी किया था । माननीय सदस्य अगर जानना चाहें तो स्वतन्त्र भारत 11 मई, 1979 में यह छपा था, जिस सन्दर्भ में शायद आपने प्रश्न किया है । लेकिन उसका कंट्राडिक्शन उन्होंने 14-5-79 को नव भारत टाइम्स को लिखकर किया है और उसमें कहा गया है कि 14 मई के अंक में नैनीताल के सम्बन्ध में एक नितान्त भ्रामक और गलत समाचार छपा है । नैनीताल भूगर्भ में समा जायेगा । न्यू क्लब में आयोजित एक सभा में मैंने तो केवल इतना कहा था कि नैनीताल की धरती दरारों से कटी-फटी है, चट्टानें कमजोर हो गयी हैं । बरसाती पानी के निकास में बाधायें पैदा हो गयी हैं और अनेक स्थानों में भूस्खलन के चिह्न प्रकट हो रहे हैं । मैंने यह नहीं कहा कि "विनाश की आशंका बलवती है और न ही ऐसे दरार का उल्लेख किया जो फतेहपुर होते हुए पीलीभीत तक गयी है । वह यह बयान छपा था अखबारों में जिसका उन्होंने कंट्राडिक्शन किया था ।

श्री गोवरधन--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस सम्बन्ध में प्रश्न हाल ही में संसद में भी उठा था और उस पर चर्चा संसद में हुई थी और भारत सरकार ने इस पर जांच करने के लिए कहा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मुझे जानकारी तो नहीं है । लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि एक समिति गठित की गई थी और उसने अपनी रिकमेंडेशन भी दी है । वह समिति 21-5-79 को गठित की गई थी । कुमायूं मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में उसने जो रिकमेंडेशन दी है, मुख्य रूप से यह है, जो वहां पर जिस तरह से व्यक्त की गई थी नैनीताल की हिल में सिल्ट जमा हो रही है और एक बनस्पति पैदा हो रही है । अंग्रेजी में अगर आज्ञा दें तो पढ़ दूं ।

The growth of that "Potamageton Pactinatus' is older then civilization and is not in any way indicative of coming earthquake. However, the growth of this need over wider areas along the peripherics does indicate organic pollution. The pollution is mostly as a result of poor sanitary conditions in the town as well as defective sewer system.

पलूशन के सम्बन्ध में उन्होंने यह किया । किन्तु फिर भी उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किये जायें । इस सम्बन्ध में यह मामला विचाराधीन है । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री चारु चन्द ओझा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि हिमालय के सम्बन्ध में समय-समय पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि हिमालय के अन्दर एक प्रकार से जो उथल-पुथल हो रही है, जिसके कुछ हिस्से धंस गये हैं । इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के कुछ गांव भी पूरे-पूरे धंस गये हैं । इसी प्रकार से हिमालय में अभी कुछ दिन पूर्व जो भूकम्प आये, उनसे भी गांव के गांव धंस रहे हैं और जो भू-स्खलन हुए हैं, उनसे भी काफी नुकसान हुए हैं । इस तरह से तीन चीजें घटी हैं, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वे इन तीनों घटनाएं जो घटी हैं, इनके सामने रखते हुए जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, दरअसल यह विषय बड़ा गम्भीर है भूकम्प आये और भू-स्खलन भी बड़ी मात्रा में आये हैं । यह सब चिन्ता का विषय है । इसके लिए जांच हो रही है, रिपोर्ट आ जाने पर आपके समक्ष रख दी जायेगी । यदि आप लोग इससे सन्तुष्ट नहीं होंगे, तो इस सम्बन्ध में विधायक साथियों से परामर्श करने के बाद तकनीकी लोगों से भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

29 तारीख को भूकम्प आया, इसके बारे में क्या शासन को पूर्व में कोई जानकारी थी ? मान्यवर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली आदि जगहों पर जो नुकसान हुए हैं, तो क्या माननीय मंत्री या शासन को कोई जानकारी इसकी पूर्व में थी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, सरकार को तो जानकारी नहीं थी । लेकिन शायद माननीय सदस्य को जानकारी रही हो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के सम्बन्धित उत्तर के बारे में जानकारी चाहता हूं कि डाक्टर बलिदया द्वारा जो सुझाव दिये गये और सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया, जिसका उसने प्रतिवाद नहीं किया, तो उस कमेटी के सुझावों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है और उसके लिए अब फिर कमेटी बनाये जाने के क्या कारण है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, जो घास, जो प्लांट वहां उग आयी हैं । उसको हटाने की कार्यवाही की जा रही है । लेकिन जो घास वहां उग रही है, उससे कोई खतरा वैसे उत्पन्न होने वाला नहीं है, बल्कि गंदगी उसकी वजह से फैल रही है, इसलिए तकनीकी जांच कराई जा रही है । उसकी सूचना प्राप्त हो जाने पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है । फिलहाल जिलाधिकारी के आदेशों से मकान आदि के निर्माण के लिए रोक लगा दी गई और यदि दो-तीन सालों के अन्दर कोई बात सामने नहीं आयेगी, तो फिर दिखवा लेंगे और जो कार्यवाही होगी वह करायेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

टिहरी बांध की बाई आवर्तन सुरंग का निर्माण

2--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध की बाई आवर्तन सुरंग में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख से और यह कार्य कितनी अवधि के लिए बन्द किये जाने के आदेश हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

3--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[5वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

4--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

5--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

6--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

केन्द्रीय कारागार बरेली में आजीवन कारावास के बन्दी

7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति केन्द्रीय कारागार, बरेली में ऐसे कितने बन्दी हैं जो आजीवन कारावास की सजा में बन्द हैं परन्तु जेल रिकार्ड गणना के अनुसार 20 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी––

केवल एक बन्दी है ।

8–श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र, आजमगढ़ में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप का कथित निर्माण

9–श्री दल सिंगार यादव––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र, आजमगढ़ में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप लगाने का सरकार ने निर्णय वर्ष 1972 में लिया था ? यदि हां, तो, 25–7–80 तक इस इलाके में कितने नलकूप लगे और अभी कितने लगने बाकी हैं ? क्या इस क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिये कोई सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

गोपालपुर निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप लगाने का सरकार ने वर्ष 1972 में कोई निर्णय नहीं लिया था । अतः दिनांक 25–7–80 तक नलकूपों के लगाये जाने व सर्वे कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उन्नाव जिले की आसीवन बांध सम्बन्धित जैतीपुर राजबहा एवं अजगैन माइनर की रिमाडलिंग

10––श्री सच्चिदानन्द––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की आसीवन बांध तथा उससे सम्बन्धित जैतीपुर रजबहा अजगैन माइनर आदि की रिमाडलिंग पर वर्ष 1979–80 में किस-किस मद में कितना कितना धन व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

कोई व्यय नहीं किया गया ।

11–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्रीमती गौरी देवी––

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

बाराबंकी जिले की अशोक ड्रेन से फसल एवं मकानों को क्षति

12—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षा तथा नहरी पानी के निकास के लिये जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर में अशोकपुर ड्रेन का निर्माण सरकार द्वारा सन् 1962 में कराया गया ? यदि हां, तो क्या उसके त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण सन् 1970 से अब तक होने वाली भीषण वर्षा तथा जल भराव के कारण अशोकपुर और उसके पास-पड़ोस के दर्जनों गांव प्रभावित हुए जिसके कारण वहां किसानों की सारी फसल तथा चौथाई मकान नष्ट हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त ड्रेन का निर्माण सही कराया गया था परन्तु क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण ड्रेन की क्षमता से अधिक पानी का शीघ्र निकास न हो सका जिसके कारण कुछ मकान तथा फसल नष्ट हो गयी ।

गोरखपुर—खोराबार, सेवई बाजार, खजनी मार्ग, जिला गोरखपुर पर सिटी बस सेवा की मांग

13—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर में खोराबार, सेवई बाजार, खजनी और कालेसर तक गोरखपुर से सिटी बसें चलाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

गोरखपुर में गोरखपुर से खोराबार, सेवई बाजार, खजनी और कालेसर ग्रामीण मार्ग है । इन पर ग्रामीण सेवायें चलायी जा रही हैं । इन मार्गों पर नगर बस सेवा चलाना संभव नहीं है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम गजपुर एवं भरवलिया में ठोकर का निर्माण

14—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गजपुर एवं भरवलिया, जिला गोरखपुर के राप्ती नदी के कटाव से बचाने हेतु कितने ठोकरों का निर्माण होना निश्चित था ? क्या उन ठोकरों का निर्माण समय से हुआ है यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार लगे ठोकरों की जांच करायेगी जिसमें भारी घोटाले की आशंका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम गजपुर में 3 ठोकरें और ग्राम भरवलिया में 2 ठोकरें बनी निश्चित थीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

गोरखपुर–गोला मार्ग पर निजी बसों के चलने से परिवहन निगम को क्षति

15––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर–गोला मार्ग पर जो प्राइवेट बसें चलाई जाती हैं उससे सरकार को कितनी हानि प्रति वर्ष होती है ? क्या इस मार्ग पर सरकार उत्तर प्रदेश राजकीय बस निगम की बसें चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण गोरखपुर–गोला मार्ग पर निजी बसें चलाई जा रही थी, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 13,48,310 रु0 की हानि परिवहन निगम को हो रही थी । अब इस मार्ग पर दिनांक 14–8–80 से निगम की बसें संचालित की गई है ।

गोरखपुर जिले में भौवापार बेला बांध का निर्माण

16–)––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले का भौवापार बेला बांध का निर्माण कार्य जुलाई सन् 1980 में सिंचाई मंत्री द्वारा रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों व ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

भौवापार बेला बांध की रीच 0–0 से 1–1 तक चल रहे निर्माण कार्य को स्थानीय जनता द्वारा बांध के समरेखन पर विवाद होने के कारण माह जुलाई 80 से काम रोक दिया गया था । किसानों व ग्रामीणों को जुलाई 80 के अन्त तक क्षति नहीं हुई ।

17––श्री फखरे आलम––

[5वां मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले में नलकूपों का छिद्रण

18––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1979–80 में गोरखपुर जिले में कितने सरकारी नलकूपों का छिद्रण किया गया और कितने स्वीकृत थे ? 15 जुलाई, 1980 तक कितने नलकूप कक्षों का निर्माण नहीं हुआ तथा विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया और इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

गोरखपुर जनपद में वर्ष 1979–80 में 49 राजकीय नलकूपों का छिद्रण कार्य किया गया है । उक्त वर्ष में 48 राजकीय नलकूप स्वीकृत थे ।

15 जुलाई, 1980 तक 23 नलकूप कक्षों का निर्माण नहीं हुआ है । केवल 2 नलकूपों का उर्जीकरण किया गया है । इस कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

परिवहन निगम, आजमगढ़ मन्डल में बस कन्डक्टरों का साक्षात्कार

19--श्री झिलमिट राम--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी-मार्च, 1980 में आजमगढ़ रीजन में बस कन्डक्टरों का जो साक्षात्कार के बाद चयन हुआ था और जिनसे एक हजार रुपया प्रति अभ्यर्थी जमानत का जमा करा कर ट्रेनिंग में भेजा गया था, उनमें से कितने अभ्यार्थियों की बस कन्डक्टर के पद पर नियुक्ति कर दी गयी और जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर नहीं लिया गया, उनके ड्यूटी पर न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जिले के ग्राम देवराई तथा मगारी में मुसहर बस्ती के निर्माण का प्रस्ताव

20--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई व गांव मंगारी ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में मुसहर बस्ती बनाने के लिये पांच-पांच परिवारों के लिए धन की स्वीकृति सन् 1978-79 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सिर्फ 6 माह के लिये खाने एवं पशु पालन में गाय तथा पेयजल में एक कुयें की अधूरी व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो मकान अब तक न बनाने का कारण क्या है और यह कब तक बन जायेगा ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सन् 1978-79 में स्वीकृत धनराशि से गांव देवराई तथा मंगारी के पांच-पांच मुसहर परिवारों को 6 मास के लिये भरण पोषण की धनराशि का पूरा भुगतान कर दिया गया था और प्रत्येक परिवार को एक गाय भी खरीद कर दे दी गयी थी । इन परिवारों के लिये 10 आवास गृहों तथा दो कुओं के निर्माण के लिये 33 हजार रुपये की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी को 28 फरवरी, 1979 को भुगतान कर दिया गया था । उन्हे आदेश दे दिये गये हैं कि वे निर्माण कार्य यथाशक्ति शीघ्र सम्पन्न करायें ।

उन्नाव जिले का चिरैया नाला व बुदवा ड्रेन

21--श्री सच्चिदानन्द--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में चिरैया नाला और बुदवा ड्रेन के मिलाप के स्थान पर लम्बी ग्रेडर लगाया जाना था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब हुए थे और अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग को सीमेन्ट का आवंटन

22--श्री ओम प्रकाश--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष अप्रैल, 1978 से मार्च, 1980 तक सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने कितने टन सीमेन्ट की मांग शासन को भेजी और इस मांग के विरुद्ध इस अवधि में कितना टन सीमेन्ट आवंटित किया गया ? क्या यह सच है कि तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने विभाग को आवंटित सीमेन्ट की कटौती की संस्तुति भी शासन से की ? अगर हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अप्रैल, 1978 से मार्च, 1980 तक सिंचाई विभाग द्वारा भारत सरकार से 19,09,605 मै0 टन सीमेन्ट की मांग की गयी जिसके विरुद्ध भारत सरकार ने 10,80,204 मै0 टन सीमेन्ट का आवंटन किया ।

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

वाराणसी जिले के विकास खन्ड पिन्डरा एवं बड़ागांव के अन्तर्गत मुसहर बस्ती के निर्माण की मांग

23--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पिन्डरा तथा गांव शाहपुर, कंझोर, मरुई थाना ब्लाक पिंडरा तथा गांव तरसड़ा, कुड़ी, अनेई, भरथीपुर खरियां, तालुके, बिरांव, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी की मुसहर बस्ती को बनाने तथा उन्हें पुनर्वासित करने हेतु पशु पालन, उद्योग तथा पेयजल की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी नहीं ।

वाराणसी जिले के पिण्डरा नाला, रामपुर नाला एवं बरहीकला ड्रेन की सफाई

24--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल, बरहीं, नेवादा ताल, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी से निकलने वाली, मच्छाताल ड्रेन, पिंडरा ड्रेन, थानेरामपुर ड्रेन तथा बरहीं से टेडुआ ड्रेन की खुदाई नहीं हो पाई है जिससे दोनों ताल पानी न निकलने से डूब गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी ड्रेनों की खुदाई करवाने की योजना बना रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पिण्डरा एवं थाने रामपुर नालों में वर्ष 1976-77 में एवं बरही कला ड्रेन में वर्ष 1979-80 में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया । अत्यधिक वर्षा, नालों में अवरोध एवं निकास नदी में जलस्तर ऊंचा होने के कारण नशेबी क्षेत्र में पानी का जमाव कुछ दिन रहा है । आगामी कार्यसत्र में उपरोक्त नालों की सफाई हेतु कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

अमौसी व अटारी फार्म, लखनऊ की भूमि का भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन

25—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जिले के अमौसी अटारी के नजदीक कुछ जमीन भूतपूर्व सैनिकों को आबंटित करने के लिए अक्तूबर, 1978 में राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां, प्रार्थना-पत्र मांग गए थे । अमौसी, अटारी फार्मों की भूमि कृषि विभाग तथा वन विभाग द्वारा यू0 पी0 पोस्टवार रिकान्सट्रक्शन फण्ड को 30 वर्ष की लीज में दी गई थी परन्तु वैधानिक दृष्टिकोण से अब उक्त भूमि फंड द्वारा किसी अन्य को सब लीज में दी जानी सम्भव नहीं है ।

26—श्री विद्या सागर नौटियाल—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

27—श्री बचन सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में परिचालक पद हेतु चयन एवं प्रतीक्षा सूची

28—श्री बल सिंगार यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में 1979 में परिचालक पद हेतु चयन में जो प्रतीक्षा सूची बनी, क्या वह निरस्त की जा रही है ? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची की घोषणा के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों ने विभाग में नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जमा की है उन्हें सेवा में लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29—श्रीमती गौरी देवी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

30—श्रीमती गौरी देवी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

जिला कारागार, बस्ती की पेयजल योजना

31—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में जिला कारागार बस्ती में पेयजल योजना के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ था तथा कितना काम हुआ और कितना धन अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष काम को तत्काल पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

वर्ष 1979-80 में जिला कारागार, बस्ती में पेय जल योजना के लिए कोई भी धन स्वीकृत नहीं हुआ था। वर्ष 1978-79 में इस कारागार में पेय-जल व्यवस्था हेतु 2,92,000 रु0 स्वीकृत किया गया था। यह सम्पूर्ण धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम के निस्तारण पर रख दी गई थी। कारागार में नलकूप का निर्माण किया जा चुका है तथा जल निगम द्वारा अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अवशेष कार्य हेतु 1.824 लाख रु0 जल निगम के पास शेष है।

फैजाबाद जिले के ग्राम माऊख की शारदा सहायक परियोजना में ली गई भूमि का मुआवजा

32--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम माऊख, तहसील व ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद के उन सभी व्यक्तियों को जिनकी जमीन शारदा सहायक परियोजना के लिए ली गई थी, को मुआवजा विभाग द्वारा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

ग्राम माऊख में भूमि अर्जन के 3.079, 0.37 एवं 0.377 एकड़ के तीन प्रस्ताव हैं।

प्रथम प्रस्ताव में धारा 4 व 6 के सम्बन्ध में गजट में प्रकाशन हो चुका है तथा भूमि अध्यप्ति अधिकारी द्वारा शीघ्र ही मुआवजा वितरित कर दिया जायगा।

भूमि अर्जन के द्वितीय एवं तृतीय प्रस्तावों के अन्तर्गत भूमि अध्यायन की कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई विभाग में कम्प्यूटर के पद की आवश्यकता पर विचार

33--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में टेकनीकल आडिट सेल की अर्ध वार्षिक दिसम्बर, 1970 की रिपोर्ट में प्रत्येक खंडीय कार्यालय में कम्प्यूटर के पद की आवश्यकता का सुझाव दिया था? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सिंचाई विभाग में संगणक (कम्प्यूटर) के पदों की आवश्यकता शासन के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से कुछ बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई है।

34—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

35—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

36—श्री खान गुफरान जाहिदी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

37—श्री लल्लू सिंह चौहान—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

38—श्री माता प्रसाद पान्डेय—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

कारागार विभाग के कर्मचारियों को पुलिस विभाग के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग

39—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के कर्मचारियों से पुलिस के विभाग कर्मचारियों के समान ही कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या कारागार के कर्मचारियों को पुलिस के कर्मचारियों के समान वेतन एवं अतिरिक्त छुट्टियां दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या उन्हें पुलिस विभाग के समान सुविधाएं दी जायेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

कारागार विभाग के कर्मचारियों व पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कार्यों में समानता नहीं है । अतः कारागार विभाग के कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के वेतन व सुविधाओं की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के पिन्डरा में बस रोके जाने सम्बन्धी आदेश

40—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजनल जनरल मैनेजर रोडवेज, वाराणसी ने जुलाई, 1980 में एक आदेश निकाल कर सभी मेल बसों, नान स्टाप बसों को वाराणसी-जौनपुर रोड के पिंडरा स्थान म रोकने के आदेश दिया है और बुकिंग स्टेशन वाराणसी तथा जौनपुर से टिकट जारी करने का भी आदेश दिया है और कानपुर, उन्नाव, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ आदि जगहों के अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेजकर उनसे प्रार्थना किया है कि वे भी अपनी बसों को पिंडरा स्थान में रुकने का आदेश दे दें ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक वहां पर बस नहीं रुक रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, यह सही है ।

वाराणसी क्षेत्र की सभी बसों को पिंडरा में रुकने के आदेश दिये गये हैं । अन्य क्षेत्र की मेल बसें पिंडरा में तभी रुकती हैं जब उनमें पिंडरा का कोई यात्री होता है । निगम द्वारा पिंडरा को फेयर-स्टाप घोषित कर दिया गया है । यात्रियों की आवश्यकतानुसार सभी गाड़ियां यहां रुकती हैं ।

गोण्डा जिले के विकास खण्ड करनैलगंज व परसपुर में कार्यरत नलकूप

41--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जनपद के करनैलगंज व परसपुर विकास क्षेत्र में कितने राजकीय नलकूप इस समय कार्यरत हैं ? तथा कितने राजकीय नलकूप इस वर्ष लगाने की योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोण्डा जनपद के करनैलगंज विकास क्षेत्र में इस समय कोई राजकीय नलकूप कार्यरत नहीं है, केवल एक राजकीय नलकूप निर्माणाधीन है । परसपुर विकास क्षेत्र में 5 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं तथा दो नलकूप निर्माणाधीन हैं । जनपद गोण्डा में वर्ष 1980-81 में 20 राजकीय नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है । यह नलकूप जनपद में कहां लगाये जायेंगे, इसका निर्णय जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति पर जिला नलकूप चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।

परिवहन निगम, गोरखपुर के अप्रेन्टिस क्लर्कों की नियुक्ति की मांग

42--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ --

क्या परिवहन मन्त्री की जानकारी है कि परिवहन विभाग, गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 में क्लर्क जनरल पद के लिए सैकड़ों नवयुवक परिवहन विभाग से एक वर्ष का अप्रेन्टिस करके बेकार बठे हैं ? यदि हां, तो गोरखपुर रीजन में क्लर्कों की जगहें खाली हैं उन पर परिचालक कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी जगहों पर अप्रेन्टिसों की नियुक्ति करने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

43--श्री विजय सिंह राना--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

44--श्री लालसा--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

45-46---श्री लटूरी सिंह--

[7व बुधवार के लिए स्थगित]

47-49--श्री रामहर्ष राय तथा श्री केदार नाथ सिंह--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

50--श्री मित्रसेन--

[27-8-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित]

51--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जिले में शारदा सहायक परियोजना के रामपुर रजबहा हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा

52--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खण्ड 48 के अन्तर्गत रामपुर रजबहा जो मुंगार (प्रतापगढ़) से निकल कर फूलपुर (इलाहाबाद) की ओर जाती है, में अध्याप्ति भूमि (एक्वायर्ड लैण्ड) का मुआवजा (कम्पेनसेशन) सम्बन्धित कृषकों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब दिया गया और नहीं, तो क्यों और कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

भूमि अध्याप्ति (एक्वायर्ड लैण्ड) के लिए भूमि का प्रकरण बनाकर विशेष भूमि अधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है परन्तु एक्ट की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अभी प्रकाशन न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद को इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

देवरिया जिले के ग्राम उस्का का नलकूप

53--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने नये नलकूप देवरिया जिले में बनकर तैयार हैं और चल रहे हैं, उस्का ग्राम का नलकूप विकास क्षेत्र भटनी कब तक चल जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जिले में 624 नलकूप बनकर तैयार हैं, और 585 नलकूप चल रहे हैं ।

उसका ग्राम में स्थित राजकीय नलकूप संख्या-80 सलेमपुर समूह भटनी विकास खण्ड में स्थित है । इस नलकूप का पुनः निर्माण कराया गया है तथा इसका विद्युतीकरण माह अक्तूबर, 1980 तक विद्युत् विभाग द्वारा किये जाने की सम्भावना है ।

54--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

कानपुर के रावतपुर में बस के बुकिंग आफिस के निर्माण की मांग

55--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर में जी० टी० रोड स्थित रावतपुर में तहसील बिल्हौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, आगरा तथा दिल्ली आदि जाने वाली सभी बसें अनिवार्य रूप से रुककर सवारी लेती हैं और जहां बुकिंग क्लर्क नियुक्त हैं परन्तु स्थान न होने के कारण बुकिंग क्लर्क को खुली धूप व वर्षा में बुकिंग करने की बाध्यता बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां यथाशीघ्र एक भवन बनाने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कानपुर क्षेत्र की सभी बसें रावतपुर में रुककर सवारी लेती हैं । अन्य क्षेत्रों की बसें भी वहां रुकती हैं । रावतपुर में बुकिंग स्टेशन का इस समय स्थान नहीं है यह नगरपालिका की भूमि पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है परिवहन निगम स्थानीय स्तर पर बुकिंग आफिस के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है । जैसे ही भूमि प्राप्त होगी बस शेल्टर बनाकर बुकिंग आफिस चलाने पर विचार किया जायेगा ।

56--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोण्डा जिले के विकास खण्ड कटरा बाजार व हलधरमऊ में नलकूप का निर्माण

57--श्री मुरलीधर मुनीम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कटरा बाजार, हलधरमऊ, ब्लाक गोण्डा में कितने ट्यूबवेल जुलाई, 1980 तक लगाए गये ? क्या और ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव है ? अगर हां, तो कितने और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जुलाई, 1980 तक गोंडा जनपद के कटरा बाजार विकास क्षेत्र में 3 राजकीय नलकूप तथा हलधरमऊ विकास क्षेत्र में 2 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं । इन विकास क्षेत्रों में आगे भी और नये नलकूपों के लगाने का प्रस्ताव है । जिला सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति उपरान्त ही उक्त विकास खंडों में राजकीय नलकूप निर्माण की स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

58--श्री मुरलीधर मुनीम--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

आगरा नहर की फतेहपुर सीकरी ब्रान्च से छोटी माइनर निकालने की मांग

59--श्री बदन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी ब्रांच के मील नं० 26, दाई पटरी पर 8 क्यूसेक डिस्चार्ज की एक छोटी माइनर खुदवाने का आदेश 5-2-80 को तत्कालीन सिंचाई मन्त्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक वह माइनर क्यों नहीं खोदी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

आगरा नहर पर जिससे फतेहपुर-सीकरी शाखा निकली है, पानी की वर्तमान कमांड क्षेत्र की सिंचाई हेतु ही कमी रहती है । अतः नये खाली क्षेत्र के लिये नई माइनर का बनाना वर्तमान कमांड के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं समझा गया ।

जिला चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल की पेयजल योजनायें

60-श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली तथा जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिए कौन-कौन सी पेयजल योजनाएं स्वीकार की गयी थीं और इनमें कौन-कौन योजनाएं 31-3-80 तक पूर्ण हो चुकी हैं तथा इन योजनाओं में से किन-किन योजनाओं पर अभी 30-6-80 तक कार्य चल रहा है और उनके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 की स्वीकृत योजनाओं की सूची* संलग्न है उक्त सूची के कालम 4 में पूर्ण की गई योजनाओं की स्थिति दर्शायी गई है तथा कालम 5 में योजनाओं के पूर्ण होने की सम्भावित अवधि अंकित की गई है ।

रुहेल खंड नहर खंड, बरेली के सींचपाल का निलम्बन

61-श्री चेतराम गंगवार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रुहेलखंड नहर खंड, बरेली में सितम्बर, 1979 में कितने सींचपाल निलम्बित किये गये और क्या यह सही है कि उनमें से कुछ को दोषमुक्त पाया गया है ? यदि हां, तो उन्हें पुनः चार्ज न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रुहेलखंड नहर खंड, बरेली में केवल एक सींचपाल सितम्बर, 1979 में निलम्बित किया गया जिस पर जांच चल रही है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

शारदा सहायक खंड, अष्टम्, लखनऊ के अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ता, श्री विष्णु दयाल रायजादा का बकाया वेतन एवं यात्रा भत्ता

62-श्री शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड, अष्टम्, सिंचाई कार्य मंडल, दशम्, लखनऊ 7-5-75 को अवकाश प्राप्त अवर अभियन्ता (विष्णु दयाल रायजादा) की जमानत की रकम, अनिवर्तित वेतन तथा यात्रा भत्ता का भुगतान, (1) सिंचाई खंड, बलिया, (2) बेतवा नहर खंड, झांसी,

*छापी नहीं गयी ।

(3) बेतवा नहर, उरई, (4) मोंट बांध गंगा नहर खंड, मथुरा तथा नये वेतनमान में निर्धारण की बकाया धनराशि तथा पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामपुर जिले में सिंचाई की पास-बुकों का वितरण

63--श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी किसानों को जिनको नहर का पानी लगता है, जनपद रामपुर में नहर विभाग द्वारा सिंचाई पास-बुक वितरित हो चुकी है और उस पर मौके पर इन्दराज भी होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद रामपुर में उन सभी कृषकों को, जिनको नहर का पानी मिलता है, पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं और उनमें मौके अथवा गांव में उपस्थित कृषकों की पास-बुकों में अमीन द्वारा इन्द्राज कर दिया जाता है ।

बेतवा नदी की बाढ़ से विकास खंड, कदौरा के ग्रामों को क्षति

64--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1978 में बेतवा नदी की बाढ़ में कदौरा विकास खंड के कितने गांव बह गये थे ? सरकार ने उन सभी ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सन् 1978 में बेतवा नदी की भीषण बाढ़ से कदौरा विकास खंड के 7 ग्राम बह गये थे । जिलाधिकारी स्तर से उक्त ग्रामों के व्यक्तियों को पास के ग्रामों में लाकर बसाया गया था । इन ग्रामों को बाढ़ से स्थायी रूप से बचाने के लिए इस समय पर कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रधान प्रबन्धक एवं जोनल मैनेजरों, परिवहन निगम के कार्यालय पर हुई बैठकें

65--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1979 से मार्च, 1980 तक प्रधान प्रबन्धक एवं जोनल मैनेजरों के कार्यालयों पर कितनी-कितनी बैठकें हुयीं और उन पर अलग-अलग कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

(अ) मार्च, 1979 से मार्च, 1980 तक प्रधान प्रबन्धक द्वारा कुल 57 बठकें आहूत की गई जिन पर कुल 20,719.74 रु0 की धनराशि व्यय हुई ।

(ब) मार्च, 1979 से मार्च, 1980 तक जोनल मैनजरों द्वारा कुल 29 बैठकें आहूत की गई जिन पर कुल 26,666.94 रु0 की धनराशि व्यय हुई ।

(12 बज कर 10 मिनट)

कार्य-सूची के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 11 के असन्तोषजनक उत्तर पर आपत्ति

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपका ध्यान एजेन्डे के नत्थी (ख) के प्रश्न 11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न 31-7-80 को दिया गया था, जो अब एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार से जानबूझ कर 4-5 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और जब बात उठायी गयी तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उन लोगों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया और मान्यवर, जब वह आदमी आज भी काम कर रहे हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मंत्री जी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि जो अधिकारी माननीय सदन को गुमराह करना चाहते हैं उत्तर के टालने की प्रवृत्ति जिन्होंने पैदा किया है, जब प्रश्न का उत्तर दें, तो बता दें कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी मंशा को समझ लिया है मैं प्रयास करूंगा कि माननीय सदस्यों को ऐसी असुविधा न हो।

रामपुर में सिक्खों द्वारा दंगा कराने की साजिश तथा अवैध हथियारों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे समक्ष नियम 301 की जितनी सूचनायें आई थीं उनमें से 5 स्वीकार की गई।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं आपके माध्यम से सरकार तथा सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं जिला रामपुर मुरादाबाद का पड़ोसी जिला होने के कारण इस समय प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। दिनांक 14 अगस्त, 1980 को कुछ राजनीतिक कारणों से उस समय, जबकि मैं मुरादाबाद गया हुआ था, कुछ लोगों ने हरिजन कालोनी के दो तीन झोपड़ों के छप्पर जला दिये तथा एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई जिसके जवाब में रात के लगभग 9 बजे सिविल लाइन में स्थित पंजाबी सरदार तथा हरिजनों ने मिलकर पान बीड़ी सिगरेट के कई खोखे जला दिये तथा दो ट्रक तोड़ दिये और एक वर्कशाप लूट ली। यह सभी मुस्लिम वर्ग का था परन्तु अभी तक वहां कोई भी साम्प्रदायिक भावना नहीं पाई जाती। परन्तु सिविल लाइन एरिया पर नौजवान पंजाबी एवं सिक्ख भाला, बल्लम, नंगी तलवारें और लाठियां लेकर रात में घूमते हैं और रेलवे स्टेशन पर उसी दशा में जाते हैं, जिसे मैंने कई बार देखने के बाद जिलाधिकारी को बताया है कि इनके इस रवैये से यहां का हिन्दू और मुस्लिम दोनों परेशान हैं परन्तु इन लोगों की गतिविधि में अभी तक कोई अन्तर नहीं आया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्क्षिण नहीं किया।

कल दिनांक 15-9-80 एक फियेट कार असलहा से लदी हुई सिविल लाइन थाने पर पकड़ी गई जिसमें रिवालवर, बन्दूकें और बम शामिल हैं। पता चला कि बिलासपुर एवं रुद्रपुर की ओर से कुछ सिक्ख रामपुर में असलहा लाये थे। मेरा कहना है कि इस प्रकार का नाजायज असलहे बराबर यह लोग ला रहे हैं और कोई षड्यंत्र रचना चाहते हैं। इसकी लिखित सूचना में दिनांक 14/15 सितम्बर, 1980 को जिलाधिकारी, रामपुर को दे चुका हूं। इसके फौरन बाद कल ही असलहा की गाड़ी पकड़ी जाती है।

मेरा शासन से अनुरोध है कि इसकी तुरन्त जांच कराई जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी अपने वक्तव्य द्वारा इस साजिश का पर्दाफाश करें और जिला इन्तजामियां को सतर्क रहने का आदेश दें तथा यह भी आदेश दें कि जो भी कार्यवाही हो वह एकतरफा न हो और उसमें किसी का पक्षपात न किया जाये।

पिछले वर्ष जनपद जालौन के कालपी विधान सभाई क्षेत्र में राहत कार्य में लगाये गये मजदूरों को गल्ला न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

पिछले वर्ष जनपद जालौन भयंकर सूखे की चपेट में आ जाने के कारण अधिकांश भूमि बोई भी न जा सकी थी। बेतवा केनाल से जो थोड़ा बहुत पानी मिला, वह जनपद के ऊपरी भाग में फंसा रह गया कालपी विधान सभाई क्षेत्र जहां सभी नहरों की टेल पड़ती है, पूर्णतया सूखा रहा गया। फलस्वरूप क्षेत्र की जनता के सामने मजदूरी करने के अतिरिक्त अपनी पेट की आग बुझाने का विकल्प नहीं रहा।

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले राहत कार्यों में लोग मजदूरी पाने की आशा में कार्य में जुट गये पर उन्हें क्या पता था कि अभी उन्हें और भी दुर्दिन देखने हैं। हजारों मजदूरों की हजारों कुतल गल्ला सरकार पर बकाया है लेकिन वह मजदूरी को नहीं दिया जा रहा है जिसका एक मात्र कारण यह है कि मजदूरों ने भ्रष्ट अधिकारियों को उनका हिस्सा देना मना कर दिया है।

हजारों मजदूर विकास खण्ड मुख्यालय के तहसील ए0 डी0 एम0 पी0 तथा जिलाधिकारी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी बात सुनने वाला तथा उन पर रहम करने वाला कोई नहीं है। पिछले महीने जनपद में हुई भयंकर वर्षा से क्षेत्र में 80 प्रतिशत मकान गिर गये हैं जिनमें उन गरीबों के पास जो भी कुछ बचा था वह भी स्वाहा हो चुका है। यह बेघरबार लोग गाँव के स्कूल तथा दूसरे सार्वजनिक भवनों पर आपदा से बचे पड़ोसी के घर में डेरा डाले हुए हैं। उनके खाने तथा भूख मिटाने का कोई साधन नहीं है। फिर भी बेरहम अधिकारियों को दया नहीं आ रही है।

जनता में भारी असंतोष एवं निराशा का वातावरण व्याप्त है। आपसे अनुरोध है कि सरकार से तुरन्त इन असहाय मजदूरों की मजदूरी दिलाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें तथा इतने दिनों तक मजदूरी बकाया रही उसके जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने तथा सरकार द्वारा वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर में मगहर के पास आमी नदी में नाव दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु तथा आर्थिक सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती किशोरी शुक्ला--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन तथा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । जनपद गोरखपुर के मगहर के दक्षिण आमी नदी में दिनांक 6 सितम्बर, 1980 की शाम को एक नाव दुर्घटना म 10 व्यक्ति डूब कर मर गये हैं तथा अनेक व्यक्ति घायल हो गये । यह सभी लोग लगभग श्री गांधी आश्रम के कर्मचारी थे । सरकार ने अभी तक इन मृतक परिवार तथा घायल परिवार के लोगों को उचित आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की है । यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इन मृतक परिवार के आश्रितों को कम से कम 10-10 हजार रुपया आर्थिक सहायता दें और घायलों के उपचार का तुरन्त उचित व्यवस्था करने की अपेक्षा करती हूं । आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 100 रुपया माहवार की विधवाओं को पेंशन देने की भी मांग करती हूं क्योंकि यह महिलायें 30 वर्ष के अन्दर हैं ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र गयी थी कुछ सूचना मैं आप को इसके अतिरिक्त देना चाहती हूं । मान्यवर, इसी माध्यम से नाम बताना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

इस नियम के अन्दर आप इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकतीं ।

श्रीमती किशोरी शुक्ला--

जो मर गये हैं मान्यवर, मैं उनके नाम बताना चाहती हूं ।

रानीखेत क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य में बाधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रानीखेत क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों की ओर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, उपरोक्त क्षेत्र में सेवारत अध्यापकों ने अपना स्थानान्तरण मैदानी भागों को करा लिया है । शिक्षा सत्र आरम्भ हुए चौथा माह आरम्भ हो चुका है लेकिन उनके स्थानों पर अध्यापक नहीं भेजे गये हैं जिससे विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य ठप्प है । उदाहरण स्वरूप राजकीय इंटर कालेज, 5 विभक्यासेण राजकीय हाई स्कूल, लोधियाखान, जहां 22 अध्यापकों के स्थान पर केवल 8 अध्यापक हैं । अविलम्बनीय लोक महत्व को देखते हुए मुझे शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में समय दिया है उसका मैं आपका अभारी हूं । महोदय वहां पर विद्यार्थी गुल्ली-डन्डा खेलते हैं और उनके मां-बाप जो हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसके आगे नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में छात्रों के प्रवेश में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और शासन का ध्यान आगरा जनपद के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस सत्र हेतु किये जा रहे छात्रों के प्रवेश की धांधली, अन्धेरनगरी और अनियमितता की ओर ले जाना चाहता हूं ।

संस्थान में योग्यता की वरीयता सूची को आधार मान कर प्रवेश लिये जाने की परम्परा हमारी भूतपूर्व लोक प्रिय लोक दल सरकार ने स्थापित की थी । वर्तमान सरकार अभी तक इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकी है । अतः वहां प्रवेश तो वरीयता सूची को आधार मान कर ही लिये जा रहे हैं परन्तु वरीयता सूची वहां के कार्यालय के कर्मचारी अपनी मनमानी घर जानी नीति के आधार पर तैयार कर रहे हैं । इसमें जिन छात्रों से उन्हें प्रवेश हेतु अपेक्षित धनराशि मिल जाती है उन छात्रों से वास्तविक अंक-पत्रों (मार्कशीट) के स्थान पर जाली अंक पत्र भराये जाते हैं । इन जाली अंक पत्रों में छात्रों से इतने अंक भरा लिये जाते हैं जिनसे प्रवेश सम्भव हो सके । यहां तक बात है कि जूनियर हाई स्कूल के अनुत्तीर्ण छात्र से जूनियर हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण के अंक भराये गये हैं । वह जाली अंक पत्र कार्यालय के लिपिक स्वयं ही तैयार करा लेते हैं और स्वयं ही प्रमणित कर लेते हैं । उनके पास अनेकों जाली मोहरें हैं । इस प्रकार अयोग्य छात्रों को उनके जाली अंक पत्रों के आधार पर वरीयता सूची में सम्मिलित कर उनका प्रवेश कर लिया जाता है और योग्य छात्र प्रवेश से वंचित कर दिये जाते है । यही कारण है कि शासन द्वारा मनोनीत समिति के अध्यक्ष ने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है । यह बहुत ही दयनीय स्थिति है ।

मैं शासन से मांग करता हूं कि वहां जालसाजी के काम को तुरन्त रोकें । वहां का सब रिकार्ड सील किया जाय और तथ्यों की पूरी छानबीन की जाय ताकि योग्य छात्रों के जीवन से खिलवाड़ सम्भव न हो सके और उन्हें प्रवेश से प्रवंचित न किया जा सके ।

औचित्य के प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैंने एक सूचना दी थी, यह बलिया जिले से सम्बन्धित है, 301 से सम्बन्धित मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह सूचना अस्वीकार हो गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है । मान्यवर, मंत्री जी [×××] करते हैं यहां भी करते हैं और बाहर भी करते हैं । इससे सदन की मर्यादा गिरती है । इसका स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का कार्य नियमों के अन्दर चलाना पड़ता है । जो राजेन्द्र कुमार जी का औचित्य का प्रश्न है वह नियमों के अन्दर नहीं आ रहा था इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा प्रश्न जो माता प्रसाद जी ने उठाया था वह वेग था। उसमें दो मामले शामिल थे । नियमों के अन्दर वह ग्राह्य नहीं हो सकता इसलिये अस्वीकार किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक संवैधानिक प्रश्न प्रस्तुत किया है । आप सुन लें, सुनने के बाद खारिज कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर कोई माननीय सदस्य कोई संवैधानिक मुद्दा उठाता है तो उचित होगा कि आप उसे सुन लें । मान्यवर, मैंने कागज समय पर भेज दिया था । अध्यक्ष जो भी अनुमति दे देते थे, मैं चाहता हूं कि पुरानी परम्परा का अनुकरण करते हुये मुझे कहने का अवसर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पुरानी परंपराओं को देखते हुये इसके औचित्य को नहीं समझा । इस विषय में अगर कोई बात करनी हो तो मेरे कक्ष में आ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह एक संवैधानिक प्रश्न है । हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लाग करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है । मुख्य मंत्री जी ने अपना त्याग-पत्र भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह कहना केवल काल्पनिक है, किसी तथ्य पर आधारित नहीं है । इसलिये यह अस्वीकार किया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा तो तथ्यों पर आधारित है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी निश्चित जानकारी है, यहां पर सलाहकारों को नियुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है ।

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की दो सूचनाएं आयीं थीं उनमें पहली श्री हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह की है । (व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय--

[× × ×] ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, यह अनुचित है । आप बैठ जायं । (व्यवधान) आपका लिखा नहीं जायेगा ।

श्री हरिवंश सहाय--

[× × ×] ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य ने कहा है वह मेरी बिना आज्ञा के कहा है, इसलिये वह लिखा नहीं जायेगा । वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । तो पहली सूचना

---

†दिनांक 19 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री उपाध्यक्ष--]

रोडवेज की बसों की हड़ताल से आवागमन बंद होने तथा जन-जीवन के अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना नियम 56 में दी गई है। इसको अस्वीकृत किया गया है।

दूसरी सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा की टांडा जनपद फैजाबाद में बिजली के कनेक्शन तथा पावरलूम कनेक्शनों पर बिजली न दिये जाने फिर भी मिनिमम गारंटी के नाम पर जबरन बिजली चार्जेज की वसूली के सम्बन्ध में है। इसमें अविलम्बता का अभाव है। विद्युत् विभाग की अनुदान पर जब इस पर बहस होने जा रही है तो इसके लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाना मुनासिब नहीं है। इसलिये इसे भी अस्वीकृत किया गया।

आइटम नं0 10, माननीय मुख्य मंत्री।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

टांडा, जनपद फैजाबाद में बिजली के कनेक्शन तथा पावरलूम कनेक्शनों पर बिजली न दिये जाने से वहां भुखमरी की स्थिति हो गयी है। अतः निवेदन है कि इस पर 2 घंटे की चर्चा की व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया था कि 29 तारीख को इसका बजट प्रस्तुत होगा तो उस समय बोलने का अवसर मिलेगा, इसलिये आज उसकी इजाजत नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[× × ×]।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं इसलिये इसको लिखा नहीं जायेगा। आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश

[12 बजकर 30 मिनट]

खन्ड 4

"इस विधेयक के खन्ड 4 (1) मे शब्द "पुरःस्थापित" के स्थान पर शब्द "अधिनियमित" रख दिया जाय।"

*गृह राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरि सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं विरोध करता हूं··

श्री रियासत हुसेन—

क्यों स्वीकार नहीं करते हैं, मंत्री जी इस पर प्रकाश तो डालें, कुछ बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री हरि सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधान परिषद् से संशोधन आया है उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं । आप को जानकर प्रसन्नता होगी कि यह बिल जो आपके बीच में है इसको जो जनता पार्टी की सरकार थी···· (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मैंने नियम 56 के अन्तर्गत दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

60,000 बुनकर भूखों····

श्री उपाध्यक्ष—

10 करोड़ जनता के हित में इस मामले को इस समय रहने दें, जब बजट आयेगा तो विचार करेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

इस पर चर्चा की व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

हमको जानकारी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दी कि इस पर इस समय बहस होने वाली नहीं है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

साठ हजार बुनकर भूखों मर रहे हैं, उनके सामने क्या स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस पर अन्य नियमों के अन्तर्गत सूचना दे दीजिए, विचार कर लेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

श्रीमन् जी, 60,000 लोग क्या करेंगे, इस पर बहस के लिए समय दें...

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियमानुसार इसकी सूचना हमको दे दें । तत्काल कुछ नहीं होगा । कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

हमने सूचना दे दी है 56 के अन्तर्गत । साठ हजार लोग भूखों मर..

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना अस्वीकार हो गई..

श्री गोपी नाथ वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य मेरी आज्ञा के विरुद्ध बोल रहे हैं । इसलिये यह लिखा नहीं जायगा..मैं लोकदल के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का यह व्यवहार अनुचित है ।

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि आखिर इस विधान परिषद् से आये हुये संशोधनों को क्यों न स्वीकार किया जाय । मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल को जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट ने सदन में लाने का निश्चय किया था और हमारी सरकार ने उस भावना को लेकर यह बिल आप के सामने पेश किया है । यही नहीं, मान्यवर, आपको जान

नोट--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर प्रसन्नता होगी कि बिल्कुल इसी लाइन पर केन्द्र सरकार का एक ऐक्ट जिस को प्रोविजनल कलेक्शन आफ टैक्सेस ऐक्ट कहा जाता है बराबर चला आ रहा है और बहुत सफल है । उपाध्यक्ष जी, इस बिल का सीधा मकसद यह है कि जब से यह बिल हमारे सदन से पास हो जाता है यह उसी दिन से लागू माना जाता है..इसलिय कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत से व्यापारी वर्ग और टैक्स देने वालों का बहुत बड़ा हिस्सा इसका अभ्यस्त होता है । जैसे ही पता चला कि अमुक चीज पर टैक्स लगने वाला है उसका नाजायज फायदा उठा कर नागरिकों से वह टैक्स वसूल करने लगते हैं और जब गवर्नर की स्वीकृति मिलती है उससे पहले काफी तेजी से नागरिकों से टैक्स वसूल करना शुरू कर देते हैं और इस बीच जब तक कि वह अधिनियम लागू नहीं होता है काफी टैक्स उनकी जेब में चला जाता है । सरकार की इच्छा है कि व्यक्तिगत जेब में न जा कर वह टैक्स राज्य सरकार के कोष में जाय । दूसरे मुझे यह कहना है कि अगर हम उनके संशोधन को स्वीकार कर लें तो इस बिल का जो मुख्य मकसद है वह फेल हो जायगा । आप जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रगतिशील कदमों पर चल रहा है और हमारे सूबे की पंचवर्षीय योजना काफी बड़ी है । इसका जो दूसरे सेक्शन है उसमें यह है कि अगर सरकार ने यह मुनासिब समझा कि जो पैसा वसूल किया गया है इसका प्राविधान सेक्शन 3 में कर दिया गया है और इस तरह से हमारी मार्केट में लुटाई होती है । उसको इस विधेयक के जरिये हमारा खत्म करने का इरादा है और विधान परिषद् ने जो सुझाव दिया है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये और इस विधेयक को हमे पास करना चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विधान परिषद् के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं क्योंकि उन्होंने आज फिर मौका दिया इस आदरणीय सदन को विचार करने के लिये जब अस्वाभाविक नियमों के विरुद्ध और संविधान की मंशा के खिलाफ एक ऐसा विधेयक लाया गया था । जिस समय यहां चर्चा हुई थी उस समय यह विचार व्यक्त किये गये थे कि आज हिन्दुस्तान में यह सबसे पहली स्टेट है उत्तर प्रदेश जहां इस प्रकार का एक गैर कानूनी विधेयक बनने जा रहा है । अभी माननीय मंत्री ने कहा कि केन्द्रों में 131 से यह नियम बना हुआ है तो केन्द्र के इशारे पर हमको यह सब करना है तो बात दूसरी है । यह बात प्रकाश में आई है कि केन्द्र हमको यही करने के लिये मजबूर नहीं कर रहा है बल्कि केन्द्र अप्रत्यक्ष रूप से यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की तरफ भी संकेत कर रहा है । माननीय मंत्री आप देखें इसमें टैक्स की बात कही है लेकिन इसमें टैक्स के साथ शुल्क का भी प्राविधान है । लेकिन विधान परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि यह उस दिन से लागू होगा जिस दिन से अधिनियमित हो और राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर हो जायं लेकिन यहां यह कहा गया है कि विधेयक जिस दिन से पुरःस्थापित होगा उस दिन से यह लागू होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिनियम से ही तो यह लागू होता है, फिर विधेयक की आवश्यकता क्या रह जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं कहता हूं कि इसलिये इसकी जरूरत नहीं है कि जानबूझकर जनता को परेशान करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । वैधानिक आपत्ति यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

हमारे नियमों में व्यवस्था है कि कोई भी मनी बिल पहले विधान परिषद् में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधान मंडल में पुरःस्थापित होता है। विधान मंडल म सदन को उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया दोनों सदन हैं कौन सा सदन है ? यह नई व्यवस्था हो जायगी। विधान परिषद् में टेबिल कर दिया गया तो बहुत सारे कर लगा दिये जायेंगे।

इसलिये इसका विरोध करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जैसा मंत्री जी ने कहा है अगर हमने कोई कर लगा दिया या कोई फीस बढ़ा दी शुल्क बढ़ा दिया और उसके बाद यह सदन उसको रिजेक्ट कर दिया है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लोकसभा में भी ऐसा हुआ कि जो एक टैक्स बढ़ा दिया गया और बाद में उसको संसद ने खतम कर दिया तो ऐसी स्थिति इस प्रदेश में भी हो सकती है कि कोई कर बढ़ा दिया या सिनेमा का कोई टिकट या इन्टरटेनमेंट का टैक्स बढ़ा दिया और तत्काल यहां से यह हुआ कि चूंकि सिनमा गरीब लोग देखते हैं इसलिये उसको खतम किया जाय, इस तरह से सदन ने उसको स्वीकार कर दिया तो मान्यवर, कोई आदमी जिसने कि सिनेमा का टिकट खरीदा हुआ हो तो वह कैसे उस टिकट को वापस कर पायेगा। जेब में रखे-रखे वह तो फट जायेगा और वापस करने को प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जायेगी। इसलये जो सरकार की शंका है वह निर्मूल है क्योंकि जिस दिन कोई टैक्स जमा करता है उसी दिन से वह उसको चुराने की कोशिश शुरू हो जाती है। मान्यवर, यह नहीं हो सकता है कि यदि यह कहा जाय कि 10 दिन के बाद टैक्स बढ़ जायेगा इसलिये उससे पहले खूब सिनेमा देखलो। इसलिये ऐसे बहुत से टक्स लगाने पड़ते हैं जिनक प्रभाव तत्काल पड़ जाता है। इसलिये जो यह शासन ने रखा है मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि जो विधान परिषद् से जो आया है वह ठीक है। उसने फिर हमको मौका दिया है कि हम उस पर विचार करें। सरकार की ओर से जो रखा गया है जो संवैधानिक मान्यताओं को नष्ट करते हुये विधान मंडल को अपनी राय देने के अवसर से वंचित कराता है। मान्यवर, आपकी संख्या ज्यादा है, पास तो वह हो ही जायेगा लेकिन जनता की आवाज है उसे हम आपके कानों तक पहुंचा देना चाहते हैं। इसलिये मैं सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा स्वयं आपने भी कहा और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दलील दी। अगर यह मान लिया जाय कि वह शब्द रख दिया जाय तो मैं समझता हूं कि दि परपज आफ दि बिल शैल बी डिफीटेड में वह मकसद ही खतम हो जायेगा। जहां तक हमारे विद्वान सदस्य अपर हाउस जो बैठते हैं उनका सम्बन्ध है, कैसे उन्होंन यह कर दिया है। अगर हम उसको रखते हैं तो उसकी मंशा ही समाप्त हो जाती है बिल की मंशा के खिलाफ कोई संशोधन पारित नहीं हो सकता है। अगर वहां अध्यक्ष चाहते तो वहीं रिजेक्ट हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विधान परिषद् के सभापति के अधिकार परिधि में जाकर शायद अपनी परिधि का अतिक्रमण कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हमारे नियमों में हैं कि वह नेगेटिव नहीं होगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह कैसे हो गया । स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शन जो था । जैसा मंत्री जी ने कहा है जब बिल इन्ट्रोड्यूस होता है और उसमे कोई फीस आदि बढ़ने लगती है तो उसपर ब्लैक मार्किटंग होने लगती है । इसलिये जैसे ही इस तरह की चीज हाउस में इन्ट्रोड्यूस होगी तभी से वह तय होगा । मान्यवर, इस सम्बन्ध में बिल का सेक्शन 3 इस प्रकार है --

"Where a Bill to be introduced in the State Legislature on behalf of the State Government provides for the imposition or increase of any fee, tax or duty (including duty of excise), the State Government may cause to be inserted in the Bill a declaration that it is expedient in the public interest that any provision in the Bill relating to such imposition or increase shall have immediate effect under this Act."

जैसे ही यह बिल पेश होगा उसका सरकार डिक्लरेशन करके लागू कर देगी उसका वही अर्थ होगा जो कि कानून का होता है और जब यह पास हो जायेगा तो वह घोषणा समाप्त हो जायेगी । जब तक कानून पास नहीं हुआ है तब तक डिक्लरेशन कानून का रूप धारण करेगा, तो यह जनहित की बात है आम जनता को इसमें लूटने की बात नहीं है । मिडिलमैन जो पैसा अपनी जेब में रख लेता है जिसकी मैं समझता हूं कोई हिमायत नहीं करेगा, उसकी जेब में वह इससे नहीं जायेगा । यह एक मासूम बिल है उसे मौलिक रूप म जैसा यहां रखा गया है उसे स्वीकार करें और विधान परिषद् के जो संशोधन हैं उन्हें अस्वीकार किया जाय । मेरी राय यही है ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो परिषद् से संशोधन आया है उसमें फिर चेंज करना क्योंकि आपकी मैंजोरिटी भारी है उसके बल पर आप यह कर सकते हैं में उचित नहीं है । हमने पहले ही यह कहा था कि इम्पारटेंट बिल के जिसके ऊपर प्रवर समिति में विचार होना चाहिये लेकिन वह टर्न डाऊन हो गया । मैं समझता हूं कि काशी नाथ जी ने जो दलील दी है अगर हाऊस इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके माने यह होंगे कि जो एक हमारी संसदीय प्रणाली है उस पर यह कुठाराघात है । जब कोई भी बिल इस सदन में प्रस्तुत होता है तो उसके लागू होने से पहले कुछ नियम हैं उसमें फस्ट, सेकिंड और थर्ड रीडिंग होती है उसके बाद फिर अपर हाऊस में जाता है वहां से पास होने के बाद फिर उस पर एसेन्ट होगी । इस तरह की एक पद्धति बनी हुई है । आज उन सारी चीजों को खत्म कर रहे हैं और जिस दिन यह प्रस्तावित होगा उसी दिन से लागू हो जायेगा । ऐसा तो बहुत बार हुआ है कि अगर ऐक्ट पास किया तो उसे रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है लेकिन यह पहला मौका है कि जिस दिन अधिनियम पुरस्थापित हुआ उसी दिन से फीस बढ़ा दी गयी, उसी दिन से टैक्सेश का कलेक्सन शुरू कर दिया गया । ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर इसमें एसेंट न हो तो फिर वही प्रक्रिया चलेगी टैक्स वापस किया जांय । तो यह एक मजाक बनकर रह जायेगी । इस सदन ने ऐसे प्रस्ताव और संकल्प पास किये हैं जिन पर एसेंट नहीं हुई है और वह लटके पड़े हुए हैं । अगर एसेंट न हो तो फिर जिससे जितना टैक्स वसूल किया उसे वापस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

करने की प्रक्रिया चलेगी । मैं नहीं समझता कि इतनी भारी आपकी मेजोरिटी है अगर उस प्रोसीजर को जो बना है पूरा करने के बाद पास करे तो मुसीबत होगी । बिल के बाद भी रूल्स बनाने बनाने की बात होती है जो कि डेलीगेट की जाती है उसमें भी जांच होती है जो रूल्स अधिकारीगण बनाते हैं उनकी जांच डेलीगेटेड लेजिसलेशन कमेटी में होती है जिसका यही काम होता है कि किसी अधिनियम के अन्दर जो रूल्स बने हैं वह कहीं ऐसे तो नहीं बन गये है जिससे अधिनियम का मकसद खत्म हो जाता हो । जिस प्रकार संसदीय प्रणाली के अन्दर काम होना चाहिये उसके विरुद्ध यह है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको पुरस्थापित करते ही लागू कर दिया जाय ।

*श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो शब्द इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । यहां के न्यायालयों ने, वहां की संसद ने और यहां के विधान मंडलों ने एक परम्परा स्थापित की है कि जितने भी फिजिकल स्टैट्यूट्स होंगे या कानून होंगे, उनका इम्पलीमेन्टेशन विद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा । तो यह बहुत ही उच्च संशोधन विधान परिषद् ने रखा है और उसके साथ मंत्री जी ने जो अपना संशोधन-प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि वह यहां की उपरोक्त परम्पराओं के साथ खिलवाड़ है । जैसा रियासत साहब ने भी कहा, कोई बिल पेश कर दिया, उसके आपके प्रस्ताव के अनुसार जो प्रभाव होगा वह उसी दिन से लागू हो जाएगा, जिस दिन आपने उसे पुरःस्थापित किया था, किन्तु किसी कारण से यदि वह पास नहीं हुआ तो 6-6 महीने तक एक तलवार यहां की जनता के सिर के ऊपर लटकी रहेगी । तो इसमें पार्टी और दलों की बात नहीं है, इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बिल के अनुसार कर का प्रभाव तमाम जनता पर पड़ने वाला है । इसलिए आपको परम्पराओं का अनुपालन करना चाहिए और बिल के पारित होने के बाद ही उसका असर कर के लिए जनता पर पड़ना चाहिए ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि जब कभी भी कोई बजट पेश होता है, नये टैक्सेशन की बात आती है चाहे स्टाम्प ड्यूटी की बात हो, होर्डिंग शुरू हो जाती है और लोग उसको रोककर बाद में उसको नये-बढ़े हुए दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं । उसका फायदा व्यापारी लोग उठाते हैं, सरकार और जनता उसको कोई फायदा नहीं उठा पाती है । इसका मतलब यही है कि जिस दिन से उसका डिक्लेरेशन हो जाए, उसका रेट उसी दिन से लागू हो जाए, वरना लोग उसको रोककर उसका अनुचित लाभ उठाते हैं । इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही यह बिल लाया गया है और यही इसका मकसद है ।

श्री हरि सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह बिल हमारे विरोध पक्ष के सदस्यों को बड़ा जनता के विरोध में लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को मूल रूप में जनता सरकार ने ही बनाने का अपनी एक कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया था । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल पर मय धारा वाइज इस सदन में और ऊपरी सदन में विचार हुआ और उसमें जो उन्होंने संशोधन किया, उसका मतलब यही है कि यह बिल बिलकुल पास ही न हो पाए । यदि उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूझ बूझ होती, जनता का हित चाहते तो वह जिस धारा में आवश्यक समझते उसमें संशोधन कर देते, लेकिन उन्होंने पूरा यह प्रयास किया कि यह पास न हो पाए। क्योंकि जनता सरकार के जो बहुत चहेते लोग थे, उनको काटने वाला यह बिल है। जो टैक्सेशन के जरिए जनता सरकार को बहुत लाभ पहुंचाते रहे, उन्हीं पर यह लागू होता है। रियासत साहब ने बड़ी अच्छी शंका व्यक्त की, किन्तु यदि वह सेक्शन नं0 4 (ग) पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जाएगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनकी यह शंका निर्मूल है। जब किसी टैक्स को घटाने-बढ़ाने या उसके क्षेत्र को घटाने-बढ़ाने का बिल लायेंगे तो उसमें इस चीज को स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया जाएगा। तो जो वह कहते हैं वह बात ठीक नहीं यह बड़ा सूझ-बूझ का बिल है। मैं तो दाद देता हूं कि ऐसा बिल जनता सरकार के समय में विचार में आया था। इस बिल के पीछे बहुत अच्छी मंशा है। जैसे बजट के पेश होने के पूर्व अफवाह हो जाती है कि फलां चीज पर टैक्स लगेगें और उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत के लिए ही इसे लाया गया है। यह हमारे संविधान के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं अपितु अनुरूप ही है। इसमें शहरों में रहने वाले लोगों के हित की बात है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसका जो संशोधन विधान परिषद् से आया है, उसको स्वीकार न किया जाय और जो बिल है उसको मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन को प्रस्तुत करें।

मान्यवर, यह विधेयक ऐसा विधेयक है जिस पर भूतकाल से शासन का विचार चल रहा था। हमारे राजस्व वाद हैं उनके लिए हमें खोज करनी पड़ती थी। हमारे 28 ऐक्टस थे जिनके द्वारा ये वाद तय होते थे। यह एक विचार चल रहा था कि इसको सरल बनाया जाय और स्पष्ट भी बनाया जाय ताकि इस प्रदेश के किसानों को या इस एक्ट से सम्बन्धित हमारे अधिकारियों को और खास तौर से वकील साहेबानों को सुविधा मिले सीलिंग और चकबन्दी के ऐक्ट्स को छोड़कर शेष 26 ऐक्ट्स को इकट्ठा करके, उनको कन्सोलिडेट करके यह ऐक्ट बनाया गया है। हमारे राजस्व से सम्बन्धित जो हमारे अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर या

[श्री यशपाल सिंह---]

तहसीलदार आदि उनको जो शक्ति इस ऐक्ट के द्वारा मिल रही है, वह 1901 के लैंड रेवेन्यु एक्ट के द्वारा थी और वे इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग एक्ट्स के द्वारा उनको अधिकार दिए जाते थे तो उन सब दिक्कतों

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

और परेशानियों को देखकर यह निश्चय किया गया कि एक ऐसा कन्सोलिडेटेड ऐक्ट इस सम्मानित सदन के सामने लाया जाय जिससे इस प्रदेश के किसानों और राजस्व से सम्बन्धित वादों को तय करने में सरलता और स्पष्टता आ जाये । मान्यवर, इसके बारे में यह भी सोचा गया कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई खामी रह गयी है तो उस पर भी विचार कर लिया जाये और इसीलिये इस माननीय सदन की एक प्रवर समिति को यह अवसर दिया जा रहा है कि वह इस पर विचार करे और अपनी रिपोर्ट दे । यह इच्छा जाहिर की गयी थी कि इसमें बहुत अधिक समय न लगे क्योंकि काफी समय से यह विचाराधीन रहा है इसलिये इसमें यह मांग की गई है कि आगामी जो आने वाला सत्र हो उसकी पहली बैठक के दिन इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाये ।

इस ऐक्ट के द्वारा, विस्तार में तो बाद में बताऊंगा, एक दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं, यह किया जा रहा है कि पहले दाखिल खारिज के मुकदमें तहसीलदार के यहां, और बेनामी दाखिल खारिज के मुकदमें एस0 डी0 एम0 के यहां चलते थे, बाद में यह संशोधन हुआ कि वह तहसीलदार के यहां ही हों, लेकिन अब इसमें यह किया जा रहा है कि दाखिल खारिज के मुकदमें तहसीलदार के यहां ही शुरू होंगे और वह उनको समझौते द्वारा तय करायेगा और अगर कहीं झगड़े की बात हुई तो वह एस0 डी0 एम0 के यहां जाकर रेगुलर सूट दायर करेगा । इससे, बार-बार जो इधर उधर दौड़ना पड़ता था वह नहीं होगा । अतः मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस ऐक्ट को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार करे ताकि प्रदेश की जनता को लाभ हो सके ।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जाये । लेकिन एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि इसके लिये जो यह समय निर्धारित है कि आगामी सत्र के पहले दिन इसकी रिपोर्ट पेश की जाये, यह समय कम रहेगा । यह समिति इस नये सदन की नये सदस्यों की समिति होगी, एक-एक क्लाज पर माननीय सदस्य विचार करना चाहेंगे । यह नहीं होगा कि पहले समिति ने जो पास कर दिया है वह समिति उसको एज इट इज ही पास कर दे । यह मुनासिब भी नहीं होगा । इसलिए मेरा सुझाव यह है, हो सकता है कि अगला सेशन विन्टर सेशन नवम्बर या दिसम्बर में ही हो, इसको आप आगामी बजट सत्र, चाहे वह फरवरी में हो या मार्च में हो, के पहले दिन तक के लिये इसका समय रख दें । तो मैं इसी सुझाव के साथ माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और सुझाव देता हूं कि आगामी बजट सत्र के पहले दिन तक की अवधि बढ़ाई जाय । पिछली दफा 3-3 बार टाइम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, फिर दुबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो । इसलिए मेरे सुझाव के अनुसार इसमें इतना संशोधन कर लें कि आगामी सत्र के पहले दिन तक की इसकी अवधि बढ़ा ली जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, वैसे तो सम्मानित सदस्य ने जो सुझाव रखा है, वह कोई ऐसा विशेष सुझाव नहीं है जिसके मानने में कोई दिक्कत हो। लेकिन एक ही दिक्कत है कि यह विधेयक पहले भी प्रवर समिति को इसी प्रकार सुपुर्द किया गया था, प्रवर समिति की बैठकें हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पूरे इस एक्ट के ऊपर विचार नहीं कर पाई और विधान सभा भंग हो गयी। तो मान्यवर, काफी दिनों से यह बिल पेंडिंग है। इसमें विशेष रूप से इस बात की जो दरख्वास्त की गयी, जो भी नेक्स्ट सेशन हो, उसके प्रथम दिवस में ही यह पेश हो। मान्यवर, इसको मद्देनजर रख कर ही यह रखा गया है। मैं सम्मानित सदस्य से यही दरख्वास्त करूंगा कि वह इसकी चिन्ता न करें। इसकी बैठकें होगी और जितना भी तफसील में बातचीत कर सकेंगे वह तफसील में बातचीत होगी और इसमें क्लाजवाइज जिस प्रकार से बातचीत कर सकेंगे, वह पूरा सुनने का प्रयास किया जायगा। मैं तो मान्यवर, अगर आप अनुज्ञा दें, तो मैं प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करूं।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, नहीं अभी आप बैठें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन को प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सम्बन्धी प्रवर समिति में सदस्यों के नामांकन का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपना यह प्रस्ताव रखूं उसके सम्बन्ध में मैं एक जो नाम इसमें दिये गये हैं, इनमें दो नामों का संशोधन का मैंने प्रस्ताव भेजा है, वह इसके साथ ही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजस्व मंत्री जी बदले हुए नामों को सम्मिलित कर इसको पढ़ें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सम्बन्धी प्रवर समिति में पदेन सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हों :--

(1) श्री श्याम सूरत उपाध्याय (इलाहाबाद)

(2) श्री सीताराम निषाद (फैजाबाद)

(3) श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण (बस्ती)

(4) श्री मान पाल सिंह (एटा)

[श्री यशपाल सिंह--]

(5) श्री निर्मल कुमार (फैजाबाद)

(6) कुमारी सुमनलता दीक्षित (कानपुर)

(7) श्री भीखा लाल (उन्नाव)

(8) श्री दूध नाथ राजभर (आजमगढ़)

(9) श्री गुलाब सेहरा (आगरा)

(10) श्री सुन्दर सिंह (बहराइच)

(11) श्री राम रतन सिंह (सीतापुर)

(12) श्री सुरेन्द्र कपिल (सहारनपुर)

(13) श्री राम सिंह (सहारनपुर)

(14) श्री सोमांश प्रकाश (मुजफ्फरनगर)

(15) श्री दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)

(16) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर)

(17) श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद)

(18) श्री शिवानन्द नौटियाल (पौड़ी गढ़वाल)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजस्व मन्त्री जी आपने शायद 6 नम्बर पर कुमारी सुमन लता दीक्षित के नाम की जगह श्री भीखा लाल जी का नाम पढ़ा है। इसलिए... (शोर)

श्री धरमपाल--

माननीय मन्त्री जी आपने 7वें नम्बर पर कुमारी उर्मिला अग्निहोत्री के स्थान पर श्री भीखा लाल जी को इस समिति का सदस्य निर्देशित कर दिया, ऐसा क्यों किया गया ? मान्यवर, इसमें केवल दो ही महिलाएं थीं उनमें से भी एक का नाम हटा दिया। आखिर यह महिलाओं के साथ दुराव क्यों ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, आपने जो सदस्यों की सूची में तबदीली की है, उसमें आपने कु0 सुमनलता दीक्षित के स्थान पर भीखा लाल जी का नाम पढ़ा है और सम्भवतः होना चाहिए था कु0 उर्मिला अग्निहोत्री के नाम के स्थान पर। इस लिए आप दुबारा इसको पढ़ दें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, संशोधन में सम्भवतः गलती हो गयी हो। जो सूची संशोधित मेरे पास भेजी गयी है, हो सकता है उसमें गलती हो। इसलिए मैंने जो पढ़ा है, उसी को सही मान लिया जाय।

*श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के समक्ष आपके माध्यम से एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह जो राजस्व संहिता समिति बनायी गयी, उसमें कम से कम ऐसे सदस्यों को रखना चाहिए, जिन्हें इस विषय में जानकारी हो। नम्बर 6 और 7 पर आपने जिन दो महिलाओं के नाम रखें हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि इन लोगों को नये सदस्य होने से नाते राजस्व से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं होगी खैर आपने स्वयं ही संशोधित कर दिया है। दूसरी बात यह मान्यवर, कि पहले नम्बर पर श्री स्वामी प्रसाद सिंह जी का नाम था, जिसको पता नहीं आपने क्यों हटा दिया। जब कि यह इस विषय के मन्त्री भी रहे हैं और इन्हें रूल्स और रेगुलेशन आदि की जानकारी भी है, नियमों के अच्छे ज्ञाता हैं तो मैं समझता हूं कि इनके रहने से समिति को अधिक सुविधा होती व अधिक लाभ भी कमेटी को मिलता। पर आपने इनको हटा दिया। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे जानकार अनुभवी सदस्यों को इसमें रखिए ताकि समिति को इससे पूरा पूरा लाभ हो और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही जानकार लोगों को रख कर समिति को लाभ पहुंचायेंगे।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, 18 सम्मानित सदस्यों को ही इसमें लिया जा सकता है। शिकायत तो कहीं न कहीं रह ही जायेगी और जहां तक स्वामी प्रसाद सिंह जी की बात है और उनकी सलाह की बात है, वे पूर्व में राजस्व मन्त्री भी रह चुके हैं और हम भी चाहते हैं कि ऐसे विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ली जाय। पर ऐसे विशेषज्ञों की सलाह उनके बाहर रहते हुए भी हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको जिस ओर भी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, हम उन्हें बाहर से ही उपलब्ध कर लेते हैं। इस लिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पास करने की कृपा करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× ×] (शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायें, माननीय सदस्य आपको बुलाया नहीं गया है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

बिना आज्ञा के माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह अनुचित है माननीय सदस्य बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा, अनुमति के साथ नहीं बोल रहे हैं इसलिए वह लिखा नहीं जायेगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सम्बन्धी प्रवर समिति में पदेन सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हों--

1--श्री श्याम सूरत उपाध्याय, इलाहाबाद ।

2--श्री सीता राम निषाद, फैजाबाद ।

3--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण, बस्ती ।

4--श्री मानपाल सिंह, एटा ।

5--श्री निर्मल कुमार, फैजाबाद ।

6--कुमारी सुमनलता दीक्षित, कानपुर ।

7--श्री भीखा लाल, उन्नाव ।

8--श्री दूधनाथ राजभर, आजमगढ़ ।

9--श्री गुलाब सेहरा, आगरा ।

10--श्री सुन्दर सिंह, बहराइच ।

11--श्री राम रतन सिंह, सीतापुर ।

12--श्री सुरेन्द्र कपिल, सहारनपुर ।

13--श्री राम सिंह, सहारनपुर ।

14--श्री सोमांश प्रकाश, मुजफ्फरनगर ।

15--श्री दिवाकर विक्रम सिंह, बस्ती ।

16--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सीतापुर ।

17--श्री रियासत हुसैन, मुरादाबाद ।

18--श्री शिवानन्द नौटियाल, पौड़ी-गढ़वाल ।

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

कुमायूं मन्डल के लिये हमारी बात न सुने जाने के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अनुमति के बगैर बोलेंगे तो उनका कहा हुआ कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री राज कुमार राय--

जो सूची है क्या मन्त्री उसमें संशोधन कर सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप इस पर अपनी अनुमति दें, माननीय मन्त्री पेश करने तक उसमें संशोधन कर सकते हैं जब तक वह प्रस्तुत न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980

*पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह एक बहुत ही सादा सा विधेयक है इसमें जो एक असमानता थी कि किस आयु पर किस को रिटायर किया जाय, इसमें एक मुकदमा हाई कोर्ट में दायर हुआ था जो जुडीशियल मेम्बर थे उन्होंने दायर किया था कि 61 साल से पहले उन्हें न रिटायर किया जाय किन्तु सब जगह 58 साल है यह असमानता थी उसको दूर किया गया है कुछ परिवर्तन किया गया है इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पारित किया जाय ।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मुझे इसका विरोध करना है, माननीय मन्त्री जी ने कहा 58 साल की उम्र हर जगह है सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिये लिहाजा मेल होना चाहिए । ऐसी बात नहीं है हाई कोर्ट में 62 साल तथा सुप्रीमकोर्ट में 65 साल जजों की एज है। लोक सेवा अधिकरण में इन लोगों की एज 60 वर्ष बहुत सोच समझकर रखी गयी थी और ऐसे लोगों के लिए यह है जिसमें बहुत काबिल, सूझ-बूझ के आदमी होने चाहिए । यह इसलिए सरकार को करना पड़ा कि इसके एक मेम्बर थे और पहली अगस्त, 1922 डेट आफ बर्थ थी और जुलाई के आखिरी हफ्ते या तीसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फकरे आलम—]

हफ्ते में, 1980 में उनसे कहा गया कि आपको यहां से हटा कर जिला जज बनाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि यह पर्दे की आड़ में यह किया जा रहा है और 2 साल पहले यह षड़यंत्र रचा जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज करके रिवर्ट किया जा रहा है । उन्होंने यह चर्चा की और हाई कोर्ट में विचाराधीन है और मैं यह समझता हूं कि इसमें किसी किस्म का अमेन्डमेन्ट करना, भ्रामक कर देने से बहुत बड़ा फर्क हो जायेगा और चीज सब-जुडिस है, जिसका फैसला हाई कोर्ट में है, उसमें हमारी तरफ से आक्षेप हो जायेगा । यह नहीं होना चाहिए और जहां तक इस मामले की कानूनी बात है वह यह है कि उसकी एज 60 साल तक है अगर 62 साल कर दी जाये तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जो मेम्बर होते हैं वह हाई कोर्ट के जज होने के काबिल होते हैं । जो हाई कोर्ट की जजी कर सकते हैं 62 साल तक रहते हैं तो अगर 60 साल रखा जाये तो क्या हर्ज है । अगर वह 60 साल तक काम करते रहेंगे तो हम उनकी विद्वता से फायदा उठाते रहेंगे । अगर अफसरों का और खास तौर से जजों का रिटायरमेन्ट के बाद और जगह रि-इम्प्लायमेन्ट बन्द कर दिया जायेगा क्योंकि इससे जुडिशियरी में इन्टरफियरेंस होता है और वह उससे हेम्पर करते हैं । जहां उनको रहने का अधिकार है वहां न रहने दें तो यह जुडिशियरी पर असर डालने की कोशिश की जा रही है और कमिटेड जुडिशियरी बनायी जा रही है । मेरी समझ में नहीं आता कि कमिटेड जुडिशियरी हो जायेगी तो हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कहां इंसाफ रहेगा, कौन इंसाफ करेगा । सरकार के खिलाफ कोई फैसला करेगा ? जुडिशियरी कमिटेट होगी, आपके कब्जे में होगी, आपके इशारे पर काम करेगी । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे हर्गिज मंजूर न करें और किसी जुडिशियरी फंक्शन में कोई हस्तक्षेप न करें । आप जो कमिटेड है उनको 58 के बाद ले लेंगे और जो इन्डिपेन्डेन्ट हैं और जैसे उत्तर प्रदेश की जुडिशियरी 20 साल पहले इन्डिपेन्डेन्ट हुआ करती थी, वैसे लोग हैं, वह नहीं आयगे, बेकार हो जायेंगे और जो रबर स्टैम्प बन जायेंगे उनको ले लेंगे । लिहाजा इसको रद्द कर दिया जाना चाहिये । किसी हालत में मंजूर नहीं करना चाहिए और 60 के बजाय 62 साल तक कर दिया जाये । मैं समझता हूं कि मन्त्री जी भी इससे सहमत हैं । हमें उम्मीद है, मैं उनके चेहरे से अंदाजा लगा रहा हूं कि वह इस बात को मान रहे हैं । इस माननीय सदन के बहुत से लोग एडवोकेट्स हैं जो कानून जानते हैं । मैं समझता हूं कि वह इस बात को मंजूर करेंगे कि इस तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिये । लोक सेवा आयोग ऐसा आयोग है जो तमाम उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के लिये बनाया गया है, यह एक बनाया गया है, हर जिले में एक होना चाहिये था । 58 साल बाद जब लोग रिटायर हो जायेंगे उसके बाद चारा डाला जायगा, जैसे बंशी में चारा मछली को डाला जाता है उसी तरह से चारा डाला जायेगा और जो आप चाहेंगे वह वही फैसला देंगे, जो आप कहेंगे वही वह मानेंगे ।

श्री हुकम सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, जो मासूमियत हमारे अम्मार साहब के चेहरे पर नजर आती है उसी मासूमियत के साथ उसी मासूमियत का जामा पहनाकर वह बड़ी जहरीली चीज को बड़े हल्के फुल्के तरीके से पेश करते हैं । एक प्रश्न सरकार के सामने प्रस्तुत है, एक सदस्य महोदय रिट में चले गये उसको निष्प्रभावी करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है । हमारे वरिष्ठ साथी ने जो कहा है मैं

उसका समर्थन करता हूं। सरकार जुडीशियरी में, न्यायालय के फैसलों में और उनके सामने जो पेंडिंग याचिकायें हैं उनको निष्प्रभावी करने के लिये समय-समय पर जो विधेयक पेश करती है यह तरीका बहुत अच्छा नहीं है। बहुत हेल्दी यह प्रेक्टिस नहीं है। इस प्रकार जैसा उन्होंने कहा कि एक साधारण सी बात थी उसके लिये यह छोटा सा बिल पेश कर दिया गया, पर इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव यही होगा कि अगर किसी की नौकरी के हित पर कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वह न्यायालय में जाना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है और सरकार को कोई परेशानी या मजबूरी होती है या कानून में कोई कमी है तो याचिका को समाप्त करने के लिये वह विधेयक ले आयेंगे। तो मान्यवर, मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कम से कम वह याचिका अंतिम रूप से तय न हो जाय, उच्च न्यायालय निर्णय न दे दे तब तक इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन परिस्थितियों में मंत्री जी मेरी बात को स्वीकार करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, माननीय फखरे आलम साहब ने जो बड़े जोर शोर से और जोश व होश से इसकी मुखालफत की। मेरा ख्याल है कि जोश ज्यादती थी और होश की कुछ कमी थी। क्योंकि यह जो विधेयक पेश हो रहा है। यहां कहीं पर जुडीशियरी की एक को कम करने के लिये कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि जो ट्रिब्यूनलों में लोग आ जाते हैं, 5 ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेन्ट के हैं जिनके अन्दर सर्विसेज, नौकरियों के मामले जाते हैं। उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो 58 साल पर रिटायर होते हैं और दूसरे 61 साल पर रिटायर होते हैं। उनमें असमानता थी उसको दूर किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश फाइनेंसियल हेंड बुक है उसको लागू करने का इसमें पूरा प्रयास किया गया है। जो शब्द इसमें लिखे गये हैं हर शब्द को इसमें लागू किया जायगा। जुडीशियरी का सरकार आदर करती है और इंडिपेन्डेंट आजाद जुडीशियरी हम लोग चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी प्रकार का दबाव डालने की बात इसमें नहीं है। मैं दूसरी चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक हमारे सामने प्रश्न था कि इस समय लोगों के प्रोमोशनल एवेन्यूज हैं, अगर हम एज आफ रिटायरमेंट को बढ़ाते जायेंगे, अगर एज को 61-65-70 साल कर दिया जायगा तो जो लोग पीछे आ रहे हैं उनके सामने प्रश्न होगा कि उन लोगों का क्या होगा जो क्यू में खड़े हैं। तो एक ही राज्य में, एक ही दफ्तर में, एक ही ट्रिब्यूनल में दो तरह की चीजें सामने रखना किसी तरह से उचित नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि साधारण सी चीज है, एक असमानता जो है उसको दूर करना है और जितना भय सम्मानित सदस्य ने प्रकट किया, माननीय सदस्य सीतापुर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी आ गये हैं इसलिये उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें और पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह पहली जून, 1977 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम (जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित ऐसी कम्पनी भी है जिसमें पचास प्रतिशत से अन्यून समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार धारण करती है);

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(1) किसी अन्य कम्पनी का वेतन भोगी या उसकी सेवारत कोई व्यक्ति; या

(2) अखिल भारतीय सेवाओं या अन्य केन्द्रीय सेवाओं का कोई सदस्य;"।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, शब्द "जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या होने के लिये अर्ह है," के स्थान पर, शब्द "जो उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है या ऐसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह है" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु जहां उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाय, वहां उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा।";

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(5) फाइनेंशियल हैन्ड बुक, खण्ड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फंडामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे उसी श्रेणी, पंक्ति या संवर्ग के किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं :

परन्तु उपधारा (4) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई न्यायिक सदस्य तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय।"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, खंड (ख) में, शब्द "या आवेदन" निकाल दिये जायेंगे।

अपवाद और संक्रमण-कालीन उपबन्ध

5—(1) जहां अधिकरण के किसी सदस्य ने 31 जुलाई, 1980 के पूर्व अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे फाइनेन्शियल हैन्ड बुक, खंड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 या उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य सिविल सर्विस रेगुलेशन के आर्टिकिल 520 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अनुसार, सेवा में बनाये नहीं रखा गया है, या पुनर्नियुक्त नहीं किया गया है, वहां किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश डिक्री में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सदस्य को ऐसी आयु पूरी करने के दिनांक से सेवा-निवृत्त समझा जायगा, और ऐसी सेवा-निवृत्ति उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) अखिल भारतीय सेवाओं या किसी अन्य केन्द्रीय सेवा के किसी सदस्य द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकरण को 31 जुलाई, 1980 के पूर्व दिया गया प्रत्येक निर्देश जो उक्त दिनांक को अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित किया जायगा।

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1980

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, खंड 6 तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुये दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मंडल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

[1 बज कर 32 मिनट] ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो विषय संबंधित है उसको मैं दो विषयों में विभाजित करके अपनी बात रखना चाहता हूं । सबसे पहली बात यह है कि एक पत्रकार को गिरफ्तार करने की घटना अलीगढ़ में जो हुई वह मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इस पत्रकारिता के क्षेत्र के इतिहास में प्रेस ऐक्ट का जिस तरह उल्लंघन किया गया है, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं होगी । जानबूझकर पत्रकारों को आतंकित करने के लिये वहां के जिलाधिकारी, एस० पी० और कमिश्नर जो थे उनकी व्यक्तिगत शत्रुतावश एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया । यह बात जो मैंने कहा उससे वास्तव में आज सेंसरशिप है, आपातकाल स्थिति में जो सेंसरशिप लगायी गयी थी उससे भी मान्यवर, एक भद्दी और खराब स्थिति है । जिस तरह से पत्रकार को गिरफ्तार किया गया ।

आप देखें, प्रेस ऐक्ट में कुछ नियम और व्यवस्थायें दी हुई हैं । कोई अवमानना का सवाल आता है, डिफेमेशन का सवाल आता है तो उस पर कार्यवाही किस के खिलाफ होने की जरूरत है । यह बात सही है कि वहां के जो होमगार्ड के अधिकारी थे उन्होंने कुछ पत्रकारों के सामने वह समाचार दिया । सरकार कहेगी समाचार नहीं दिया । हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए ।

मान्यवर, यह समाचार एक नहीं चार पत्रकारों ने अपने-अपने माध्यम से प्रसारित किया । विभिन्न अखबारों में समाचार छपता है । मैं समझता हूं कि एक पवन कुमार जैन को ही गिरफ्तार करने का क्या कारण था । दूसरी बात यह पैदा होती है कि प्रेस ऐक्ट के नियमानुसार फरवरी में हर अखबार को लेखा-जोखा देना पड़ता है जिस के अन्दर कोई अगर समाचार प्रकाशित होता है तो उस के लिए दायित्व होना चाहिए प्रकाशक पर, मुद्रक पर, सम्पादक पर, जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अखबार निकाल रहे हैं। प्रकाशक, सम्पादक और मुद्रक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उस के खिलाफ हो रही है जिस का सूत्र नहीं दिया जाता। सम्वाददाता की क्या स्थिति है। वह अखबार के लिए समाचार भेजता है। किस सूत्र से भेजता है, कैसे भेजता है, इस बात पर कोई ध्यान दिये बिना एक पत्रकार को पकड़ा जाता है प्रिविनेशन डिटेन्शन में। यह बदले की भावना से क्यों काम हुआ है ? इसलिए हुआ है कि इस पत्रकार ने वहां के एस0 पी0 के खिलाफ एक से अधिक बार समाचार प्रकाशित किया जिससे वह स्वयं नाराज थे और इसलिए बदले के भावना से उन को बन्द कर दिया।

अब आप देखें। एक पत्रकार पकड़े गये, सम्वाददाता थे। जो बयान छपा था उस में यह कहते हैं कि आगरा से प्रसारित समाचार भारती में एक खबर छपी। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि समाचार भारती की सर्विस वहां नहीं है और आरोप यह लगाया गया कि समाचार भारती ने खबर छाप दी। यह भी केवल बदले की भावना से है। केवल पत्रकारों को आतंकित करने के लिए, सेन्शरशिप लागू करने के लिए। आगरे के बारे में आप देखें। उसमें पत्रकार के साथ कैसा अभद्र व्यवहार, कितना निन्दनीय व्यवहार किया गया जिस के अतिरिक्त मैं समझता हूं दूसरी बात किसी सरकार के लिए शर्मनाक नहीं हो सकती। जो कमिश्नर अलीगढ़ में थे पहुंचे आगरा और आगरा जाने के बाद अपने घर में वह पत्रकारों को बुलाते हैं। इतने गुस्से में होते हैं कि कमरे में आते ही पत्रकारों को डाटना शुरू कर देते हैं, आबसीन बातें करते हैं, गालियां देते हैं कि कैसे अलीगढ़ की खबर छपी। आप डांट रहे हैं। यह मेरा निश्चित मत है कि जब से मुरादाबाद के बाद यह हिंसक उपद्रव प्रारम्भ हुआ है पत्रकारों की भूमिका बहुत ही प्रशंसनीय रही है। उन्होंने बड़े विवेक और बड़े उत्तर दायित्वपूर्ण ढंग से काम किया है। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि किसी से गलती हो जाती है। तो गलती के लिए गिरफ्तार किया जाय। आवश्यकता इस बात की थी कि यदि कोई समाचार ऐसा प्रसारित किया गया जिस को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी तो उस की वाइडर पब्लिसिटी की गई होती, समाचार का प्रतिवाद किया जा सकता था। इसके लिए गिरफ्तार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, किन्होंने किया, जो कमिश्नर हैं उन्होंने। एक बात व्यवहार की होती है। हमारे सामने माननीय रिजवी जी, मन्त्री जी, बैठे हुये हैं। अब कोई कह दे कि मन्त्री जी आते ही डांटने, मारने लगे। इनका जो व्यवहार है सब के साथ प्रतिष्ठित है। उस में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया।

अगर हमारे पास आईविटनेस नहीं है तो। लेकिन जिन सज्जन के बारे में सूचना दी गयी है श्री देशराज सिंह जो कमिश्नर हैं उनकी चरित्र पंजिका में लिखा है "अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, शराब पियेंगे, लड़कियों के साथ घूमेंगे। यह आम घटना है। यह फाइल में दिया है। मुख्य मन्त्री जी को इसकी जानकारी खुद है। बरेली के वह डी0 एम0 रहे हैं। क्या यह सही है कि विधायकों ने उनकी शिकायत की थी ? एक वरिष्ठ नेता को उन्होंने चांटा भी मार दिया था। गेस्ट हाउस में दिल्ली जा कर क्या-क्या होता है इसकी तह जांच करा लें। उनकी पृष्ठ भूमि ऐसी रही है जहां रहे हैं वहां लड़ते रहे हैं। सायजन आफिसर थे वहां से हटा दिये गये। इसलिये सही बात मानने के

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

लिये मजबूर होना पड़ता है । अगर सरकार निष्पक्ष थी तो सरकार को पत्रकारों का समादर करना चाहिये था । संसदीय शासन व्यवस्था में पत्रकारों का विशेष महत्व है । सरकार निष्पक्ष थी तो क्या उसने शिकायतों की जांच की ? के0 के0 सिंह आजमगढ़ के अधिकारी थे । उन्होंने समाचार दिया और यह भी आरोप लगाया गया कि होमगार्ड की तैनाती में बड़ा भ्रष्टाचार था । उनके नाम पर पैसा वसूल किया जाता था । देशराज सिंह ने जो बयान आगरा में दिया जो कापी इसमें दी गयी है जो शब्दशः वही है । इसमें जांच कराने की जरूरत थी और मुख्य सचिव को भेजना चाहिये था, वह जाते और गवाही लेते, पत्रकारों से मिलते । अगर दुर्व्यवहार हुआ था जिसकी मुझे सुनिश्चित जानकारी है तो सरकार को कहना चाहिये था कि उसने जांच कराई और उनके खिलाफ कार्यवाही की । यदि वह निर्दोष पाये गये तो यह कहना चाहिये था कि वह निर्दोष पाये गये और आरोप निराधार पाये गये पत्रकारों के । यह कुछ नहीं हुआ । इससे साफ जाहिर है कि जानबूझ कर चीजों को छिपाने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से सेंसर लगाया गया है । अभद्र व्यवहार किया गया है और इसमें सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं । जिस दिन बयान दिया गया था उस दिन भी कमिश्नर साहब लखनऊ में थे । उन्होंने खुद स्टेटमेंट बनाया । मैं चाहता हूं कि मामले की जांच की जाय और जांच करने के बाद स्थिति की जानकारी माननीय सदन को दी जाय ।

अब अलीगढ़ में जो हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त में मैं कुछ कहना चाहूंगा । सरकार की ओर से जो बयान दिया गया है इसमें कहा गया है कि जिस समय पत्रकार को गिरफ्तार किया गया उसका रिएक्शन वहां के नागरिकों पर हुआ । यह बहुत गन्दा कदम उठाया गया था । यह बात सही है कि ऐसे मौके पर जब तनाव बढ़ा हुआ हो तो उस समय प्रदर्शन के लिये जुलूस नहीं निकलना चाहिये यह मेरा मत है लेकिन जब सम्पर्क किया गया तो पता यह लगा कि जो बयान निकाला गया है वह बिलकुल झूठा है और किसी तरह से कोई जुलूस नहीं निकाला गया । लोगों में रोष था । लोग दूकान नहीं खोलना चाहते थे एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस आई के इस मामले में समझौता करा रहे थे । उनका नाम है घनश्याम सिंह वहां के जिलाधिकारी से जनता से और दुकानदारों से समझौता करा रहे थे । कहा जाता है कि वहां पर स्थिति बहुत खराब हो गयी थी, एक धमाका हुआ है विस्फोटक स्थिति हो गई । मान्यवर, मैं कहता हूं कि अलीगढ़ में इन चीजों की जानकारी पहले से क्यों नहीं की । मान्यवर, हमारे नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकार वहां पर गये थे स्थिति का जायजा लेने के लिये । उन्होंने जांच के बाद यह देखा कि वहां जिलाधिकारी, एस0 पी0 और कमिश्नर तीनों के बीच में तालमेल न होने के परिणामस्वरूप झगड़ा हुआ है । इनका आपस में तालमेल नहीं था । वे कहते हैं कि टोटल फेल्योर आफ दि लोकल इन्टेलीजेन्स यूनिट । यानी उनका कहना था कि आपस में वहां पर एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं था । ये लोग बैठे रहे और इसी का परिणाम हुआ कि झगड़ा हो गया । अगर उनको जानकारी हो तो इस बात को समझते हुए उस घटना के कारण जो असन्तोष था उसका प्रकटीकरण हो सकता था ।

[श्री रांजेन्द्र कुमार गुप्त—]

इससे भी ज्यादा गम्भीर बात यह है कि सरकार बारबार कहती है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई और लोग पुलिस की गोली से नहीं मरे । मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमने पुलिस वालों को पी0 ए0 सी0 को और रक्षकों को कह दिया कि गोली मत चलाओ । लेकिन मान्यवर, मुरादाबाद में भी यह घटना हो गई और सरकार सफाई देती है वहां की पी0 ए0 सी0 आत्म रक्षा में गोली चलाई । लेकिन अगर कुछ असामाजिक तत्व गोली चला रहे हैं तो पूछता हूं कि कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की गई । बिना यह समझे हुये कि यह कैसे हुआ, जानबूझकर इसको हिन्दू मुस्लिम दंगा बनाने की कोशिश की गई । किसी मजहब को बुरा कहना जघन्य अपराध है । हिंसा करने वाले तत्व सब जगह होते हैं लेकिन उनके साथ कड़ाई से व्यवहार करने की आवश्यकता है । उसके बाद देखते ही गोली चलाने के आदेश भी वहां हो गए। इसमें केन्द्र का भी कितना हस्तक्षेप है उसका एक अंश मैं कोट कर देना चाहता हूं । यह समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है उत्तर प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पांचजन्य प्रतिनिधि को बताया कि यदि केन्द्रीय गृहमंत्री ज्ञानी जैलसिंह उत्तर प्रदेश को अपने चरागाह के रूप में प्रयोग करना बन्द कर दे तो वहां की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति स्थायी रूप से नियन्त्रण में आ सकती है । उक्त अधिकारी का कहना था कि गृह मन्त्री जी बिना किसी जानकारी और पूर्व सूचना के घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को सुधारने के स्थान पर बिगाड़ देते हैं ....।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मेरी जानकारी यहां तक है कि अलीगढ़ के अधिकारी स्थिति को नियन्त्रित नहीं कर पाते हैं इसलिए अब उन्होंने राज्य सरकार के मन्त्रियों को वहां आने से भी रोक दिया है । स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मान्यवर, जब कहीं झगड़ा होता है तो तत्काल जिलाधिकारी और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही होती है । उनकी जो शिकायत आयी है वे हरिजन हैं और उनको हटा दिया गया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां भी दंगे हुये हैं इलाहाबाद में वहां उनको नहीं हटाया गया । यह इसी का परिणाम है कि आप स्थिति को नियन्त्रण में नहीं कर पा रहे हैं । यह सरकार बिलकुल असफल रही है और इसी असफलता को छिपाने के लिये मुख्य मंत्री जी ने त्यागपत्र देने का नाटक किया और वह आज और भी गहरा हो गया । आज उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी असामाजिक स्थिति पैदा होने की जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यहां पर दो सलाहकार भेजे जाने वाले हैं और शासन को चलाने की जिम्मेदारी उन सलाहकारों को दी जायेगी जो कि मुख्य मन्त्री जी के निर्देश पर काम करेंगे । मुख्य मन्त्री जी और यह पूरा प्रशासन असफल रहा है यह बात केन्द्र ने स्वीकार कर ली है । अगर स्वीकार न किये होते तो यह बात नहीं पैदा होती । मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं । यदि यहां पर सलाहकार आयेंगे तो मतलब हुआ कि यहां जो वैधानिक सरकार गठित हुई थी उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया ऐसी व्यवस्था यहां बना दी है । आज चारों तरफ सरकार की असफलता सिद्ध हो गयी है ।

[श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--]

अंत में मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा वह यह है कि वहां के एस0 पी0 और जिलाधिकारी को हटा दिया गया है उसके साथ कमिश्नर को भी स्थानांतरित कर देना चाहिये । दूसरी बात यह कि दंगा करने वाले अपराधी तत्व पर नियन्त्रण करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिये । साथ-साथ अलीगढ़ में जो हुआ उसकी जांच हो । जांच सरकार करायेगी नहीं क्योंकि इससे पहले भी हुई थी हरल्ड ने कहा है कि ठीक उसी तरह की यह घटना है जैसी दो साल पहले हुई थी जो कि आपस के झगड़ों का परिणाम था ।

मुझे अन्त में यह कहना है कि मुरादाबाद के मामले की जांच करने के लिए आपने डिस्टिक्ट जज को सौंपा है । इतना बड़ा गम्भीर मामला है उसके छींटें दिल्ली तक पहुंच गये इसलिए मेरी मांग है कि हाईकोर्ट के किसी वर्किंग जज से कराई जानी चाहिये । जिससे सब चीज साफ हो जाय । मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि अगर सरकार का इरादा अलीगढ़ की जैसी जांच कराना है जिसमें मौका आयेगा कि खिलाफ एवीडेंस आया तो वह वापस ले ली जायेगी तो उस जांच से कोई फायदा नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा मालूम होता है कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए समय का कुछ निर्धारण हो जाय तो अच्छा है । मैं समझता हूं कि 7 मिनट का समय ठीक है ।

श्री मोहन सिंह--

जिन लोगों ने सूचना दी है उनको ज्यादा समय दें ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको 10 मिनट मिलेगा ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अलीगढ़ के पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला एक शर्मनाक और घृणित घटना है । इस प्रदेश में उन्होंने इमरजेन्सी लागू कर रखी है और समाचार-पत्रों पर बिना किसी कानून के सेंसरशिप लागू कर रखी है । माननीय श्री राजेन्द्र कुमार ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन इस सदन के सामने जो वक्तव्य दिया है उसको ही श्रवण किया जाय उससे स्वयं लगता है मुख्य मंत्री जी ने कहा है आयुक्त, आगरा मण्डल ने पत्र प्रतिनिधियों को यह बताया कि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा इस समाचार का उसी दिन खंडन कर दिया गया था। कुछ पत्र प्रतिनिधियों ने आयुक्त के साथ अशिष्टता बरतनी आरम्भ की जिस पर आयुक्त ने बैठक इस चेतावनी के साथ समाप्त कर दी कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जायेगा । वैसे तो यह बात बिलकुल असत्य है कि पत्रकारों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया । सत्यता तो यह है कि एक घटना के बारे में किसी प्रेस रिपोर्टर ने कोई समाचार दिया और उसको किसी पत्र ने प्रकाशित किया तो जिलाधिकारी को मीटिंग बुला कर जिनको मुख्य जिम्मेदारी है इस तरह की बात करनी चाहिये थी, लेकिन कमिश्नर साहब ने अपने यहां बैठक बुलाई और सभी पत्रकारों को डांटना शुरू कर दिया । अगर आप इनके वक्तव्य को ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पकड़े तो इसमें यह कहते हैं कि इस चेतावनी के साथ खतम किया कि यदि उनके साथ अशिष्टता की, यदि किसी ने अशिष्टता भी की थी तो आयुक्त ने सब को इस बात की चेतावनी क्यों दी उन्होंने कहा कि आपने यदि प्रशासनिक असफलता की बात कही तो आपको असामाजिक गतिविधियों के अध्यादेश के अन्दर बन्द कर देंगे। तो यह एक तरह से प्रेस के ऊपर अतिक्रमण और आक्रमण है केवल इतनी सी बात के लिए जिस आयुक्त ने पूरे अलीगढ़ की शांति व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सरकारी वक्तव्य में यह कहा गया था कि वहां शांति हो गयी है उसके बाद पत्रकारों की गिरफ्तारी की गयी।

समाचार पत्रों में तस्वीरें छपने लगीं, वहां से मिलिट्री हटा ली जायगी। स्वयं संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मन्त्री ने कहा कि पी० ए० सी० के ऊपर जो आक्रमण किया जाता है, उसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा, पी० ए० सी० शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए हमारी सबसे बड़ी फोर्स है और उसका मनोबल नहीं गिरने दिया जायेगा। किन्तु यदि वास्तव में ऐसा होता तो आपने किस स्थिति में पी० ए० सी० को वहां से हटाया और रिजर्व पुलिस और बार्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात कर दी? यह भी आया था कि वहां से सेना भी हटाई जायेगी, लेकिन उन दो पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद एक घटना हुई, जिसमें 9 अल्प संख्यक समुदाय के लोग मारे गये, वहां पर दुकानों में लूट होने लगी, वह बन्द होने लगीं और तमाम नगर में एक हाहाकार मच गया। तो एक प्रशासनिक गलती के कारण यदि इतने लोगों की जानें जाती हैं तो यह केवल स्थानान्तरण का मामला नहीं है, यह स्पष्ट निलम्बन का मामला है। वहां के आयुक्त को, दंगे फिर से भड़काने के आरोप में निलम्बित किया जाना चाहिए। आई० पी० सी० की धारा 153-ए में यह लिखा हुआ है कि जो कोई भी साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करेगा या उसका समाचार प्रकाशित करेगा या लिटरेचर प्रकाशित करेगा, उसको इस धारा के तहद गिरफ्तार किया जायगा।

आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपवाये तो उस पर यह धारा लागू नहीं होती है। समाचार जिसने छापा, उस के ऊपर लागू होता है। समाचार छापने वाले एडिटर्स और प्रकाशक हैं, उन पर लागू होना चाहिए था। लेकिन आपने गिरफ्तार किया उन बेचारे पत्रकारों को व्यक्तिगत विद्वेष और दूसरे कारणों से। लड़ाई के जमाने में भी उनकी कहीं से गिरफ्तारी नहीं की जाती है, समाचार एकत्र करने के लिए उन्हें पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है। एडिटर और पब्लिशर की गिरफ्तारी डी० आई० आर० में होती है। जब यहां सदन में भी कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो हम संवाददाता के खिलाफ नहीं, वरन् एडिटर और पब्लिशर के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाते हैं। जब कोई प्रशासनिक त्रुटि होती है तो हम यह नहीं कहते हैं कि कलेक्टर इस्तीफा दे, हम मांग करते हैं कि मन्त्री जी इस्तीफा दें। तो जिन पर समाचार देने तक का दायित्व है, उनको इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब आपने यह अध्यादेश इस सदन में रखा था, ले लिया जा रहा था, तो उस समय मुख्य मंत्री ने पूरे प्रदेश को आश्वासन दिया था कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश का जिसने कानून की शक्ल अभी नहीं लिया है और मैं समझता हूं कि यह कानून की शक्ल ले भी नहीं पायेगा, जब तक यहां पर विपक्ष लोकतन्त्र की मर्यादा बनाये रखने के लिए बैठा हुआ है, खुला

[श्री मोहन सिंह--]

दुरुपयोग हो रहा है और इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यह लोकतन्त्र विरोधी कानून है।

आपने खुद बयान दिया है कि हमने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से 60 से अधिक लोगों को छोड़ दिया गया है। तो इन 60 लोगों की निजी स्वतन्त्रता को खत्म करने वाले अधिकारी कठोर सजा के भागी हैं और 15-15 दिन तक इन पत्रकारों को कैद में रखने वाले अधिकारी और भी अधिक दण्ड के भागी हैं और उन्हें अवश्य दण्ड मिलना चाहिए लोकतन्त्र की रक्षा के लिए। इन 69 व्यक्तियों, जिनको निरपराध घोषित किया, उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण का काम जिन जिला अधिकारी ने किया था, क्या आपने उनकी गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही भी की है? क्या आपने यह भी जानने की कोशिश की कि जिनका दंगे से जरा भी सम्बन्ध नहीं था, उनको इतने दिन तक कैसे डिटेन रखा गया? इन पत्रकारों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक स्थिति अलीगढ़ में पैदा हुयी कि जो साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण पैदा हो रहा था उस पर कुठाराघात हो गया और इसकी जिम्मेदारी वहां के कमिश्नर के ऊपर है। अलीगढ़ में तब भी झगड़ा हुआ था जब जनता पार्टी की सरकार थी और श्रीमन्, आप भी इस सदन के सदस्य थे। उस समय जब शासन को मालूम हुआ कि जिला स्तर पर कमिश्नर और अन्य अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है तो कमिश्नर और जिला प्रशासन के एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 को भी वहां से हटाया गया। इस समय वहां पर गड़बड़ियों के लिए वहां के कमिश्नर जिम्मेदार हैं लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है और उसने जो रिपोर्ट दे दी, उसी को आपने सदन में पढ़ दिया। कम से कम रिजवी साहब जी जैसे मंत्री से मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि वे अफसरशाही द्वारा तैयार किए गये वक्तव्य को और जिस अधिकारी के ऊपर दोष है, मामले में मुजरिम है, उससे ही रिपोर्ट लेते हैं और अपना विवेक इस्तेमाल किए बिना उसको सदन के सामने पढ़ देते हैं। यह सरकार अपनी अफसरशाही के चंगुल में कठपुतली बन गयी है और ऐसी स्थिति में साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बन सकता है। इसलिए यदि उन्हें निलम्बित नहीं किया जाता है तो इस सरकार को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ इस माननीय सदन में इस विषय से सम्बन्धित चर्चा पर दुबारा भाग लेना पड़ रहा है और इसके लिए मैं पूर्णतया शासक दल को दोषी ठहराता हूं इसलिये कि इस प्रदेश में जो घटना 13 तारीख को ईद की नमाज के सम्बन्ध में मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद और दूसरी जगहों पर हुयी थी हमारे और आपके सहयोग के बावजूद शासन की जिलों में जो कड़ियां हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी कि इन दंगों को फिरकापरस्ती के दंगों में तबदील कर दिया। लेकिन जनता के सहयोग से, समाज में काम करने वाले लोगों के सहयोग से और इनके सोचने के ढंग से और इस सदन में पारित हुए प्रस्ताव के द्वारा वे सफल नहीं हुए।

अलीगढ़ की घटना के 3 हिस्से हैं, एक पवन कुमार जैन और दूसरे जर्नलिस्ट्स की गिरफ्तारी और दूसरा भाग है उसके बाद में जो साम्प्रदायिक दंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो एक नये रूप में प्रदेश के अन्दर हुए और तीसरा है आगरा कमिश्नर की व्यवस्था। सबसे पहले जो कौन्सटीट्यूशन के अन्दर फन्डामेन्टल राइटस में प्रेस की आजादी से सम्बन्धित प्रेस ऐक्ट वगैरह में मौजूद हैं, और उनकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, रिजवी साहब अच्छी तरह से उनसे वाकिफ हैं लेकिन आपने सब की अवहेलना करते हुए जो बुनियादी समाचार छपा है, जिसके ऊपर ये सारी बातें जिस समाचार-पत्र में छपी हैं, उसकी 2 लाइनें मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। वे इस प्रकार हैं :—"श्री सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि नगर में हाल ही में हुए दंगों में शांति व्यवस्था में सहयोग करने के लिए तैनात किए गए 1100 होमगार्डों में से 400 से अधिक लापता हैं।" ये समाचार हिन्दी के "अमर-उजाला" समाचार पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1980 में भी छपी है। जब यह बात छपी तो उससे सम्बन्धित जो सदन में वक्तव्य दिया गया, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह बात कही गयी कि कुछ प्रेस के प्रतिनिधियों ने बार-बार यह कहा कि यह समाचार सही नहीं था।" अब मेरी एक बात यह समझ में नहीं आती कि यह मन्त्री जी आधी लाइन को तो मानते हैं जिसमें कहते हैं पत्रकारों ने स्वयं तस्लीम किया यह समाचार सही नहीं था, गलत खबर छपी, पर उनकी दूसरी बात को जो पत्रकारों ने कही उसको नहीं मानते। दूसरी बात पत्रकारों ने यह भी कही थी कि उनको यह खबर अधिकारियों से ही प्राप्त हुई। मंत्री जी ने पहली बात को तो सही मान लिया, दूसरी बात को नहीं माना। वह अधिकारी जिसने पत्रकारों को गलत खबर दी उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए था, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिये थी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई भी मैटर तैयार होकर आडिट होकर, कम्पाइल हो जाता है, तो उसमें क्या चीज सही है या गलत है उसकी सारी जिम्मेवारी आडिटर और पब्लिशर की हो जाती है? कार्यवाही आडिटर के खिलाफ करनी चाहिये थी या पब्लिशर के खिलाफ होती, मगर जरनालिस्ट को बन्द कर दिया। इसलिए बन्द कर दिया क्योंकि वहां का प्रशासन यह समझता है कि उनको वही बात कहने दी जायेगी जिसको वहां का प्रशासन चाहेगा। उस वक्त की इमरजेन्सी में और इस वक्त में क्या अन्तर रह गया? न फ्रीडम आफ स्पीच है, न फ्रीडम आफ मूवमेंट है, फंडामेन्टल राइट्स ही नहीं हैं, तो उस इमरजेन्सी में और आज में क्या फर्क है?

अब दूसरा मसला खड़ा होता है, गिरफ्तारी के बाद से। लोगों में जो उत्साह पैदा हुआ था, बाजार खुल गये थे, कचहरी खुल गयी थी, दफ्तर खुल गये थे, पर उसके बाद अलीगढ़ में यह दंगा हुआ और उसका रिएक्शन और जगह भी हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग के 8-10 आदमी अलीगढ़ में मारे गये। अपनी अकर्मण्यता और अपनी नालायकी को छिपाने के लिए शासन ने अलीगढ़ में यह कोशिश की इसको हिन्दू मुस्लिम झगड़े की शक्ल में कन्वर्ट किया जाये। ताकि उनके ऊपर कोई बात न आ सके। अलीगढ़ के बाद यह चीज और जगह फैली। उसके बाद मुरादाबाद, इलाहाबाद आदि में यह चैप्टर खुला। अब यह कहना शुरू कर दिया गया है कि साम्प्रदायिक दंगा हुआ। ऐसी हालत में श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्राइम

[श्री रियासत हुसैन--]

मिनिस्टर, पार्लियामेन्ट के अन्दर यह वायदा करती हैं और बाहर भी, अब भी पिछले दिनों में भी जब हवाई अड्डे पर गयीं, तो वहां भी जिम्मेदारी है कि मारपीट की रक्षा करेंगी। लेकिन मुरादाबाद का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और श्रीमती जी नहीं आईं और उनकी जगह पर यशपाल सिंह जी आये। हमारे सामने मसला खड़ा हो जाता है कि सच कहूं कि न कहूं। जो मौलाना आजाद ने किताब लिखी है, उन्होंने किताब के सफा 42 पर एक बात कही कि एक मुसलमान से यह तवक्का रखनी कि वह हक का एलान न करे और जुल्म को जुल्म न कहे। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे यह कहा जाय कि वह इस्लामी जिन्दगी से दस्तबरदार हो जाय। अगर सच्चाई को सच्चाई न कहें और मुलजिम को मुलजिम न कहे, तो वह इसी के बराबर है, हिन्दुस्तान में जो मुसलमान भी मौजूद हैं, जो अपनी ईमानी कमजोरी की वजह से एलानियां जुर्म की पूजा कर रहे हैं। सफा 49 में इसी हिन्दुस्तान में वह मुसलमान भी मौजूद हैं जो अपनी ईमानी कमजोरी की वजह से ऐलानियां जुल्म की परस्तिश कर रहे हैं यानी पूजा कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर वह मुसलमान भी मौजूद हैं। तो श्रीमन्, कमिश्नर साहब की बात रही। एक शेर सुन लीजिए। "किस-किस तरह सताते हैं ये बुत हमें निजाम, हम ऐसे हैं कि जैसे किसी का खुदा न हो।" यह हालत हम लोगों की है। इस हिन्दुस्तान के अन्दर सच्च को सच कहिए, जुल्म कहिये ताकि हिन्दुस्तान के मुसलमानों के साथ होली खेलने का मौका न मिले।

आगरा मंडल के आयुक्त श्री देशराज सिंह की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति पर आपत्ति

*श्री मोहन सिंह--

नियम 305 देखें। इसमें लिखा है--"सदन के उपवेशनों के समय, सदन के परिसर के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायगा। यानी लाबी, दर्शकदीर्घा, पत्रकार दीर्घा, अधिकारी दीर्घा में, अजनबी का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, दीर्घा को देखें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, मैं इस सिलसिले में रिपोर्ट मांग लेता हूं और जैसा फैसला होगा, वैसा सूचित कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, वह आपके परिसर में मौजूद है, वहां पर क्यों उसको बैठा लिया ?

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इस लाबी में देशराज सिंह, कमिश्नर बैठे हुए थे और वह अभी-अभी निकल गये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस सम्बन्ध में जो भी रिपोर्ट आयेगी और उस पर जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें तो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके नेता विरोधी दल खड़े हैं, तब आप लोगों को नहीं बोलना चाहिये जो नियम की बात है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस पर उचित व्यवस्था अभी होनी चाहिये, बाद में नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल और श्री मोहन सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसकी पूरी जांच करा ली जायेगी । उसके बाद जो कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इसकी इन्क्वायरी शीघ्र होनी चाहिए । यह व्यवस्था का प्रश्न है, यदि आप इस प्रकार की रूलिंग देंगे तो काम नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया हमारी भी सुनिए, आप लोगों ने जो बात उठाई है, उसको हम दिखवा रहे हैं ।

(शोर)

एक सदस्य--

मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाये । मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब मुल्जिम मौजूद है उसको गिरफ्तार किया जाय ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, वह अधिकारी गृह सचिव के बगल में बैठा हुआ था, जिसके खिलाफ फाइल चल रही है । मान्यवर, ये बात आपके और सदन की गरिमा की बात है जिस व्यक्ति के खिलाफ चर्चा चल रही है और वह अधिकारी दीर्घा में बैठा हुआ था उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित भी किया गया और आपसे निवेदन किया गया कि आप मार्शल द्वारा इन्हें रोककर इसकी जांच करा लें । यह सदन की गरिमा का सवाल है । इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सुन नहीं रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि कार्यवाही की जायेगी और आपकी और सदन की गरिमा के अनुसार की जायेगी ।

(व्यवधान)

कई सदस्य--

यह गुण्डागर्दी का सरकार नहीं चलेगी । गुण्डागर्दी नहीं चलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण आप लोगों को बैठ जाना चाहिये जबकि आपके उप-नेता विरोधी दल खड़े हुए हैं । माननीय ऊदल जी, मैं समझता हूं कि आप तो सदन के नियमों को कुछ ज्यादा समझते हैं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं ।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

माननीय मोहन सिंह ने विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित किया कि यह एक ऐसे स्थान पर जहां कोई व्यक्ति बिना अनुमति के नहीं बैठ सकता है विशेषकर जिसके सम्बन्ध में चर्चा हो रही हो एवं जिस पर आरोप सदन में लग रहा हो आपसे निवेदन किया गया कि वह व्यक्ति गृह सचिव के बगल में दीर्घा में बैठे थे । उसके उपरान्त भी आपने उसे टाल दिया इस कारण मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी भय नहीं है कि ऐसी उम्मीद इस पीठ से नहीं थी और किसी भी पीठ से ऐसी उम्मीद नहीं होगी । बार-बार निवेदन करने पर भी आपने कहा कि विचार करेंगे और निर्णय देंगे । मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं 8-10 साल से सदस्य हूं किन्तु ऐसा लचर निर्णय कभी पीठ से नहीं होते देखा । मैं सदन के बीच में बैठता हूं आप मुझे उठाइये । मैं सदन को नहीं चलने दूंगा ।

(लोकदल के सदस्य रिपोर्टर्स टेबुल के सामने खाली स्थान पर आ गये तथा विरोध पक्ष के सभी सदस्य खड़े हो गये और कहने लगे कि सदन को नहीं चलने देंगे ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने लिखित सूचना भेजी है देश राज सिंह के विरुद्ध एवं संसदीय कार्य मंत्री के भी विरुद्ध क्योंकि उन्होंने अपने इशारे से देशराज सिंह को लाबी में बुलाया ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह घटना इतिहास में कलंक होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

यह आपत्ति नियम 305 में उठाई गई है, नियम 306 में यह विधा हुआ है कि अध्यक्ष किसी समय अजनबियों को सदन के किसी परिसर से हटाने का आदेश दे सकेंगे ।

एक सदस्य--

वह भाग गये ।

श्री अधिष्ठाता--

मोहन सिंह ने सवाल उठाया है, मैं चाहूंगा कि वह बहस करें और नियम 306 को देख लें ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सदन की एक गरिमा है, अगर आप ही सदन की गरिमा को नहीं रखेंगे । अगर एक-एक सदस्य बोलें तो बात समझ में आ जाये ।

(शोर)

कई सदस्य--

मान्यवर, अब पास नहीं बनना चाहिए । अगर अब पास बनेगा तो ठीक नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें । आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस तरह से व्यवधान ठीक नहीं होगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, आप तो स्वयं जा रहे हैं । कम से कम आप घोषणा तो करते जाइये कि वह वहां मौजूद थे या नहीं ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें और मैं माननीय नेता, विरोधी दल को सुनूंगा । उसके बाद कोई बात होगी ।

(सदन के बीच में खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस आ गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहन सिंह जी ने एक 305 में प्रश्न उठाया कि एक अजनबी व्यक्ति इस दीर्घा में बैठा है । श्रीमन्, अभी यहां अलीगढ़ के एक पत्रकार श्री पवन कुमार जैन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी । वह व्यक्ति कमिश्नर आगरा, श्री देश राज सिंह, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, जिन पर इल्जामात थे, तो यह प्रश्न उठाया कि जब चर्चा हो रही थी उनको हटा दिया गया । हम बार-बार कहते रहे कि इस पीठ से यह एनाउन्स होना चाहिए कि वह वहां मौजूद थे....

श्री उपाध्यक्ष--

जब बैठे हुए थे, तब चर्चा शुरू हुई ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

चर्चा होने के बाद हटाये गये, तब हुई तो बैठे हुए थे । प्रश्न उठा, इशारा हुआ और हटा दिये गये । राजेन्द्र कुमार गुप्त ने देखा है लेकिन इशारा हुआ है, अधिष्ठाता महोदय से हमारा निवेदन था कि वह एनाउन्स करते कि वह यहां मौजूद थे और दुःख इस बात का है कि इस पीठ से इस सदन की गरिमा गिरा दी गई, विधान सभा की गरिमा गिरा दी गई । इस चीज को टाल कर उनको मौका दिया कि वे चले जायें । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब यहां अलीगढ़ के सन्दर्भ में एक चर्चा चल रही थी तो अधिकारी दीर्घा में, यह माननीय सदस्यों का कोई अधिकार नहीं है कि कौन कहां बैठा है इससे मैं सहमत हूं लेकिन एक घुंघराले बालों वाला, मोटा आदमी पतलून-चश्मा पहने बैठा था । मैं नहीं जानता, सम्भवतः उनको कम दिखाई देता था, मैंने नियम 305 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसका आप अवलोकन कर लें । सदन के परिसर में उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा । इसके तहत मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की कि एक अजनबी व्यक्ति जो इस सचिवालय के परिसर में बैठने वाला कोई सचिव नहीं है, राज्यपाल दीर्घा में बैठा हुआ है, उस अजनबी को अविलम्ब आप अपने अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अपने मार्शल को निर्देशित करें कि उन्हें पकड़ा जाय । मेरा इतना व्यवस्था का प्रश्न उठाना था कि मेरी जानकारी में संभवतः गृह सचिव और एक विशेष गृह सचिव हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बगल में वह बैठा था । उनके इशारे पर और संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पर वह अजनबी उठा और उठकर भागा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय मोहन सिंह को इशारे बाजी की बहुत आदत है । इस तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ ।

श्री मोहन सिंह—

इसलिये जब मैंने इंगित किया तो वह अजनबी इस परिसर से चला गया। पता नहीं कौन सा व्यक्ति था। उसके पास, पास था या नहीं था अधिकृत व्यक्ति था या नहीं था। इसकी जानकारी उनके पास बैठे हुये गृह सचिव और विशेष गृह सचिव को हो सकती है। इसलिये आप दोनों लोगों को अपने मार्शल के जरिये बुला लें और उनसे क्रास क्वेश्चन कर लें कि यह अजनबी व्यक्ति कौन था जो चला गया और बाद में चपरासी आकर मेज के नीचे से फाइल ले गया। वह अजनबी देशराज सिंह थे या कौन थे यह आप इन दोनों गवाहों से पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मोहन सिंह जी ने स्थिति को और साफ किया, उस आदमी के हुलिये के बारे में विशेष जानकारी दी। मैंने उसके बारे में जानकारी की है, उस हुलिये का आदमी निश्चित रूप से उस दीर्घा में बैठा हुआ था, लेकिन वह प्रवेश पत्र लेकर बैठा था या बिना प्रवेश पत्र के बैठा था इसके लिये मैंने अपने अधिकारियों को जांच करने के लिये निर्देश दे दिये हैं कि इसकी जांच की जाय। मैं चाहूंगा कि सदन कृपा पूर्वक मुझे इतना समय दे कि वह जांच मैं पूरी करा लूं और फिर उसके आगे की कार्यवाही की जाय।

(शोर)

श्री मोहन सिंह—

उसको भागने क्यों दिया गया ?

एक सदस्य—

यह बात साफ है कि उनके पास, पास नहीं था।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आप गृह सचिव को यहां पर बुलाकर पूछ लें कि जिस समय यह प्रश्न उठा उस समय वह व्यक्ति यहां से उठकर गया या नहीं और यदि गया तो क्यों गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन मेरा एक निवेदन सुन लें। हमारे नियमों के अंदर व्यवस्था है कि जो घटना सदन के संज्ञान में हुई उस पर अधिक इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं होती। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, जब मैं अपना भाषण दे रहा था मैंने यह बात कही थी कि जब पिछली बार चर्चा हो रही थी तो उस समय देशराज सिंह बैठे थे और बयान देने में दबाव डाला था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बात सदन की जानकारी में लाये कि एक अजनबी जिसका हुलिया इस प्रकार से थी वह बैठा था, मने उसको स्वीकार कर लिया मैंने जानकारी कराई है कि उनके पास प्रवेश-पत्र था या वह बिना प्रवेश-पत्र के यहां बैठे थे।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा निवेदन यह है कि यह विषय इतना गम्भीर है कि आप सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित कर दें और 15 मिनट में इन्क्वायरी करा लें। जब हम फिर बैठें तो हमें पता चल सके कि उसके पास पास था या नहीं था, यह मेरी प्रार्थना है।

मान्यवर, सदन स्थगित करके इंक्वायरी करा लें मैं बिना इंक्वायरी पूरे हुये सदन की कार्यवाही आगे शांतिपूर्वक चल सकेगी इसमें मुझे संदेह है।

श्री उपाध्यक्ष--

जितने माननीय सदस्य जानने के लिए उत्सुक हैं, वह सभी बड़े अनुभवी संसदविज्ञ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि राज्यपाल दीर्घा का पास कहां से जारी होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, यह हमारे सचिवालय से पास नहीं जारी होते हैं? इसलिए जाहिर है कि हमें राज्यपाल के सचिवालय से जानकारी करानी पड़ेगी। अब मैं आपका ध्यान नियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल की दीर्घा में पहली लाइन में तो राज्यपाल के मेहमान बैठेंगे और दूसरी लाइन में शासन के सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव जिनके पास परिचय-पत्र होंगे वे लोग बैठेंगे। अब इसमें आपकी सभी बातों को मानते हुए मैं राज्यपाल के यहां से पहले जानकारी प्राप्त करा लूं कि वह व्यक्ति कौन है, उसको वहां से प्रवेश-पत्र जारी किया गया कि नहीं, फिर आगे की कार्यवाही इसमें की जायेगी। अब सदन की कार्यवाही आगे चलने दें।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यदि उनके पास पास होता तो उनके यहां से जाने की बात न होती। ऊपर गैलरीज में पास देने का अधिकार आपको है और उस गैलरी में पास देने का अधिकार गवर्नर का है तो श्रीमन्, यदि उनके पास-पास होता तो वह अवराइज्ड हो जाते यहां बैठने के और उनके यहां से जाने की जरूरत नहीं होती। वह यहां से चले गए इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास पास नहीं था। वह महमान थे यह दूसरी बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपने शक किया तो बात में एक अनिश्चितता आ गई है इसलिए पहले जानकारी प्राप्त कर लेने दें।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, मोहन सिंह ने कानून की बहस खड़ी कर दिया, इसलिए मैं उनसे और आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल की दीर्घा में या सदन के बाहर कोई आउटसाइडर बैठा है तो यह मार्शल का कर्तव्य है कि वह उसको सदन के संज्ञान में लाये। मोहन सिंह इसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हैं।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र, मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं।

अब चर्चा जो होनी है उसको होने दें। यदि इसमें लग जायेंगे तो चर्चा जो हो रही थी वह नहीं होने पायेगी। चर्चा में जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वह बोलें।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, गवर्नरस दीर्घा के पास गवर्नर के यहां से इश्यू होते हैं। मैंने कल अपने दो लड़कों और उनकी पत्नियों [illegible] बहन के लिए 5 पास माननीय गवर्नर के यहां से लेकर उनको गवर्नर्स दीर्घा में कल बैठाया था।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी, ऊदल जी, मैंने कई बार आपलोगों से निवेदन किया कि चर्चा का समय बड़ी तेजी से निकला जा रहा है, आप आसन ग्रहण करें।

अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुए दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मण्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, आज जिस विषय पर चर्चा चल रही है वह बड़ा नाजुक विषय है। शासन के प्रयास से, सूझ-बूझ से, जो स्थिति इस समय नियंत्रण में है, हमारे जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं जो इस विषय पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर वक्तव्य दे रहे हैं उससे स्थिति बनने के और बिगड़ेगी श्रीमन्। श्रीमन्, यह तथ्य जो प्रस्तुत किए गए हैं माननीय सदस्यों द्वारा उसमें उन्होंने एक पहलू का ही जिक्र किया, दूसरे पहलू को छुआ ही नहीं। जहां तक पत्रकारों की भूमिका की बात है, उनकी आजादी की बात है, मैं इस बात का हामी हूं कि हमारे शासन की यह नीति है कि हम पूरी स्वतंत्रता उनको दें, प्रेस को, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वह नीति चल रही है।

मैं श्रीमन्, कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिनकी वजह से सारी शुरुआत हुई। श्रीमन्, यह 400 होमगार्डों के लापता होने की खबर सिर्फ एक न्यूज एजेन्सी के द्वारा जिन अखबारों में यह खबर निकली उनको प्राप्त हुई थी और वह न्यूज एजेन्सी थी हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेन्सी। और श्रीमन्, अगर आप जो हिन्दुस्तान समाचार न्यूज एजेन्सी है उसका इतिहास देखें तो इसको चलाने वाले एक साम्प्रदायिक संगठन के लोग हैं। इसके संचालक श्रीमन्, बिहार प्रदेश के आर० एस० एस० के आला अफसर हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--]

माध्यम से उन समाचार एजेन्सियों को जिन्होंने कि बहुत सूझ-बूझ, बुद्धिमत्तापूर्वक कोई ऐसी न्यूज प्रसारित नहीं की। जब उनका हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगा फैलाने का मनसूबा पूरा नहीं हो सका तो उन्होंने जानबूझकर चार सौ होमगार्ड के लापता होने की खबर न्यूज एजेन्सी के द्वारा प्रसारित की। मैं माननीय गुप्त जी से पूछना चाहता हूं कि इस न्यूज एजेन्सी की खबर से शांति को बढ़ावा मिलेगा। सौहार्द की भावना होगी या साम्प्रदायिक तनाव पैदा होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे खुशी होती....।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य बिना इजाजत के बीच में इन्टरफियरेन्स करना ठीक प्रथा नहीं है।

आगरा मण्डल के आयुक्त, श्री देशराज सिंह की राज्यपाल दीर्घा में उपस्थिति पर आपत्ति (क्रमागत)

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अलीगढ़ के बारे में चर्चा करने के लिए आज की तारीख तय हुई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शासन ने अपनी तरफ से खबर करके देशराज, कमिश्नर, आगरा को यहां बुलाया है। अब जब देशराज सिंह की मौजूदगी में डिबेट हो रही है तो बराहरास्त उनको यह मालूम हो जायगा कि कौन सा माननीय सदस्य क्या बोलता है उनके खिलाफ है या उनके माफिक है। जिस मनोवृत्ति के वह आदमी हैं उसको देखते हुए डिबेट को कांटिन्यू रखने से कोई फायदा नहीं होगा। माननीय सदस्यों की बाद में शिकायत आयेगी कि उनकी जान व माल का खतरा है। इसलिये मैं इस सरकार को डायरेक्टली चार्ज करता हूं कि सदन द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम में रोड़ा अटकाने के लिये उसने देशराज सिंह को बुलाया और इसी प्रोटेस्ट में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अब डिबेट चलने दें। सरकार से मेरा कहना है कि माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए भविष्य के लिये वह इस पर विचार करेगी।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये और अभी उन्होंने हवाला दिया था मौलाना आजाद का कि मुसलमान वही है जो सच्ची बात कहने में किसी से न डरे लेकिन वह एक कमिश्नर से डर कर भाग गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इससे आप भी सहमत होंगे कि किसी सदस्य की नीयत पर शंका नहीं करना चाहिये लेकिन अभी माननीय मंत्री ने माननीय रियासत हुसैन साहब की नीयत पर शक करते हुए कहा कि वह एक कमिश्नर से डर कर भाग गये । वह डर कर नहीं भागे हैं बल्कि सरकार की नीयत से आशंकित हो कर सदन से चले गये । माननीय मंत्री द्वारा कहे गये वाक्य को कार्यवाही से निकालने के लिये आप आदेश देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो तर्क उपस्थित किया है किसी की नीयत पर शक किसने किया यह साफ नहीं है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

नीयत की बात गुप्ता जी बहुत जल्दी समझ जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

3·35 पर डिबेट को खत्म होना है। अब 5 मिनट ही प्रत्येक माननीय सदस्य को मिलेगें ।

श्री ऊदल--

जो जितना ही शिष्टाचार बरतता है चेयर की तरफ से उसके साथ उतना ही अन्याय आज मैं होता देख रहा हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलने के लिये खड़े ही नहीं हुए तो आपने कैसे यह आक्षेप कर दिया ।

श्री ऊदल--

अभी आप के पीठासीन होने से पहले खड़ा हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन आपने तो चेयर कह कर जनरलाइज कर दिया । पहले की बात हो सकती है लेकिन आपने चेयर का प्रयोग किया यह जनरलाइज हो गया ।

अलीगढ़ के पत्रकार श्री पवन कुमार जैन को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुए दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मण्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

(क्रमागत)

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

उन्होंने देखा कि उनके एजेन्सी का आदमी पकड़ा गया है तो उन्होंने समझ लिया इससे बढ़ कर मौका नहीं हो सकता । आर० एस० एस० के लोग जबरदस्ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल---]

दूकानों को बन्द करवा रहे थे । मैं माइनारिटीज के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर हमला किया गया और 9 आदमी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए । इसका श्रेय उनको जाता है जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की । कहा गया कि पी0 ए0 सी0 ने गोली नहीं चलाई । एक तरफ कहते हैं कि पी0 ए0 सी0 को हटा दिया जाय और दूसरी तरफ कहते हैं कि पी0 ए0 सी0 ने गोली नहीं चलाई । इन दुतरफा बातों से देश का भला होने वाला नहीं है। आप कुछ सक्रिय भूमिका निभाते जिससे देश का कल्याण होता। किसी कौम का भला होता । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारियों को वहां से हटा दिया । श्रीमन्, इससे पहले जो भी चर्चा अलीगढ़ और इलाहाबाद के दंगों के बारे में यहां पर हुई थी उसके बारे में उन्हीं माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि वहां पर प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिये वहां के डी0 एम0 आदि को हटा दिया जाय और आज जब उनको वहां से हटा दिया गया तो कहते हैं कि क्यों उनको हटा दिया ? तो इस तरह की दुतरफा बात नहीं होनी चाहिए । पत्रकार के साथ कमिश्नर द्वारा जो बदसलूकी की गई वह गलत है और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए । मैं वहां पर नहीं था लेकिन पत्रकार बन्धुओं ने अपना पक्ष रखा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है । अगर वह सही है तो जरूर उसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है ।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, अभी डाक्टर साहब की बात मैं बड़े गौर से सुन रहा था । देश में और प्रदेश में साम्प्रदायिकता की जितनी निन्दा की जाय और जो लोग साम्प्रदायिक हैं चाहे वे माइनारिटीज के लोग हों अथवा मेजोरिटी के लोग हों उनकी निन्दा करनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिये भी प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । मान्यवर, यहां पर एक पत्रकार का प्रश्न है । इसमें दो चीजें हैं एक तो पत्रकार की गिरफ्तारी का सवाल है और दूसरे जो न्यूज 3/4 अखबारों में छपी है उसका सवाल है । श्रीमन्, डाक्टर साहब बड़े पुराने और अनुभवी सदस्य हैं, बुद्धिमान भी हैं क्या मैं उनसे और सत्ता पक्ष के लोगों से जान सकता हूं कि इतिहास में इमरजेन्सी में हुयी गिरफ्तारियों को छोड़ कर, कोई गिरफ्तारी इस तरह की हुई है । मान्यवर, आज तक जितने भी मुकदमें चले हैं किसी पत्रकार के ऊपर मुकदमा नहीं चला है । "स्वतंत्र भारत" "ब्लिट्ज" और बनारस के "आज" पर चला है उनके प्रकाशक पर मुद्रक पर और सम्पादक पर चला है लेकिन पत्रकार पर नहीं चला है । क्योंकि पत्रकार तो अपनी न्यूज भेजता है, एडीटर एडिट कर लेता है तो सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की हो जाती है । अगर अखबार में कुछ छप गया तो यह जिम्मेदारी मालिक की होगी । इसलिये पत्रकार का प्रश्न कहां से आता है । मैं समझता हूं कि यह शर्मनाक घटना है । आप प्रेस की आजादी की बात करते हैं और प्रेस ऐक्ट जो बना हुआ है उसके सम्मान की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि उसके नियम ही सरकार ने तोड़ दिया है ।

श्रीमन्, मान लीजिये कि अलीगढ़ में जैन साहब ने एक न्यूज दी । एक कमिश्नर थे जिनके बारे में चर्चा हो रही थी । उनका दफ्तर आगरा में है लेकिन आगरे के पत्रकारों ने कौन सा कसूर किया था । मैं जानना चाहता हूं डाक्टर साहब से और सरकार से कि जब वहां के पत्रकारों को प्रेस कांफ्रेंस के नाम पर बुलाते हैं,

उनको गाली गलौज देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं सम्मेलन में उनको बाहर निकाल देते हैं और सम्मेलन खतम हो जाता । डी0 एम0 को आदेश देते हैं कि जिन पत्रकारों को हमने बुलाया था उनको पी0 डी0 ए0 में बन्द कर दो । यही प्रजातंत्र की आप बात करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि मिस्टर जैन की गिरफ्तार करने के लिये मेरी जो जानकारी है कि 1,100 होम गार्ड की ड्यूटी दिखाई गई थी और के0 के0 सिंह साहब उस होमगार्ड के कमान्डेंट हैं और उन 11 सौ का डेलीवेजेज हासिल कर लेते थे (व्यवधान) जितनी भी संख्या हो । तो उसकी जांच होनी चाहिये । मैं सरकार को चार्ज करता हूं सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं की ? जब उनको कहीं से मालूम हो गया कि बड़े-बड़े अधिकारियों को प्रेस वालों को और आम जनता को यह बात मालूम हो गयी तो उन्होंने न्यूज दे दी कि चार सौ होमगार्ड्स मिसिंग हैं फिर बाद में कंट्राडिक्ट किया । इसकी जांच क्यों नहीं की गयी ? मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच किये बिना आपने जैन को चाहे वह आर0 एस0 एस0 के हों या जनसंघ के हों, मैं तो कहता हूं कि जो भी सांप्रदायिक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । जहां तक आर0 एस0 एस0 का ताल्लुक है कम्युनिस्ट पार्टी उसको ज्यादा आपसे सांप्रदायिक कहती है । लेकिन प्रश्न यहां सांप्रदायिकता का नहीं है यहां तो फंडामेन्टल राइट्स का सवाल है । संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं तथा प्रेस ऐक्ट में जो अधिकार मिले हैं जिसमें है कि पत्रकार गिरफ्तार नहीं होता है, उसका संपादक, मालिक और एडीटर गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सरकार ने अवहेलना की है ।

श्रीमन्, जिस देश राज सिंह के बारे में यहां पर बड़ी चर्चा है मैं होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर इस वक्त जो रिजवी साहब बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सुन लीजिये उनके बारे में श्री देशराज सिंह जो घुंघराले बाल वाले यहां बैठे थे, वे दुर्भाग्य से वह उत्तरकाशी में डी0 एम0 थे मेरा वहां का दौरा लगा था सात दिन का मैंने जगह-जगह भाषण किये, उनके ऊपर पता नहीं क्यों मेरे भाषण पर वे बेहद बौखलाए । मैं राजनीतिक पार्टी का होने के नाते मैं राजनीतिक भाषण ही करूंगा लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर राजद्रोह का कदमा दफा 120-बी का शिवनाथ काटजू जो हमारे एम0 एल0 सी0 डा0 कैलाशनाथ काटजू के लड़के जज थे उनकी अदालत में चला दिया । लेकिन हाई कोर्ट से मैं छूट गया । तो उस गैर जिम्मेदार आफिसर के कारण इस सरकार की छवि धूमिल हुई है । आप किसी की हरकतों पर पर्दा न डालें ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

पर्दा नहीं डाल रहे हैं, आप से ज्यादा हम कह रहे हैं ।

श्री ऊदल—

मैंने पंत जी का वक्त देखा है, संपूर्णानन्द जी का वक्त देखा है, इसी हाउस में माननीय चन्द्र भानु गुप्त का समय देखा है इसलिए आप सुनने की कृपा करें । (व्यवधान) ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मुझ से बड़े हैं। जिन बाबू संपूर्णानन्द जी की दुहाई देते हैं 59 में भी लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट लीडर था और उनके समय में एक साल तक नजरबंद रहा।

श्री ऊदल--

आप कृपया शांति रखें। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। पर्दा डाल रहे हैं कहना कोई असंसदीय नहीं है और न कोई गाली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि तथ्यों की जाँच किये बिना सरकार उन देशराज सिंह की बात न मान लें। जिनके कहने पर मैं हाईकोर्ट से काटजू की अदालत से निर्दोष छूट गया तो वही यह श्री देश राज सिंह कमिश्नर का बयान दिया हुआ है।

(व्यवधान)

उस बयान की हमारे मित्र अम्मार रिजवी ने ज्यों का त्यों पढ़ दिया, जो कन्ट्राडेक्टरी बयान है। इसलिए उस तथ्यों की जांच कराने की आवश्यकता थी। हमें आशा है कि सरकार उन तथ्यों की जांच कराएगी।

(3 बजे अपराह्न)

*श्री फखरे आलम--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हक बात हर एक जहन में, हर दिल में है। लेकिन हक बात सरे दारो रसन कौन कहेगा। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि जो विषय इस वक्त सदन के सामने है, उस पर हमारे उधर के दोस्त भी सहमत हैं और उनके दिल में भी वही बात है जो हम लोगों के दिल और जुबान पर है। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का प्रश्न है जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो इस तरह से क्या किसी को उसमें बाधा पहुंचाने का अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

बीच में टोक (इन्टरेप्शन) तो (कर) सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि अलीगढ़ में जो यह घटना हुई जिसके बारे में आज यहां चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, वह कैसे हुई? चार न्यूज एजेन्सी की खबरें थीं। हमारे माननीय सदस्य डाक्टर कौशल जी ने यह कह दिया कि वह आर0 एस0 एस0 का कोई आर्गनाइजेशन या न्यूज एजेन्सी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह समाचार भारती की खबर थी और तीन और न्यूज एजेंसी की खबर थी कि श्री के0 के0 सिंह, कमान्डेन्ट होमगार्ड्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने प्रेस वालों से यह कहा कि 400 के करीब होमगार्डस लापता हैं। तो हमें इस बात की जानकारी है जिम्मेदार लोगों से कि वह प्रेस वाले इस न्यूज के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के पास गये और उन्होंने उनसे पूछा कि यह जो हमें खबर दी है के0 के0 सिंह, कमान्डेन्ट, होम गार्डस ने, यह सही है या गलत। तो इस पर डी0 एम0, अलीगढ़ ने, कहा कि मैं इसको न सही कह सकता हूं और न गलत। तो ऐसे गम्भीर घटना के बारे में प्रेस वालों को क्या करना चाहिए था? क्या नहीं छपवाना चाहिए था। उनको जो करना चाहिए था, उन्होंने कर लिया। यदि वह इसे न छापते तो हम समझते हैं कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने में नाकामयाब हो जाते। प्रेस बैकबोन है प्रजातन्त्र की। वह यदि न करते तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती। मैं इसके लिए प्रेस वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को छापा। मैं इसको भी कहना चाहता हूं कि यदि वह खबर गलत थी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस खबर का कन्ट्राडिक्शन उसी वक्त कर देना चाहिए था।

मैं चाहूंगा कि होम डिपार्टमेंट से यह मालूम किया जाए कि प्रेस वालों ने डी0 एम0 से उसकी तस्दीक करना चाहा या नहीं। प्रेस वालों ने उसको छापा और चार न्यूज एजेन्सी ने उसको छापा तो सरकार ने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया, सरकार की ओर से कोई ऐक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जिला प्रशासन ने एक प्रेस वाले को गिरफ्तार कर लिया। किसी वजह से गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि उन्होंने कमान्डेंट होम गार्ड्स की बताई हुई खबर को छाप दिया था? तो इससे क्या हम यह समझें कि प्रेस की आजादी को छीना जा रहा है और हम लोग उस हालत में रह रहे हैं, जिस में प्रेस की आजादी पर बंधन लगा दिया गया है और उनका मुंह बन्द कर दिया गया है और हम लोगों को भी कहने नहीं दिया जाएगा और कहने से रोका जाएगा। जब अखबार में यह छपा और उनके खिलाफ एक्शन हुआ, तो अकलियत के जो 9 आदमी मारे गये, वह प्रेस वालों की वजह से नहीं मारे गये, किसी हिन्दू-मुसलमान झगड़े की वजह से नहीं मारे गये, बल्कि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने उस स्थिति का फायदा उठाकर ऐसा किया तो इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी होमगार्ड के कमान्डेंट पर है और अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट पर है जिन्होंने इस बात को पैदा होने का मौका दिया तो इन दोनों को डॉक में खड़ा किया जायेगा और दोनों को दफा 302 का मुल्जिम बनाया जाए। आज प्रेस वालों का गला घोटा जा रहा है, उनके हकूक छीने जा रहे हैं और उनको बोलने, लिखने और छापने की आजादी को रोका जा रहा है।

मान्यवर, इन हालात में एक तीसरा मुद्दा जो पैदा होता है वह यह है कि आगरा के जो कमिश्नर हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वे डिबाई के रहने वाले हैं जो कि मेरे जिले की हद से मिला हुआ है, मैं उनको पहचानता हूं। वे आज यहां पर मौजूद थे और जब होम सेक्रेटरी ने उनके कंधे को हिलाया तो वे बाहर चले गये। कमिश्नर साहब के यहां पर जमा हुए प्रेस वालों के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया वह किसी को भी दूसरे आदमी के साथ नहीं करना चाहिए। इस जमूरियत में और प्रजातंत्र में जो ज्यादती कमिश्नर ने प्रेस वालों के प्रति की है, हम सब को एक जुट होकर उसे कन्डेम करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि बहुत बड़ी ज्यादती हुयी है। ये तो तमाम बातें

[श्री फखरे आलम]

प्रस वालों के साथ हुया और की जा रही हैं लेकिन वे मासूम लोग जो इस वजह से मारे गये, जिनका जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होती है उनके खून का बदला कहां से मिलेगा। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि किस तरह से उन लोगों की जानें वापस आयेंगी जो बिला वजह मारे गये थे और जिसकी वजह से तमाम झगड़े पैदा हुए। जिले के प्रशासन ने इस बात का मौका दिया और साम्प्रदायिकता की आग फैली और खून खराबा हुआ। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मारे गये व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआविजा दिया जाय और वहां के कलेक्टर और कमिश्नर को सजा दी जाय। अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जो सरकारी अधिकारी ज्यादती करते हैं जुल्म करते हैं और जो बेइमान हैं, उनको अपनी जगहों से नहीं हटाया जाता है, लेकिन गोंडा के एस० पी० का हरदोई के एस० पी० को और जिलों में जो इमानदार अधिकारी हैं, जिन को सब लोग जानते हैं, हटा दिया जाता है। अगर ट्रेजरी बेन्च के एक एम० एल० ए० उनसे किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, उनके कहने के अनुसार कोटा परमिट नहीं देते हैं, या लोगों का तबादला नहीं करते हैं तो उनको वहां से हटवा दिया जाता है।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर में इस्लाम पर जो जुल्म हो रहे हैं। वह इंदिरा गांधी एक इस्लाम अहमद के जरिये लायी है इसलिए कि गवर्नर रूल में श्री इसलाम अहमद को उनको गवर्नर के एडवाइजर के रूप में रखा गया और लाखों रूपया खर्च करके इलेक्शन जीतने पर यह सरकार बनायी गयी है। चूंकि इस्लाम अहमद एडवाइजर के रूप में आ गए, उन्होंने हजारों का ट्रान्सफर करके कांग्रेस को जिताया.....

(शोर)

इस समय जो सरकार बनी है उसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। यह सरकार बाइ दि पुलिस, फार दि पुलिस, आफ दि एजेन्ट्स आफ दि पुलिस यानी यह सरकार पुलिस के जरिये चुनी गयी है, पुलिस के लिए चुनी गयी है और पुलिस के दलालों की सरकार है। (कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ शोर व्यवधान हुआ और इसी व्यवधान के बीच माननीय सदस्य भी बोलते रहे जो सुनायी नहीं दिया।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने एक शब्द "इस्लामियत" का प्रयोग किया है, यह सदन सेक्युलर सदन है, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको देख लूंगा, अगर असंसदीय होगा तो निकाल दूंगा।

(व्यवधान—शोर)

एक सदस्य--

माननीय सदस्य लिख कर लाये हैं जिसे पढ़ रहे हैं ।

(शोर)

श्री ख्वाजा हलीम--

मुरादाबाद में सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल हुआ, सैकड़ों इन्सानों की जानें चली गयीं ।

(शोर)

(सदन से बिजली चली गयी ।)

(बिजली आने पर)

श्री ख्वाजा हलीम--

मुरादाबाद में हजारों लोगों का कत्ल हुआ, उनकी जानें गयीं, कांग्रेस (आई) के एक एम0 एल0 ए0 श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने मुरादाबाद से प्रधान मंत्री को तार दिया "हन्ड्रेड्स आफ चिल्ड्रेन एन्ड इन्नोसेन्ट नमाजीज शाट डेड" ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया अपनी चर्चा को जो विषय है उसी तक सीमित रखें, आप सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं ।

श्री ख्वाजा हलीम--

अलीगढ़ में जो दंगा हुआ उसके पहले मुरादाबाद में हुआ, शुरुआत वहां से ही हुई । अलीगढ़ में दंगा क्यों हुआ यह मैं बतलाना चाहता हूं । मुरादाबाद में पुलिस ने जो फायरिंग की ।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया अपनी चर्चा को श्री पवन कुमार वाली घटना तक ही सीमित रखें, आप विषय के बाहर जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुरादाबाद में ईद के दिन जो पी0 ए0 सी0 वहां पर पोस्टेड थी उसी को अलीगढ़ में पोस्ट किया गया । अलीगढ़ के एस0 एस0 पी0 ने उसके लिए एतराज किया, मगर उसी पी0 ए0 सी0

[श्री ख्वाजा हलीम---]

को अलीगढ़ में पोस्ट किया गया और अलीगढ़ में यह सारा हंगामा उसी पी0 ए0 सी0 ने कराया जिसमें 10 आदमी जिन्दा जला दिये गये ।

(व्यवधान)

एक रिक्शे वाले को 20-25 आदमियों ने मारा, उस वक्त कई पुलिस वाले वहां मौजूद थे. काफी पुलिस अफसर वहां थे, वे बचा सकते थे । लेकिन नहीं बचाया ।

(शोर)

पहले कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, आज कहा गया कि 29 राउन्ड फायर किये गये ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, आपका समय समाप्त ।

(श्री मन्जूर अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, हमें भी मौका दिया जाय ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, दो मिनट और दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ख्वाजा हलीम साहब अब आपका भाषण लिखा नहीं जायगा, आप बिना इजाजत बोल रहे हैं । मैंने अब माननीय मंजूर अहमद का नाम पुकार लिया है । आप बैठें । माननीय मंजूर अहमद, आप अपना भाषण जारी करें ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद--

बड़े अफसोस के साथ आज यह कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य विरोधी दल हों या शासन की तरफ के, इस सदन में इस प्रकार की बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिये जिससे हमारे प्रदेश और देश में वह आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचे ।

(मेजें थपथपाई गयीं ।)

मान्यवर, बात अलीगढ़ की है, अलीगढ़ के ऊपर चर्चा है, उसी चर्चा की पृष्ठभूमि में मुझे कहना पड़ रहा है । माननीय सदस्य देवरिया सुन । अभी-अभी आपने सुना होगा अलीगढ़ के झगड़े के बाद भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी माननीय रफी अहमद अन्सारी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप

लगाया कि अलीगढ़ में आर० एस० एस० के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माइनारिटी के लोगों के घरों में आग लगायी और उनको फूंक दिया ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि शासक दल को हम बचाते हैं । यह बात मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि हकूमत, जिसके ऊपर भार है, पूरे प्रदेश और देश का, उनकी जिम्मेदारी है । आर० एस० एस० के लोग या जमाती इस्लामी के लोग या बाहर के लोग हों, वहां एक जुलूस निकाला, क्यों ऐसा मौका मिला । मान्यवर कि वहाँ पर जुलूस निकालने वालों ने आग लगा दिया उन लोगों को मार दिया । ऐसा मौका जब कहीं पर भी वहां के अधिकारियों को मिलता रहेगा, अगर उसी इलाके के सी० ओ०, एस० डी० एम०, डी० एम० के खिलाफ अगर ऐक्शन होने लगे, सिटी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एस० एस० पी० के खिलाफ ऐक्शन होने लगे, तो अगले रोज किसी भी जगह ऐसी वारदात नहीं हो सकती, बशर्ते हमारे विरोधी दल के भाई भी वह बात तो कहेंगे । लेकिन जब वह दरोगा मारा जायगा, तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी अमेरिका तो चले जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी परिधि के बाहर जा रहे हैं । आप अपनी परिधि के अन्दर आवें ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, यह अलीगढ़ ही नहीं, यह देश का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी सीमा तक ही कहें ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, आसाम से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर सब जगह है और यहां भी है उस में भी है । कौन है सेकुलारिज्म ? सरकारी दल का हो या कोई विरोधी दल का हो या देश द्रोही है, वह गलत काम करता है, गलत प्रचार करता है । मान्यवर, मैं एक अखबार वाले की मिसाल देना चाहता हूं । जिसने सदस्य, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक के खिलाफ एक बात छाप दी कि हाफिज मोहम्मद की गाड़ी में फलानः-2 चीज पकड़ी गयी । जो कि सौ फीसदी गलत थी । अगर इन बातों को दबाया नहीं गया और इन क्रिमिनल टाईप के लोगों और क्रिमिनल अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा, तो सारा कार्य ठप हो जायेगा । और इन लोगों का क्या इधर आ जायेंगे तो इधर की तरह की बोली बोलने लगेंगे और उधर चले जायेंगे तो उधर की बोली बोलने लगेंगे । जो मान्यवर अलीगढ़ में घटना हुयी, वह बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे लोगों के द्वारा होती है । मान्यवर, फतेहपुर के जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया, जब कि कोई वहां

[श्री मन्जूर अहमद—]

शिकायत नहीं थी । मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों के बच्चों का दाखिला स्कूल में हो गया हो और उन लोगों की कोई शिकायत न हो और काम-काज अमन-चैन से चल रहा हो, तो ऐसे अधिकारियों को इनाम मिलना चाहिये । इन विरोधी दल वालों का केवल एक ही काम है । इन्दिरा गांधी को बदनाम करना और चौधरी चरन सिंह जी को अमरीका भेज कर उनकी बातों को ऊपर उठाना और कोई काम इनका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका अब समय समाप्त हो गया । आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इधर के और लोगों को भी बोलने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं क्या करूं । समय ही आपका साथ नहीं दे रहा है । जितना समय इस पर निश्चित हुआ था, समाप्त हो गया । फिर भी विपक्ष की ओर से नेता विरोधी दल खड़े हैं । वह 5 मिनट में अपनी बात कह लें ।

(व्यवधान)

मैं क्या करूं कार्य मंत्रणा समिति के लोग भी सदस्य हैं, उसमें जो समय निश्चित है, उसी के मुताबिक कार्यवाही चल रही है । इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, दो घंटे के लिए समय निश्चित हुआ था चर्चा के लिए । लेकिन एक इन्सटांस बीच में और आ गया । एक अजनबी के घुस आने पर । जिसमें पूरा आधा घन्टा निकल गया और श्रीमन् आप भी उपस्थित नहीं थे । एक [× × ×] व्यक्ति के बैठ जाने से आधे घंटे का समय बिल्कुल नष्ट हो गया । इसलिए मैं कहता हूं यदि आप उचित समझें तो वह आधा घंटा जो बरबाद हुआ है । उसके स्थान पर आधा घंटा और बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आपको पीठ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । आपने उनके लिए [× × ×] ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जो नहीं किया जाना चाहिए, अध्यक्ष पीठ की गरिमा को देखते हुए ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

नहीं श्रीमन्, मैंने पीठ के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, मैं तो उस व्यक्ति के लिए कह रहा था । उस अधिकारी की क्वालिटी को बताया है ।

नोट—[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री उपाध्यक्ष—

केवल उस शब्द [× × ×] को कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री जी आप की क्या राय है ? आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले इस माननीय सदन में मुरादाबाद और यहां से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास हुआ था । अभी उसकी भावनायें पूरे प्रदेश में पहुंची भी नहीं थी. जनमत तक पहुंची नहीं थी कि पुनः एक दूसरी विचारधारा के सम्बन्ध में आज फिर कम्युनल दंगों के बारे में इस सदन में 2 घंटे की चर्चा शुरू हो रही है । यह घटना क्यों हुई उसके पीछे बहुत····क्योंकि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया पी0 डी0 ऐक्ट में । 4 सौ आदमियों के गायब होने के निउज में गिरफ्तार किया गया । मेरा निवेदन है उसका कंट्राडिक्शन हो गया ।

मान्यवर, मेरा विचार है पब्लिशर और प्रिंटर की जिम्मेदारी है किन्तु गिरफ्तार किया गया पत्रकार को । मान्यवर, यह अरेस्ट गलत हुआ । दूसरी बात आगरा में एक कमिश्नर पत्रकार सम्मेलन करें । जैसा आपके बयान में लिखा है वह सही नहीं प्रतीत होता "वह व्यक्ति जिसने प्रेस सम्मेलन बुलाया था वह शराब के नशे में था । उन्होंने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके पीछे यह सब हुआ । मुरादाबाद के बाद अलीगढ के अन्दर काफी पुलिस फोर्स लगी हुई है । दुकानें बन्द थी एक पत्रकार के पीछे दुकानें बन्द थीं लेकिन बाजार में दुकानों के सामने लोग मौजद थे वहां भीड़ इकट्ठा थी जिस वक्त वारदात हुई और ऐसी वारदात हुई जिसे देखकर कोई भी माननीय सदस्य इस सदन का रो पड़ता । माननीय अध्यक्ष जी बच्चे जलाये गये ढाई साल और 5 साल के बच्चे जिन्दा जलाये गये, महिलाओं को जिन्दा जलाया गया । माननीय अध्यक्ष जी 8 व्यक्तियों को जिन्दा जलाया गया । मान्यवर, यह घटना 2–4 मिनट की नहीं थी । यह घटना काफी देर तक हुई होगी, लोगों को जिन्दा जलाया गया । मान्यवर, वहां पर पुलिस मौजूद थी, मान्यवर, एक निवेदन और करना है कि वहां पर बी0 एस0 एफ0 भी मौजूद थी । मान्यवर जहां पर यह घटना हुई वहां पर बी0 एस0 एफ0 बैठी हुई थी लेकिन मैंने सुना है कि इन अधिकारियों ने उनको कोई आदेश नहीं दिया कि उनका यह काम है वह इसको करें ।

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पत्रकार को अरेस्ट किया गया पी0 डी0 ऐक्ट के अन्दर जैसा मैंने सुना है कल उसको रिहा कर दिया गया है । पत्रकार को अरेस्ट किया गया उसके अधिकारों का हनन किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिये । मान्यवर, उसको उस समय अरेस्ट किया गया जब वह अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहा था और उस वक्त उसको अरेस्ट किया जाता है । मान्यवर पत्रकार, को उस वक्त पी0 डी0 ऐक्ट में अरेस्ट किया गया जब वह अपनी

नोट—× × × यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

ड्यूटी का अंजाम दे रहा था। मान्यवर, उसको गलत अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट गलत हुआ। पत्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पत्रकार का अरेस्ट मान्यवर, एक अजीबोगरीब घटना है तो यह पूरे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लागू हो गई है। मैं जानता हूं उन्होंने कर रखा है। वे कहते हैं कि वहां शान्ति है। मुझे सूचना है कि इस प्रदेश के 2 माननीय मंत्रियों को अलीगढ़ पहुंचना था। एक तो सदन में व्यस्तता के कारण नहीं जा सके और दूसरे पहुंच गये। मुझे यह भी सूचना है वहां के डी0 एम0 ने इन्टीमेट किया है कि स्थिति गम्भीर है और अभी आप न आयें और दूसरे मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि कब वह जायें। घटना जब से शुरू हुई सरकार नियंत्रण कर नहीं पायी है। तो श्रीमन् इसको देखना होगा। पहले भी हुई थी वहां पर तो टाप अफिसर पहुंचते हैं, डी० एम0, कमिश्नर, डी0 आई0 जी0 और आई0 जी0। तो झगड़ा जो हुआ उसमें आदेश किसने जारी किये और फिर ट्रान्सफर करना पड़ा। श्रीमन्, वहां कोअर्डीनेशन नहीं है। सरकार यह तो तय कर ले कि अलीगढ़ में कमिश्नर ही आदेश देंगे लेकिन ऐसा नहीं कि इक्जेक्यूटिव वाला कोई हो और आदेश देने वाला कोई और। जो नियंत्रण नहीं हो रहा है यह शुरू से हुआ, सरकार अक्षम रही है। कम्युनल दंगा कहते हैं, कितनी बार कहा जा चुका है कि यह कम्युनल दंगा नहीं है। 13 तारीख को जहां ईद पर घटना हुई मुरादाबाद, अलीगढ़ में जो घटना हुई थी, एक हलवाई को चाकू मारा गया। तो क्या जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज हुई हैं वे दोनों कांग्रेस आई के लोग हैं और दूसरा यूथ कांग्रेस का लीडर है। जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज हुई है। एक हिन्दू को चाकू लेकर मारने वाले मुसलमान थे लेकिन वे दोनों ही कांग्रेस आई के थे लेकिन उसके बावजूद वह कह रहे हैं कि यह हिन्दू मुस्लिम का था। प्रशासन चाहता था कि यह कन्वर्ट हो जाये। मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं और मेरा कहना है कि सरकार इसको देखे। जिस कमिश्नर के बारे में काफी भावना व्यक्त की गई उस कमिश्नर से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए और जनहित में शासन के हित में जरूरी है कि उसको वहां से हटा दिया जाये और दूसरा भेज दें। माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उस पर विचार करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह आज का वक्तव्य मुख्य रूप से 3 जगह बांटा जा सकता है। दो घटना अलीगढ़ की और तीसरी घटना आगरा के प्रेस वालों के साथ हुई। अलीगढ़ के श्री पवन कुमार जैन गिरफ्तार किये गये। उनके लिए मैं बेहिचक कह सकता हूं कि वह बहुत ही अच्छे और सेक्युलर टाइप के व्यक्ति हैं और इस तरह ऐसे सेक्युलर आदमी को प्रशासन ने पकड़ कर और बन्द करके जो एक तरह से 153 (ए) में बन्द किया है वह बहुत ही गलत किया है। हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उसने पी0 डी0 ऐक्ट वापस ले लिया और साथ ही अनुरोध करूंगा कि इसके साथ 153 (ए) भी नहीं रहना चाहिए। वह भी वापस होना चाहिए और जहां प्रेस वालों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में जैसा कि जानकारी है यदि कमिश्नर ने इस तरह का व्यवहार स्वयं पत्रकारों के साथ किया हो तो यह निन्दनीय है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जहां तक अलीगढ़ का प्रश्न है, यह कहना बिल्कुल गलत है कि वहां प्रशासन ने किसी प्रकार की कमी छोड़ी है। पूरी चुस्ती के साथ उस दिन जो घटना घटित हुई उसका ठीक से मुकाबला किया गया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जरा ध्यान से मेरी बात सुनें। उस दिन की घटनायें कई जगह पर घटित हुयीं। उस दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू खुला था। पत्रकार पवन कुमार की गिरफ्तारी के कारण दुकानें बन्द थीं। पास में नजदीक में एक मस्जिद के पास बम का धमाका हुआ और पैनिक टाइप का भय, आतंक का वातावरण पैदा हो गया। भगदड़ मची और चौक तथा मदारगेट, रेलवे रोड, विभिन्न स्थानों पर, जहां-जहां बाजार थे, वहां पर लोग एकत्रित होने लगे। पुलिस और बी0 एस0 एफ0 की जितनी फोर्स उपलब्ध थी वह फोर्स हर जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे तरीके से वहां लगी रही। प्रश्न आता है कि दही वाली गली में जो घटना घटित हुई वह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। 1947 से लेकर इस घटना तक कभी भी उस गली में उस स्थान पर कोई कम्युनल रायट नहीं हुआ है। बाकी सभी जानते हैं कि अलीगढ़ में कम्युनल रायट होते रहे हैं। लेकिन इस घटना के पूर्व वहां पर ऐसी घटना नहीं हुई वहां पर हिन्दू मुसलमान दोनों मोहब्बत और प्रेम से रहते हैं। मुसलमान अपने हिन्दू भाई बहनों को राखी तक बांधते हैं। मैं वहां मौके पर गया था। मैंने पार्टी और सरकार की तरफ से वहां संवेदना व्यक्त की और हर प्रकार की शासन की तरफ से कानूनी और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता वहां पर पहुंच चुकी है। मान्यवर, यह सब कुछ होते हुए भी मैं अलीगढ़ प्रशासन की प्रशंसा निःसंकोच करूंगा।

वहां एक काजी सब-इन्स्पेक्टर के मातहत एक सेक्शन पी0 ए0 सी0 वहां पर तैनात थी। वहां से 90-100 कदम पर एक चाय गरमाया नाम के कुयें पर वह सेक्शन तैनात था। मान्यवर, यह कोई प्लान नहीं था, किसी प्रकार की पूर्व योजना या षड़यंत्र नहीं था। यह सारा मामला अचानक हुआ, वह ऐसा स्थान है जहां दंगा कभी घटित नहीं हुआ। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वहां पर पुलिस, पी0 ए0 सी0 या बी0 एस0 एफ0 के लोग नहीं थे। ऐसा कहना सत्य नहीं।

श्री मोहन सिंह--

आप सही कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

सारी, क्षमा चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वहां पर पी0 ए0 सी0, बी0 एस0 एफ0 के लोग नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पी0 ए0 सी0 और काजी सब इन्सपेक्टर मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, ख्वाजा हलीम साहब को बड़ा अफसोस है, विशेष दर्द हो रहा है। उनको जनता पार्टी की सरकार ने 153-ए का सर्टीफिकेट दे रखा है। फतेहपुर

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

जेल में बन्द रखा है । आश्चर्य की बात है कि आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको 153-ए, देशद्रोह में बन्द रखा । बहरहाल वहां प्रशासन की तरफ से पूरी चुस्ती बरती गई ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आगरा और अलीगढ़ के हैं उनके लिए विशेष समय दे रहा हूं ।

श्री बदन सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा मंडल के कमिश्नर के द्वारा पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके ऊपर चर्चा हो रही है । मान्यवर, साम्प्रदायिक भावना को फैलाने वाले चाहे कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई समाचार-पत्र हो मैं उसको अच्छा नहीं समझता । पर देखना यह है कि वास्तव में श्री पवन कुमार जैन, जिनको कमिश्नर आगरा द्वारा, बन्दी बनाया गया या आगरा के पत्रकारों द्वारा क्या कोई साम्प्रदायिकता फैलाने का काम किया गया था ? हिन्दुस्तान समाचार से प्रेषित एक समाचार उत्तर प्रदेश के कुछ दैनिक अखबारों में 7 सितम्बर को प्रकाशित को हुआ था । उसका आशय यह था कि अलीगढ़ में 400 होम गार्ड अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे और इस समाचार को अमर उजाला के द्वारा हिन्दुस्तान समाचार से जानकारी प्राप्त कर लेने पर प्रतिवाद कर दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 7 सितम्बर को स्वराज्य टाइम्स के सम्पादक श्री आनन्द शर्मा को कमिश्नर आगरे के द्वारा बुलाया गया । मान्यवर, मैं उस वक्त कमिश्नर के कक्ष में मौजूद था क्योंकि वहां पर यादगारे सुलह कुल समारोह को सम्पन्न कराने के बारे में एक मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की । आनन्द शर्मा जब आये तो कमिश्नर ने एकदम उनको देख कर कहा कि आप कैसे आये ? आपको किसने बुलाया ? श्री शर्मा ने कहा कि आपने मुझे बुलाया था । आपकी गाड़ी मुझे लेने गई थी । कमिश्नर ने उसी वक्त हम लोगों के सामने अपने अर्दली से पूछा कि क्या उन्हें लेने के लिए गाड़ी गई थी ? अर्दली ने स्वीकार किया कि हां गाड़ी गई थी । फिर पत्रकार का अपमान किया गया । आगरे के जिलाधिकारी और आगरे के एस0 एस0 पी0 को यह आदेश दिया गया हम लोगों के सामने कि इनको डील करो । तुरन्त ही फिर एक प्रेस कान्फ्रेन्स अरेन्ज की गई और कान्फ्रेन्स में जैसे ही पत्रकार आये तो उनको बैठाना तो अलग रहा उनको धमकाया गया और जब पत्रकारों ने यह कहा कि इस घटना से आगरे के पत्रकारों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है और आप कोई अपना वक्तव्य देना चाहते हैं या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आप हमको बतायें, हम उसको प्रकाशित करेंगे इस पर उनको बुरी तरह से धमकाया और फटकारा । यह पत्रकारों का एक बहुत बड़ा अपमान है । जन आवाज को पत्रकार अपनी बोली में बोलता है जिसकी वजह से जनता जागृत होती है और एक सही बात जनता के सामने आती है । पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया मैं उसकी घोर-घोर निन्दा करता हूं ।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने आगरे के कमिश्नर के खिलाफ एक बात कही । मैं इनके विषय में आपको बताना चाहता हूं । फतेहपुर सीकरी जहां से चुन कर मैं आता हूं, मान्यवर, वहां यह कमिश्नर महोदय 4-7-80, 10-8-80, 22-8-80 को गये । वहां पर कव्वालों को बुलाकर यह कव्वाली सुनते हैं । कव्वाली सुनने के बड़े शौकीन हैं, शराब पीते हैं, वहां पर मुर्गा बनाया जाता है । इतना ही नहीं पूरे जिले में विशेष कर मेरी तहसील किरावली में कर्मचारी और अधिकारी इनकी ड्यूटी पर लगाये जाते हैं । सारी सरकारी जीपें, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इनकी तैयारी में लगे हुए रहते हैं । इतना ही नहीं शराब पी करके यह औरतों के ऊपर हाथ फेरते हैं (शेम, शेम) इतना ही नहीं इनका सम्पूर्ण खर्चा वहां के छोटे वर्ग के कर्मचारी, जो तहसील के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार होते हैं, वे बरदाश्त करते हैं और उन लोगों में इस प्रकार की भावना पैदा हो गई है कि यह कमिश्नर यदि रहेगा तो वे वहां पर नौकरी नहीं कर पायेंगे, तबादला कराने के लिए मांग कर रहे हैं। वहां पर एक लेखपाल हैं, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसने अभी अभी तबादला करवाया है उस स्थान से । मैं कहना चाहता हूं जैसा हमारे ऊदल जी ने बताया कि इसी आयुक्त ने झूठा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चला दिया था, मेरे विरुद्ध कोई षड़यंत्र रच सकते हैं । मान्यवर, मैं उसको जानता हूं, कई बार उनके साथ मीटिंग हो चुकी । आज जब आगरा कमिश्नर, श्री देशराज, गवर्नर दीर्घा में बैठे हुए थ तो मैंने ही उनकी ओर संकेत किया था और श्री मोहन सिंह द्वारा यहां व्यवस्था का सवाल उठाया गया तो वह भागने लगे चोरों की तरह और आपकी पीठ से आदेश दिया गया कि शायद उन्होंने वहां के लिए पास ले लिया हो । यदि पास होता तो चोर की तरह डर के न भागते । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह यह देखने के लिए आये थे कि सरकार ठीक से चल रही है कि नहीं और विरोधी दल के लोग किस तरह के सवाल उठाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि शासन में यह क्षमता ही नहीं है कि इस तरह के अधिकारियों पर यह कोई कन्ट्रोल कर सकें ।

श्री धरम पाल—

मान्यवर, काश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह महान देश और महान देश के अन्दर महान उत्तर प्रदेश जिसके हम सब वासी हैं, हमारे माथे पर लगा हुआ है कलंक साम्प्रदायिक दंगों का । मान्यवर, कितने दुःख और शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और इस सदन का सदस्य होने के नाते मुझे शर्म आती है कि इन दंगों को रोकने के लिए चर्चा होनी थी लेकिन चर्चा दंगों को न रोकने के लिए होकर परस्पर आरोप प्रत्यारोप और अधिकारियों के व्यवहार के ऊपर चल रही है । मान्यवर, अलीगढ़ में दंगा हुआ, मुरादाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, संभल में हुआ और अनेक स्थानों पर खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई । दंगा होना अच्छी बात नहीं है। इससे देश और प्रदेश की प्रगति रुकती है। सारे लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कोई कहता है कि दंगा में आर० एस० एस० का हाथ है और हमारी ओर से कहा जाता है कि इसमें सरकार का हाथ है, तो यह अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, समस्याओं क समाधान किया जाना चाहिये था क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाकर समस्याओं क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धर मपाल--]

समाधान नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, अभी-अभी आगरा के अन्दर पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, खासकर एक पत्रकार के ऊपर पी0 डी0 ए0 ऐक्ट लागू किया गया। पत्रकार हमारे समाज में जागरूक प्रहरी हैं। वह ही ऐसे समाज के अंग हैं जिनसे जो भी नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं उसको पत्रकार सजग प्रहरी की तरह समाज में प्रकाश में वह लाता है। लेकिन जब उनको पी0 डी0 ए0 में बन्द किया गया तो मैं समझता हूं कि वह उत्तर प्रदेश में काला दिन था, जो इस बात की भूमिका है कि शासन की नीयत साफ नहीं है। आज एक पत्रकार ने अपनी बात कही तो उसके अर्थ यह है कि उसको बन्द कर दिया जाय और नागरिक अधिकारों का हनन किया जाय तो मान्यवर, 1975 की इमरजेन्सी को दुबारा दोहराया जाने वाला इतिहास है। मालूम होता है कि शासन ने उससे सबक नहीं लिया। इसलिये मैं शासक दल से अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे सजग प्रहरी पत्रकारों के ऊपर इस तरह की दफाओं और नागरिकों के ऊपर इस तरह की दफाओं का प्रयोग न हो, नहीं तो यह प्रयोग महंगा पड़ेगा। साथ ही मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन से कहना चाहता हूं कि इन चर्चाओं को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है बल्कि शासन को इसका इलाज ढूंढना है कि साम्प्रदायिक दंगे न हों। मान्यवर, बार-बार चर्चा की जाती है सदन में और बाहर भी वक्तव्य दिये जाते हैं कि यह ठीक नहीं है, तो इससे प्रदेश मे साम्प्रदायिक दंगे बढ़ेंगे और घटेंगे नहीं। मान्यवर, हम देखें आखिर यह दंगे क्यों हो रहे हैं। 1947 के पहले इस देश के अन्दर एक लहर सी उठी थी। कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग 1937 में आई और इस प्रदेश की पहली कांग्रेस सरकार बनी। मुस्लिम लीग विपक्ष में बैठी। कांग्रेस के भाई अगर देश के बटवारे के हित में अगर मुसलिम लीग को साथ में शामिल करते तो इस देश का बटवारा रोक सकते थे लेकिन नादानी की वजह से सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी ने मुस्लिम लीग को अछूत समझा और उसको सत्ता में शामिल नहीं किया जिससे आगे चलकर साम्प्रदायिकता की बात जगी और उसमें रिजर्वेशन की बात उठाई गयी।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त (अब आप बैठें)।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने दल का नेता हूं। मेरे दल की ओर से किसी भी सदस्य को इस विषय पर बोलने का समय नहीं दिया गया। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी बद किस्मती है कि आप सदन का त्याग कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि आप ही अपने दल के नेता हैं और आप ही सदस्य हैं जिसके अनुपात से आपको काफी अधिक समय मिल जाता है।

श्री प्रदीकुमार यादव—

मेरे दल में तीन सदस्य हैं। उसमें किसी भी सदस्य को समय नहीं दिया गया। मैं भी जनता द्वारा चुनकर आया हूं। मैं आपकी व्यवस्था के विरोध म सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, जो चर्चा इस समय हो रही है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं 11 तारीख को आगरा गया था। वहां कुछ पत्रकारों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बतलाया कि आगरा के कमिश्नर ने जानबूझ कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब होमगार्डस के गायब होने वाली खबर छपी तो कमिश्नर ने पत्रकार सम्मेलन बुलाया। पत्रकार गये तो कमिश्नर साहब अपने बंगले में थे। पत्रकारों से मिलते ही उन पर गालियों की बौछार शुरू कर दी और कहा कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी कि बिना मेरे आदेश के और मुझसे जानकारी किये बिना तुम लोगों ने इस तरह की न्यूज छापी है। जब एमरजेंसी थी तब पत्रों पर सेन्सरशिप लगा दी गयी थी और उस समय हमने 19 महीने जेलों की जंजीरों में बिताया था। जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सबसे पहले उसने पत्रों पर से सेंसरशिप हटाई और अब फिर इन्दिरा गांधी की सरकार परोक्ष रूप से पुनः सेंसरशिप लगाना चाहती है। जो लोग लोकतन्त्र का ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करती है तो कोई कारण नहीं है कि वह सरकार बेमतलब पत्रकारों के कामों में हस्तक्षेप किया करे। अब पवन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। पवन कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में अलीगढ़ में उनकी रिहाई के लिये एक प्रदर्शन निकलता है और प्रदर्शन निकलने के बाद वहां पर आगजनी और मारपीट की घटना होती है निश्चित रूप से अगर निर्दोष पत्रकार की गिरफ्तारी न हुई होती तो प्रदर्शन न हुआ होता और अगर प्रदर्शन न हुआ होता तो आगजनी और मारपीट की घटना भी न हुई होती। दूसरी तरफ आग में घी डालने का काम आगरा के कमिश्नर ने किया। मैं आपके माध्यम से निश्चितरूप से यह मांग करता हूं कि ऐसे कमिश्नर, जिन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया है और जिन्होंने प्रेस की आजादी पर कुठराघात किया है, उनको तत्काल निलम्बित किया जाय। यह एक अत्यन्त अहम मसला है और प्रदेश में इस तरह से एक-एक करके दंगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक दंगों को शान्त करने की बात है कमिश्नर के माध्यम से ये दंगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या बताऊं वे जर्नलिस्ट जिनको पकड़ा गया था उन्होंने क्या जुर्म किया था जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके मालिक के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए थी। लेकिन इन जर्नलिस्ट को पकड़कर आगरे में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया क्या उन हालात को लेकर इस प्रदेश में एक उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चितरूप से जो आग भड़की है और जो खून खराबे की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको रोकने का एक मात्र उपाय यही है कि वहां के कमिश्नर को तत्काल निलम्बित किया जाय। तभी यहां पर शान्ति का वातावरण हो सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, आज चर्चा के बीच में बहुत सी चीजें सामने आई । कई बातों पर चर्चा हुई ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि विधान भवन के सामने एक पत्रकार महोदय कोई झा साहब हैं, झांसी के रहने वाले हैं और "लोक रस" के सम्पादक हैं जो कि झांसी से निकलता है वे आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं । पुलिस के खिलाफ ही उनका अनशन है । अतः मैं चाहूंगा कि सरकार आज हो सके तो ठीक है अन्यथा कल इस पर अपना बयान दे दे ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपकी सूचना का विषय इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक अखबारों की आजादी का सम्बन्ध है खबरों के छापने या उनके देने का अधिकार है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन पर किसी तरह की पाबन्दी लगायी जाय । उनकी आजादी पर रोक लगाने की बात गलत है और न ही रोक लगाई गई । लेकिन श्रीमन्, देखने की बात यह है कि मुरादाबाद में और अलीगढ़ में और जहां-जहां इस तरह के दंगे हुये हैं उसमें वे अखबार मुबारकबाद के काबिल हैं, बधाई के पात्र हैं जिन्होंने चीजों को इस तरह से पेश किया कि आपस में दोस्ती रही और वे बातें नहीं आई जो गलत तरीके से फैला दी गई थीं और जिनकी बुनियाद पर अक्सर झगड़ा हो जाया करता है । लेकिन मान्यवर अखबारों की जो आजादी है, खबरों को देने की जो आजादी है उसको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है कि जो आग बुझी हुई है जो चिनगारी अभी खामोश हुई है वह फिर से उभर उठे । इस वक्त जो हालत थी जिनका जिक्र यहां पर किया गया जिनके बारे में अखबारों में जिक्र किया गया अलीगढ़ और तमाम सब जगहों पर शांति पैदा हो रही थी, लोगों ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था जो दैनिक दिनचर्या थी वह शुरू हो गयी थी लेकिन फिर एक झटका आया उसमें यह कहना कि सारा दोष सरकार का है उचित नहीं है । समाज में कोई चीज होती है तो उसमें सरकार एक हिस्सा है, कुछ रोक लगा सकती है लेकिन उसके अन्दर बहुत से लोग मिलकर वातावरण बना सकते हैं । पत्रकार पूरी तरह से आजाद हैं, अखबारों को भी पूरी आजादी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह भी इस देश के नागरिक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमसे नहीं हमारे माध्यम से और लोगों से पूछिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

वह भी इस देश के नागरिक हैं और उनके भी कुछ अधिकार और कर्त्तव्य हैं उसका भी निर्वहन करना है । अगर कहीं कोई टकराव हो रहा है या ऐसी बात

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रही है जिससे उनकी उस आजादी से दूसरों की आजादी को खतरा आ गया है तो उस सिलसिले में कानून ने ऐसी व्यवस्था दी है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जनहित को देखते हुए देश और प्रदेश के हित में उसका इस्तेमाल किया जाय ।

श्रीमन्, अभी पी0 डी0 ए0 की बात कही गयी कि इससे लोगों की आजादी को खतरा हो गया है । मैं आपके द्वारा सदन को सूचना देना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो इस समय तक 98 लोग पी0 डी0 ए0 में डिटेन किये गये उसमें 61 केसेज ऐसे थे जिनको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, उनकी मंजूरी नहीं दी । (व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा कि एक नामजद रिपोर्ट लिखाई है पता चलता है कि रिपोर्ट गलत लिखवाई गयी है वह अगर छोड़ दिये गये तो गलत हो गया क्योंकि उनकी परम्परा रही है कि नामजद रिपोर्ट के आधार पर किसी को बंद कर दिया जाय । मैं बता रहा हूं कि उसमें से सिर्फ 17 ही कनफर्म हुए और 10 के बारे में फैसला होना शासन के पास है । तो आप देखेंगे कि पी0 डी0 ए0 में किसी स्तर पर भी दुरुपयोग नहीं हुआ है । जो चीज सामने आती है उसका सही विश्लेषण करके निर्णय दिया गया है ।

हमारे भाई मोहन सिंह जी को डर है मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस तरह का कोई डर उनको नहीं होना चाहिये और न किसी प्रकार की आशंका होनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार से पत्रकारों की स्वतन्त्रता को या यहां के राजनीतिक लोगों की स्वतन्त्रता को किसी तरह का खतरा है ।

उपाध्यक्ष जी, चर्चा के बीच में बहुत सी बातें कही गयी यह कहना कि हर चीज को डिफेंड करना मुनासिब नहीं है । बहुत सी जानकारी हमें मिली है वह मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा । जो बहुत सी बातें बताई गयी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हरबात को डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं यह सत्य नहीं है, जो सच बात होती है उस पर कार्यवाही की जाती है । मैं विश्वास दिलाता हूं अगर कोई सच बात है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी । उपाध्यक्ष जी, जहां तक यह दुबारा होने वाली दुर्घटनाओं का सवाल है इस सिलसिले में जो फैसला सरकार ने लिया उस पर भी चर्चा की गयी । अलीगढ़ के अधिकारियों का जो स्थानान्तरण हुआ उस पर भी टीका टिप्पणी की गयी । श्रीमन्, आपको याद होगा जब पहली बार अलीगढ़ में गड़बड़ हुई थी उस वक्त हमने अधिकारियों को एक अवसर दिया था कि वह इसको नियंत्रण में करें, स्थिति को कंट्रोल में करें । लेकिन दुबारा घटना हो जाने के बाद, आप ही न्याय करें अगर वह वहां पर रहे होते तो क्या यह बात नहीं कही जाती कि उसके बाद भी उनको वहां पर क्यों रखा गया । हम इस बात में लगे हुए हैं कि वहां किस तरह कितनी जल्दी शांति स्थापित हो लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में इस तरह की प्रतिक्रियाएं और बातें पैदा कर देना चाहते हैं, जिससे इस प्रदेश और इस देश की शान्ति खतरे में पड़े । यह पुराना राग है, बहुत सी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, जो देखना नहीं चाहते कि यह देश और प्रदेश एक सफल नेतृत्व में आजादी के साथ तरक्की करे और ताकतवर हो । जब भी भारत को सफल नेतृत्व मिलता है तो वह उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं । हमें उन ताकतों पर पूरी तरह से नियन्त्रण करना पड़ता है, जो देश के लिए और देश की जनता के लिए परम आवश्यक है । हम इसमें किसी प्रकार

[श्री अम्मार रिजवी--]

का समझौता नहीं कर सकते हैं, जो भी ऐसी ताकतें हैं उनको मजबूती के साथ दबा दिया जाएगा ।

'शूट ऐट साईट,' पर भी एतराज किया गया है, तो इसमें कौनसी आपत्ति करने की बात है, यह हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है । यदि कोई किसी की जान ले रहा है, दूसरे का घर या दूकान जला रहा है, तो उसे जान से मार देने में क्या आपत्ति है, यह सर्वथा उचित है । किसी को किसी की जान किसी हालत में नहीं लेने दिया जाएगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या यह आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार के हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

केन्द्र और प्रदेश की सरकार एक है । लोग तो तबियत खुश कर लेते हैं यह सोचकर कि यह उनकी सरकार है, उनके आदेश हैं और यह हमारे आदेश हैं । जो उनके आदेश है वह यहां के आदेश हैं और जो यहां के आदेश हैं वह वहां के हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या संविधान में सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्राविंशियल गवर्नमेंट....।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठ जाइये, इसका कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक बार मैं उनकी बात सुन चुका हूं । मेरे जिले से आते हैं, उनका मुझसे बहुत प्रेम है, तो उस बार बैठ गया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रेम की यहां कोई बात नहीं है, टाईम निकला चला जा रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा निवेदन है कि इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, जो वातावरण है, उसमें सभी का सहयोग आवश्यक है । उसमें पत्रकारों के सहयोग की भी आवश्यकता है और विरोधी दल के नेताओं के सहयोग की भी आवश्यकता है । क्योंकि यह प्रश्न हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना है, हल करना है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कमिश्नर को हटाइये ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आप उसको हटा दीजिए, तब मैं समझूंगा कि दलगत दृष्टि से आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जैसा मैंने कहा और सभी दलों के लोगों ने कहा, और उधर से भी कुछ बातें उसी प्रकार की आई, कमिश्नर, आगरा का व्यवहार बड़ा खराब रहा है, उनकी हिस्ट्री बड़ी खराब है । मैं कहता हूं कि जब उनके प्रति काफी प्रतिनिधियों की भावना ऐसी है कि उसको वहां नहीं रहना चाहिए तो माननीय मंत्री जी उसके बारे में सदन को आश्वासन दे दें और कह दें कि वह उसका ट्रांसफर कर देंगे । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने जिस समय अपनी बात शुरू की थी, दुर्भाग्य से सबसे कम समय आपने मुझे दिया है, मैंने कहा था कि चर्चा के बीच हमें बहुत सी बातें मालूम हुई, यह नहीं कहूंगा कि किसके सम्बन्ध में । जो कोई बात सामने आती है, वह सही है, उसमें तालमेल है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसका मतलब यह है कि मंत्री जी इस पर आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हैं । जबकि सही तथ्यों को सामने लाया गया है, वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है । अतः मैं और हमारा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, यह सरकार कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन नहीं दे रही है । इसलिए मैं और मेरा दल भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट सदन त्याग कर चले गये)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं और मेरे कम्युनिस्ट दल के सभी माननीय सदस्य भी इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री मसरूर जाफरी और उनकी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, चूंकि सरकार ने जांच कराने का आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए मैं और मेरे दल के माननीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष --

जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं और मेरा दल भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, चूंकि सरकार ने उनके खिलाफ इन्क्वायरी करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए मैं और मेरे दल से माननीय सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष --

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें श्री दूधनाथ की सूचना, जो आजमगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में बाढ़ से हुयी क्षति के सम्बन्ध में है, स्वीकृत हुयी है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री आजाद कुमार कदम--

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री आजाद कुमार कदम--

[× × × ×]

(पुनः संसदीय कार्य मन्त्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष --

अगर आप उचित समझें और छुट्टी चाहते हों तो मैं सदन को स्थगित कर सकता हूं यह कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय मन्त्री जी अपना बयान पढ़ रहे हैं और आप अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं?

नोट--[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

देवरिया रेलवे प्लेट फार्म पर हुई रेल दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा न दिए जाने तथा भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 8-9-1980 को पूर्वोत्तर रेलवे-गोरखपुर को 263 अप सीवान-गोरखपुर लोकल पैसिंजर ट्रेन प्रातः 9-45 बजे देवरिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 3 पर ली गई थी। रेलवे के इस सेक्शन को बड़ी लाइन में तबदीली करने के सम्बन्ध में प्लेट फार्म नम्बर 3 को ऊंचा किया गया था। फलेस्वरूप ट्रेन जैसे प्लेटफार्म पर पहुंची छत पायदान पर यात्रा कर रहे लगभग 50 यात्रियों को रगड़ एवं झटके से चोटें आयी। घायलों को तत्काल उपचार एवं चिकित्सा हेतु संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया पहुंचाया गया। इनमें से 28 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया व शेष 22 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 17 यात्रियों के पांव में साधारण चोटें आयी थीं। घायलों में से एक यात्री की 11-9-80 को प्रातः 4-45 बजे मृत्यु हो गयी।

2—ट्रेन दुर्घटना के फलस्वरूप रेलवे स्टेशन पर उपस्थित अन्य सामान्य जन व छात्र उत्तेजित हो गये और उनके द्वारा रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गई। पांच रेल कर्मचारियों के चोट भी आयीं। श्री सूर्य नारायण तिवारी, सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर चौकी जी० आर० पी०, देवरिया पर मुकदमा अपराध संख्या 94 पंजीकृत किया गया।

3—उल्लेखनीय है कि रेल दुर्घटना एवं छात्रों व जनसाधरण की प्रतिक्रिया की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी देवरिया, परगनाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, कोतवाली घटना स्थल पर पहुंच गये थे। उन्होंने उग्र भीड़ पर नियंत्रण कर, घायल यात्रियों को तत्काल उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्था की। पुलिस के द्वारा यात्रियों अथवा प्रदर्शनकारियों पर किसी प्रकार लाठी चार्ज आदि नहीं किया गया। पुलिस उप महा निरीक्षक से कहा गया है कि वह रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में यह छानबीन करके कि दुर्घटना किसी लापरवाही के कारण तो नहीं घटी है, नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4—इस मामले में रेलवे विभाग द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने मृतक के परिवार को 750 रु० एवं गम्भीर रूप से घायल चार व्यक्तियों को 650 रु० प्रति व्यक्ति की दर से व शेष 17 घायलों को 200 रु० प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह धन दिया है। रेलवे प्रशासन को शासन की ओर से लिखा गया है कि दुर्घटना की प्रवृत्ति को देखते हुये उनके द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में वृद्धि किए जाने पर विचार कर लें।

*श्री मोहन सिंह—

तथ्यों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। केवल यह कहना है कि चोटों की संख्या जो बतायी गयी है वह सही नहीं है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

चाहता हूं कि मैंने स्वयं अस्पताल में जाकर घायलों को देखा है और उनको देखकर कोई मानव हृदय ऐसा नहीं होगा जो द्रवित न हो उठे। एक दर्जन से अधिक वहां ऐसे लोग थे जिनके पैर कट दिए गये थे। आप कह सकते हैं कि मामला रेलवे विभाग से सम्बन्धित है, लेकिन मुझे 3 दर्जन से अधिक लोगों ने यह बताया कि वहां उनके लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी औरतों के जेवर बेंच कर, कुछ ने कर्जा लेकर दवायें मंगायी हैं। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि जो लोग गम्भीर रूप से घायल हैं या जिनके पैर काटने पड़ेंगे या काटे गये हैं, उनकी सारी चिकित्सा की व्यवस्था किए जाने के आदेश मन्त्री जी देंगे और जिन लोगों ने अपने घर की सामग्री बेच कर दवायें खरीदी हैं जिनके पास रसीदें हैं खरीदने की, उनको वह पैसा वापस दिया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी—

यह दुर्घटना काफी गम्भीर है और दुखदायी है। यह जो इंजरी रिपोर्ट है उसके अनुसार दो के पैर कट गये हैं। यह विषय ऐसा है कि इस पर किसी प्रकार का विवाद या बहस करना मुनासिब नहीं है। इनके लिए जो भी चिकित्सा सुविधा अधिक से अधिक दी जा सकती है मैं इसके आदेश दूंगा, सी0 एम0 ओ0 को इस सरकार के आदेश भेजे जायेंगे और जो मदद भी हम कर सकते हैं वह करेंगे। यह घटना हम सबकी है। जितना आप इसमें चिन्तित हैं उतना हम भी।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह नियम 51 में मैंने भी दिया था, कार्य सूची में मेरा नाम भी है लेकिन आपका छापाखाना जो है, उसने छोड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम तो छपा है। आपके सामने हो या न हो, मेरे सामने तो है।

श्री बदन सिंह—

देखिये, पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, वह वाक-आउट कर गए। तो अब सदन चलाने से फायदा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस प्रश्न को न उठावें। आप देवरिया जिले के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही है। अगर प्लेट फार्म नं0 3 पर जो रेंजिंग कर रहे थे, अगर वह न करते, तो इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, उसे बचाया जा सकता था। उल्टे असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर ने अपने पाप को छिपाने के लिए एफ0 आई0 आर0 भी कर दिया है जिसमें तमाम लोग मुलजिम भी हैं। इस सारी घटना का एक ऐसा भी प्रकरण है प्रदेशीय सरकार से, वह जो एफ0 आई0 आर0 हुई वह नाजायज, केवल अपने पापों को छिपाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए हुई है। क्या वह असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर ने अपने पापों को छिपाने के लिए जो रिपोर्ट किया है, क्या उसको वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, मैंने आपकी बात की जांच किया, हमारे विधान सभा सचिवालय से जो एजेंडा छपा है उसमें आपका नाम है और जो वक्तव्य आपके सामने है, यह विभाग से आया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी हमारे विधान सभा सचिवालय पर नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रशासन ही निकम्मा है मान्यवर, सचिवालय का क्या कहना है। तो मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एक आदमी मर भी गया है और ईश्वर न करे कि दूसरे लोग भी मर, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह है। जो मृतक परिवार है, अपने पास से 10 हजार रुपये उसके परिवार के जीवन की रक्षा के लिए दें, क्योंकि जीवन रक्षा का दायित्व उत्तर प्रदेशीय सरकार का है। तो अपने पास से आप कितना दे रहे हैं और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, पर कहा है, वे महीने 6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, तो उनके परिवार को भी निश्चित रूप से अपने पास से अधिक से अधिक धनराशि दें और केन्द्रीय सरकार को, रेलवे विभाग को लिखें कि वह भी रिलीफ दें। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके परिवार को अधिकतम धनराशि की सहायता करें दवादारू के लिए। जो फर्जी मुकदमा चलाया गया है, तमाम लोगों के खिलाफ, जो बेकार लोग हैं, जिनका केवल यही कहना था कि रेलवे कर्मचारी की ज्यादती से ऐसा हुआ है। मुकदमें को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य का ध्यान उस एफ0 आई0 आर0 की तरफ जहां पर बनाम शब्द है, वहां पर कुछ अराजक तत्व लिखा है। और अराजक तत्व में निर्दोष लोग हैं, तो मुकदमा वापस ले सकते हैं, तो मुकदमा अभी वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता और न ही अभी किसी की गिरफ्तारी की गई है। एफ0 आई0 आर0 में आप देखें उसमें केवल अराजक तत्व लिखा गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अराजक तत्वों के यदि नाम इनको मालूम हों, तो उसको बता दें। नहीं तो कल हमारा भी नाम लिया जा सकता है।

श्री अम्मार रिजवी—

दूसरी बात जो कही कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी दवा-दारू होनी चाहिए। जहां तक इसका सम्बन्ध है, इसके लिए जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं उन सबका इलाज होगा और उनका पूरा-पूरा इलाज मुफ्त होगा और जहां तक मुआवजे की बात है उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे विभाग को लिखा है, इसी वक्तव्य के अंत में दिया गया है, कि मृतकों के परिवार वालों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह कम है और उत्तर प्रदेश

[श्री अम्मार रिजवी—]

सरकार भी इस बात की जांच करा रही है कि ऐसे कौन-कौन लोग हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उनको सहायता उत्तर प्रदेश सरकार देगी और जिस प्लेट फार्म नं0 3 पर घटना घटी है, उस सेक्शन को बड़ी लाइन में तबदील करने के लिए सिर्फ ऊंचा किया गया था और यह घटना जो घटी है वह मुसाफिरों के फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करने की वजह से हुई है। रेलवे विभाग वालों का कहना है यदि वे मुसाफिर अंदर यात्रा कर रहे होते तो यह घटना शायद न होती। यह वही मिसाल हुई कि जब कोई ट्रेन सुरंग से गुजर रही हो और यात्री बाहर लटक कर यात्रा कर रहे हों तो घटना अवश्य ही होगी। खैर यह टेक्निकल चीजें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे विभाग वालों से फिर यह अनुरोध करेगी कि जो भी सहायता वह कर सकते हों, करें।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के दोनों पैर काटे गये और किसी एक का पैर काटा गया तो क्या सरकार उन लोगों के कृत्रिम पैर लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो सारी टेक्निकल चीजें हैं, इनको डाक्टर्स ही देखकर बता सकते हैं कि इनके पैर कृत्रिम लग सकते हैं या नहीं। यह डाक्टरों के फैसला करने का काम है।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि पैर उनके फुटबोर्ड पर यात्रा करने के कारण कटे हैं; जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हर गाड़ी में बहुत भीड़ होती है और जब यात्री को जगह नहीं मिलेगी तो वह कहीं न कहीं खड़ा ही होगा। या तो इस बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से गाड़ियां चलायें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरिवंश सहाय—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि देवरिया के क्षेत्राधिकारी, परगनाधिकारी एवं सी0 ओ0 वगैरह ने स्थिति का नियंत्रण किया। परन्तु मुझे जो सूचना मिली है कि उन लोगों को मारा-पीटा गया नहीं तो इनके पास कौन सा जादू है कि इतनी उग्र भीड़ को नियंत्रित कर लिया। कुछ खिलाकर कर लिया या कोई जादू वगैरह उन पर कर दिया, जिससे वे नियंत्रित हो गए ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? क्योंकि यह जांच का विषय बनता भी है और जो पैसे वगैरह की रपट लिखाई गई है, वह सब फर्जी है, डिपार्टमेन्ट वालों की सांठ-गांठ है और जिस अनुपात में वह सहायता दे रहे हैं, उनको आप उचित मानते हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक सदस्य—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनको सदर अस्पताल, देवरिया में भर्ती न कराकर गोरखपुर में भर्ती कराया गया और घटना के तीन दिन बाद कराया गया ?

श्री हरिवंश सहाय—

मरने के बाद उनको कोई सहायता नहीं दी गई उनको सहायता देने की व्यवस्था करेंगे । दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट है वह गलत है उसमें घायलोंकी संख्या नहीं है । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि घायलों की संख्या 30 है, जिनमें से कुछ के एक पैर और कुछ के 2 पैर कटे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो हमारे पास सूचना थी वह मैंने बताया । जहां तक घायलों की बात है जो मेरी जानकारी थी वह मैंने आपको दिया जो आपको जानकारी है वह अलग है ।

श्री मित्रसेन—

जिन व्यक्तियों के दोनों पैर कट गए हैं उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार या प्रदेशीय सरकार सरकारी नौकरी में रखने का विचार कर रही है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कौन कितना जख्मी हुआ है सी० एम० ओ० से जानकारी प्राप्त होने के बाद और किसकी वित्तीय स्थिति कैसी है उनको सहायता दी जायगी ।

श्री मित्रसेन—

उनके आश्रितों को पात्रता के आधार पर केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार नौकरी देगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य का प्रश्न सही है उत्तर प्रदेश सरकार का जब कोई आदमी परेशानी में हो मुसीबत में हो उसकी मदद करने की पूरी व्यवस्था करेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मृतकों के परिवारों के लिए मैंने कहा था उसमें आप कितना दे रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो कुछ दिया जा सकता है । उनको दिया जायेगा ।

श्री कुबेर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक दे दगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

जब तक वितीय स्थिति की सूचना प्राप्त न हो जाय ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, परसों रात को प्लेटफार्म नं0 3 के डिब्बे को 2 सौ मजदूरों को लगाकर ऊपर किया गया है ताकि जांच में कोई बात साबित न हो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह परसों बता रहे हैं घटना किस दिन की है यह देखकर किया गया है कि ब्राडगेज की गाड़ी आ सके मीटर गेज···· ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 17-9-80

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(पी0 एस0 यू0 पी)--40 विधान सभा-17-9-80--81 (पी0 डी0)